खण्ड-289, अंक-6
सोमवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1893
(19 जुलाई, 1971 ई0)

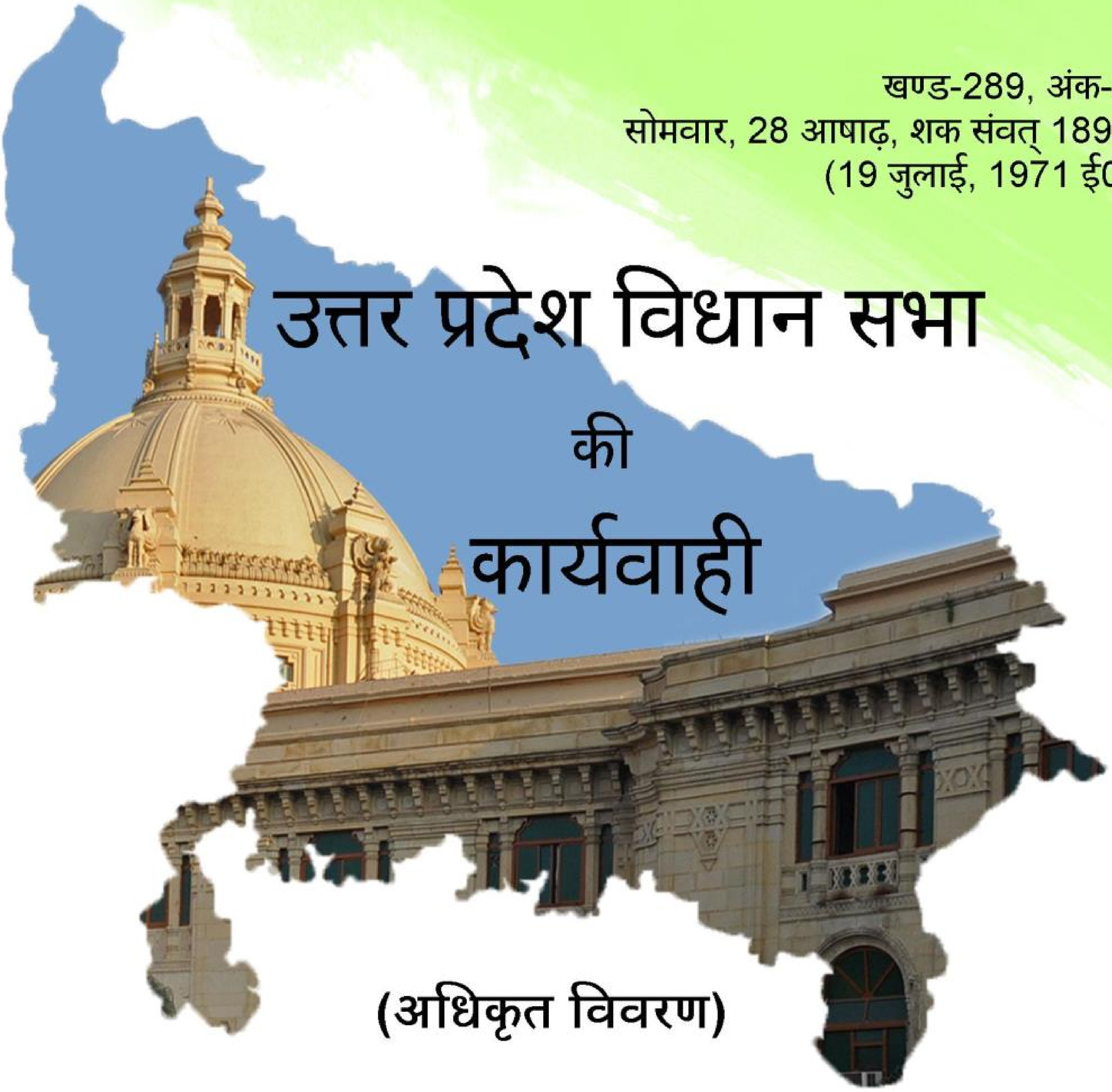

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६४५–६४९
प्रश्नोत्तर	६४९–६७६
स्वायत शासन कर्मचारियों द्वारा अनशन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	६७६–६७७
विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	६७७–६७८
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् द्वारा विधेयक को वापस लेने के स बन्ध में पारित प्रस्ताव की सूचना)	६७८
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६७८
उत्तर प्रदेश भन्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६७८
उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (१९७१–७२) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६७९
भीमताल तथा समर फोर्ड के निकट रोडवेज की बसों के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तगत वक्तव्य	६७९–६८३
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ (पुर स्थापित किया गया)	६८४
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	६८४
१९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	६८४–७२७
अंजुमने अनहार की मांगों के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	७२७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	७२७– २९
ग्राम सिन्दरपुर, जिला बस्ती में श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा बन्दूक से श्री राम जनम की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अ तर्गत में वक्तव्य	७२९–७३६
हरिद्वार आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों द्वारा परीक्षा का वहिष्कार करन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	७३६–७४१
नत्थियां	७४२–७५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १९ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८६

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायणसिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री

प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद , श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री

रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री

शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट— सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १९ जुलाई, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत मांगें

****१—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक १४ अप्रैल, १९७१ को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और अपनी मांगों से सम्बन्धित कोई ज्ञापन उन्हें प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो मांगे क्या-क्या हैं तथा सरकार ने उनमें से कौन-कौन सी मांगें, स्वीकार कर ली हैं ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)---

जी हां। १४ अप्रैल, १९७१ को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का शिष्ट मण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला था तथा उसने एक स्मृति-पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त शिष्ट मण्डल द्वारा प्रस्तुत मांगे एवं उनकी स्थिति संलग्न तालिका में अंकित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४२-७४३ पर)

श्री कल्याण सिंह---

क्या.....

श्री अध्यक्ष---

सुनाई नहीं दे रहा है।

(श्री कल्याण सिंह दूसरे माइक्रोफोन पर चले गये)

श्री कल्याण सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अध्यापकों की मांग संख्या २ के (ब) और (स) खंडों की मांगों पर अन्तिम निर्णय कब तक कर दिया जायगा ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, अब हमारे यहां वेतन आयोग का गठन हो गया है। अब इस प्रकार की मांगें उसके सामने भेजी जा रही हैं। जब उनकी रिपोर्ट मिल जायगी तब हम कुछ निर्णय लेंगे।

श्री कल्याण सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि नगरपालिका के अध्यापकों की सेवा नियमावली कब से प्रवर्तित कर देंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, शीघ्र ही प्रवर्तित की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो अन्तरिम राहत संविद सरकार ने अध्यापकों को स्वीकार की थी वह प्रत्येक विद्यालय में मिलना शुरू हो गयी है, इसकी जांच कर ली है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी हां, वह मिल रही है, राहत।

श्री कल्याण सिंह---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह ध्यान में रखते हुए कि प्राइमरी शिक्षा नगरपालिकाओं या जिला परिषदों के चंगुल में फंस कर राजनीति का शिकार हो रही है, प्राइमरी शिक्षा के प्रबन्ध के लिये कोई जिला स्तरीय स्वशासी शिक्षा परिषद् का गठन सरकार करेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में एक कमेटी बना दी गयी है। वह जो रिपोर्ट देने वाली है, उसके आधार पर हमें निर्णय लेना है कि प्राइमरी शिक्षा किस तरह से हो सके, उसका हम प्रबन्ध करें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से माध्यमिक शिक्षकों का वेतन बैंक से देने की व्यवस्था की गयी है क्या उसी तरीके से प्राइमरी शिक्षकों का वेतन बैंक के जरिये देने पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर नीति का प्रश्न है। अभी मैं इसका जवाब 'नहीं' ही में दूंगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां रोज जिक्र किया जाता है अध्यापकों का, कभी माध्यमिक शिक्षकों का, कभी प्राइमरी शिक्षकों का, अभी उत्तर दिया है कि शीघ्र यह जो कुछ दिक्कत है दूर हो जायगी। लेकिन यह ऐसी शैतान की आंतें हो गयी हैं कि वर्षों से बढ़ रही हैं। अब कितना समय लगेगा अध्यापकों की कठिनाई दूर होने में ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

वित्तीय स्थिति पर सब निर्भर है। अगर वित्तीय साधन इजाजत देंगे तो हम करेंगे और हम इस दिशा में प्रयत्नशील भी हैं।

श्री कल्याण सिंह—

जो प्राइमरी अध्यापक सन् ६४ से पहले अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनको पेंशन देन में सरकार को क्या कठिनाई है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

६४ से पहले जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनका पूरा पता लगाना होगा। पता नहीं कितन जीवित हैं और कितने चले गय ? फिर वित्तीय साधन भी देखने होंगे।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

प्राइमरी पाठशालाओं के प्रबन्धक माध्यमिक विद्यालयों की तरह अपने अध्यापकों को कोई मंहगाई भत्ता नहीं देते तो क्या सरकार इसके लिये कोई नियम बनायेगी और इसकी जांच करेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां जरूर करेंगे।

श्री कल्याण सिंह—

जिला नैनीताल, चमोली, मथुरा तथा शाहजहांपुर के प्राइमरी अध्यापकों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है, उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? और कब तक उनको वेतन दे दिया जायगा ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

होता यह है कि जितने अध्यापक रखने होते हैं उससे ज्यादा रख दिये जाते हैं जिससे उनको अनुदान से ज्यादा रुपया देना होता है। नतीजा यह है कि उनकी स्थिति खराब होती जाती है। इस तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। ज्यों ही स्थिति अच्छी होगी हम उसका प्रबन्ध करेंगे।

केन्द्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

****२—श्री रामगोपाल संड तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सिद्धान्त रूप से केन्द्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये, इसे स्वीकार कर लिया है ? यदि केन्द्र के समान राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जायेगा तो सरकार को प्रति वर्ष कितना व्यय पड़ेगा ? क्या मुख्य मंत्री ने इस मद के लिये केन्द्र से विशेष अनुदान मांगा है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर मंहगायी भत्ता दिया जायगा । यदि राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगायी भत्ता दिया जाय, तो राज्य सरकार को लगभग १३ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय करना पड़ेगा । यदि राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता भी केन्द्र के कर्मचारियों के बराबर दिया जाता है तो ५.५ करोड़ रुपयों का और अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा । भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने मार्च, १९७१ में केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से राज्य कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को केन्द्रीय दर से मंहगायी भत्ता देने के लिये अनुदान की मांग की थी, किन्तु केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस हेतु कोई भी सहायता देने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या वित्त मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि समान काम के लिये समान वेतन और मंहगाई दी जानी चाहिये ? यदि हां, तो क्या उत्तर से संबंधित जिस १३ करोड़ की धनराशि का जिक्र किया गया है उसको सरकार विभिन्न सूत्रों से एकत्रित करने का प्रयास करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

इस समय यह संभावना नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि यहां के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये, इसका जबाव नहीं आया कि वह इसे सिद्धान्त रूप में भी स्वीकार करती है या नहीं । उत्तर इस सम्बन्ध में यह दिया गया है कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । प्रश्न यह है कि सिद्धान्त रूप में भी वह इसे मानती है या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, सिद्धान्त रूप में सरकार न इसे पहले से ही स्वीकार कर रखा है । इसके लिये फाइनेन्स कमीशन के सामने राज्य सरकार ने मांग भी की थी कि हमारे वित्तीय साधन इतने नहीं हैं । श्रीमन्, हम तो करना चाहते हैं ।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कितने रुपये की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी इस कार्यक्रम के लिये, जिसे कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अस्वीकार कर दिया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, जिन आंकड़ों का उल्लेख इसमें किया गया है उन्हीं का उल्लेख केन्द्रीय सरकार से किया गया था ।

श्री रामगोपाल संड--

मान्यवर, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने जिस उत्तर में इस सहायता को देने की असमर्थता प्रकट की है और उसमें जो तर्क दिया है उसे संक्षेप में सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--

मान्यवर, वित्त मंत्री का उत्तर इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड--

मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का यह मसला सन् १९६६ से चल रहा है । यह प्रश्न माननीय रामधारी शास्त्री जी ने भी पूछा था और मैंने भी पूछा है । तो आखिर वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वे इतने लम्बे मसले के सम्बन्ध में उस उत्तर को सदन में नहीं लाये हैं, क्यों उनके पास वह पत्र इस समय उपलब्ध नहीं है और वे क्यों यहां पर नहीं लाये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, इस प्रश्न में जिस पत्र का उल्लेख किया गया है उसका जो मूल सारांश है वह उत्तर में ही निहित है और इसमें सभी तर्कों का विवरण दिया गया है। वह पत्रावली इस समय उपलब्ध नहीं है जिसमें पत्र व्यवहार चल रहा है ।

श्री रामगोपाल संड--

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार समाजवाद लाना चाहती है। तो वे कौन से तर्क हैं जिनके कारण वह उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान नहीं दे रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने के बाद भी उसको कार्यान्वित करने के लिये संसाधनों की जरूरत होती है । केन्द्रीय सरकार से हम बराबर इस बात की मांग करते आ रहे हैं । फाइनेन्स कमीशन के सामने भी हमने मांग की है । किन्तु वित्तीय साधन इतने नहीं हैं इसलिये केन्द्रीय कर्मचारियों को जो भत्ता दिया जाता है वह भत्ता हम यहां के कर्मचारियों को दे सकें । यद्यपि उनको देना मुनासिब बात होगी । इसलिये उनका कहना है कि जो सहायता हमारे यहां से मिल रही है वही मिलेगी और यदि आप अपने संसाधनों से उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देना चाहते हैं, तो दें । इस समय जो केन्द्रीय सहायता हमको मिल रही है उससे हम कर नहीं सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जब केन्द्रीय सरकार एकतरफा अपने कर्मचारियों को भत्ता बढ़ाती है तो उसके फलस्वरूप बाजार में महंगाई बढ़ जाती है तो उससे परेशानी उठानी पड़ती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है। भत्ता बढ़ाने से महंगाई बढ़ जाती है या नहीं बढ़ती है। किन्तु हम यह मानते हैं जब वेतन-क्रम या भत्ते में असमानता है और काम एक ही प्रकार का है तो परेशानी होती ही है ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने किन्हीं और प्रदेशों में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये पैसा दिया है? तो इस प्रदेश के कर्मचारियों के लिये क्यों नहीं दिया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक मेरी सूचना है केन्द्रीय सरकार ने किसी प्रदेश को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने हेतु पैसा नहीं दिया है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने इस सरकार के बनने के बाद केन्द्रीय सरकार से जो पुरानी मांग थी उसको दोहराने का कोई प्रयास किया या दोहराया इसको?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मौखिक रूप से मुख्य मंत्री और मैंने भी इस मांग को दोहराया।

श्री रामगोपाल संड—

क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में जो आई० पी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स हैं उन्हें केन्द्रीय दर से महंगाई भत्ता मिलता है या राज्य दर से?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ये अखिल भारतीय सेवायें हैं, इनको उसी हिसाब से मिलता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार ने केन्द्र के सामने इस बात की भी सिफारिश की कि जो उनको वित्त निगम से वित्तीय सहायता मिलती है तो उस आधार पर दी जाय जिस आधार पर प्राप्ति हो और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को अलग करके तब दूसरे संस्थान के लिये दिया जाय?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं फाइनेंस कमिशन के सामने जो मेमोरेंडम राज्य सरकार की ओर से दिया गया था उसमें विस्तार से इसी तथ्य को लेकर ऐसा प्रस्ताव किया गया था कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जितना महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है उससे राज्य सरकार को दिक्कत होती है। तो वह बात बार-बार कही गयी है।

संविद सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों, स्वायत्त शासन कर्मचारियों तथा अध्यापकों को दी गई १० रुपये की अन्तरिम सहायता के संबंध में जानकारी

**३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछली संविद सरकार ने राज्य कर्मचारियों, स्वायत्त शासन कर्मचारियों तथा अध्यापकों को १० रु० की अन्तरिम सहायता देने की बात स्वीकार की थी? यदि हां, तो क्या अध्यापकों को यह अन्तरिम सहायता दे दी गई है? यदि नहीं, तो बिलम्ब का क्या कारण है?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

संविद सरकार ने केवल ९०० रु० से अनधिक प्रति मास वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को १० रु० प्रति मास तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को, जिनमें पंचायत मंत्री भी सम्मि-

लित हैं, और शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को ८ रु० प्रतिमास की दर से अन्तरिम सहायता देने की बात स्वीकार की थी। वर्तमान सरकार ने उपर्युक्त निर्णय को अपनाते हुए आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह अंतरिम सहायता जो कि १-४-७० से दी जाने वाली थी, इस वर्तमान सरकार के आदेशों द्वारा १-७-७१ से दी गयी है, यह बात सही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि आपका जो उत्तर है तो क्या अध्यापकों को इससे बाहर कर दिया गया है जिसमें विद्यालय कर्मचारियों का जिक्र किया गया है। (उत्तर में लाउड स्पीकर की गड़बड़ी के कारण देरी होने पर) श्रीमन्, सरकार बिलकुल सोई हुई है कर्मचारियों के लिये, जबाव कहां से देंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, आपने उल्लेख नहीं किया था, सोई नहीं है। उतनी ही सोई हुई है जितने आप सोये हैं। अध्यापकों को बाहर नहीं किया गया है। उनके लिये भी वैसे ही आदेश निर्गत किये गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को मालूम है कि इस अंतरिम सहायता को बढ़ाने के लिये संविद सरकार ने विचार किया था कि जिन लोगों को ८ रुपया मिल रहा है उनको भी १० रुपया दे दिया जायगा, इसका विचार किया था, तो क्या यह सरकार भी विचार करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

इस पर यह सरकार विचार करेगी।

मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री को आय का ब्यौरा दिया जाना

**४--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रि मंडल के सदस्यों ने दिनांक १ जून, १९७१ तक किन-किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों ने अपनी आय का ब्यौरा उन को लिखित दे दिया ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)--

मंत्रियों के लिये आचरण कोड को, जिसके अन्तर्गत मंत्रियों को अपनी सम्पत्ति आदि का ब्यौरा मुख्य मंत्री को देना होता है, वर्तमान शासन ने अभी हाल ही में स्वीकार किया है। उसे मंत्रिमंडल के सदस्यों की जानकारी में पालनार्थ ला दिया गया है। यह कार्यवाही १ जून, १९७१ के बाद की गई है अतः उस तिथि तक मंत्रियों द्वारा सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या पहले से कोई आचार संहिता बनी हुई नहीं थी मंत्रियों के लिए, क्या पहली जून के बाद बनायी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आचरण संहिता तो है ही पहले से यहां। तरीका अब तक यह रहा है कि जब कोई नयी सरकार बनती रहती है तो उसके सामने उसे पेश करके स्वीकृति ली जाती रही है। अब वह पेश की गयी और स्वीकार की गयी और सभी माननीय मंत्रियों को यह लिख दिया गया कि तदनुसार शीघ्रातिशीघ्र वे अपना यह ब्योरा दे दें।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह संहिता फिर से कब स्वीकार करायी गयी और इस तरह के आदेश कब प्रसारित किये गये हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

संहिता वर्तमान उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ३१ मई, १९७१ को स्वीकार की है और इसके बाद जून में ये आदेश प्रसारित किये गये हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

राज्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जून में प्रसारित की गयी तो निश्चित तिथि बतला दें कि किस तिथि को प्रसारित की गयी और कब आर्डर दे दिये गये हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

निश्चित तिथि तो पूछ करके ही बता सकूंगा, जून में प्रसारित की गयी और हमारे निर्णय के बाद ही की गयी।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मई में जब मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया और जून में आदेश प्रसारित कर दिये तो मंत्रियों ने क्यों नहीं इस आदेश का पालन किया ? यह भी मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उस आदेश के पालन की बात नहीं है, स्वयं ही आ जायगा उन लोगों का।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी उप मंत्री जी ने जो जबाव दिया था वह यह था कि ३० जून को आदेश प्रसारित कर दिये गये और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि तिथि ज्ञात नहीं है तो क्या इसी सत्र में इस विवरण को प्रस्तुत कर देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति हो गयी। मैंने कहा था कि ३१ मई को मंत्रि-परिषद् की बैठक में स्वीकार किया गया। यह नहीं कहा कि उससे पहले संविद सरकार ने ही स्वीकार किया था। हमारे यहां तो ३१ मई को स्वीकार किया गया। उसके बाद लोगों के पास भेज दिया गया कि वे अपना ब्योरा हमारे पास शीघ्रातिशीघ्र भेज दें। जहां तक उसको सदन में पेश करने की बात है, मेरा विचार ऐसा है कि वह सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता, गोपनीय रखा जाता है।

तारांकित प्रश्न

[दिनांक १९ जुलाई, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रामगोपाल संड—

[१२वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सन् १९७० की कर्मचारियों की हड़ताल में निकाले गये तथा पुनः वापस लिये गये कर्मचारियों की संख्या

*२—श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जुलाई-अगस्त, १९७० में कर्मचारियों की हड़ताल स्वरूप कितने कर्मचारी निकाले गये थे ? उनमें से कितने अपने पदों पर रख लिये गये ? अभी कितने विद्युत् कर्मचारी निलम्बित हैं ?

वित्त एवं विद्युत् राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

अगस्त, १९७० में हुई हड़ताल में परिषद् की विभिन्न इकाइयों के १,१५७ कर्मचारी सेवा विमुक्त कर दिये गये थे। इनमें से १,१४८ पुनः सेवा में लिये जा चुके हैं तथा शेष ९ कर्मचारियों को नहीं लिया गया। इस समय केवल २ कर्मचारी निलम्बित हैं।

विद्युत् कर्मचारियों तथा सुपरवाइजरों द्वारा हड़ताल

*३—श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत् कर्मचारियों तथा उनके सुपरवाइजरों ने मार्च, १९७१ में हड़ताल की थी ? उनकी मांगें क्या थी ? क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी हां। परिषद् के अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा के सदस्यों तथा कुछ अन्य कर्मचारी वर्ग ने हड़ताल की थी। इनकी मांगें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सारिणी में उल्लिखित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४४ पर)

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि सन् ६६ में राज कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी उसके संबंध में सरकार ने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए उनको पुनः उनके पद पर रख दिया गया है तो क्या ९ निकाले गये कर्मचारी और २ निलम्बित कर्मचारियों को भी उनकी जगह वापस लेने की अतिशीघ्र घोषणा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इन ९ कर्मचारियों पर हिंसात्मक अभियोग चल रहा है। दो मुअत्तल हैं इनमें एक बहाल भी कर दिया गया हैं लेकिन उनके खिलाफ भी हिन्सात्मक कार्यव ही का अभियोग चल रहा है। इसलिये मुअत्तल हैं। एक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी चल रही है। उन्होंने सिविल कोर्ट में भी अपना मुकदमा दायर कर रखा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो १,१०० कर्मचारी निकाले गये थे उनमें से ९ को छोड़कर बाकी सब को संविद सरकार ने ही बहाल कर दिया था, क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विद्युत् परिषद् ने उनकी मांगों पर विचार किया और उन्हीं के निर्णय के आधार पर उनको बहाल किया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने प्रश्न किया था कि क्या १,१०० कर्मचारियों में से इन ९ को छोड़कर सब को संविद सरकार ने ही बहाल कर दिया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड—

जिस प्रकार से पी० एन० शुकुल और तुषारकान्ति घोष आदि राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध दायर हुये मुकदमों को उठाकर उनको बहाल कर दिया गया है तो क्या इन लोगों के खिलाफ मुकदमों को उठा लिया जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस संबंध में शासन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है । विचार किया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि १,१०० कर्मचारियों में से इस सरकार ने कितनों को बहाल किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को सूचना दी कि विद्युत् परिषद् ने ही इस संबंध में निर्णय लिया, वही विद्युत् विभाग के कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय लेने में सक्षम हैं । विशेष कोई आवश्यकता पड़ने पर सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है ।

*४–५—श्री रामलगन दबे—

[२रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५१–५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लाटरी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मानदेय

*६—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि लाटरी कार्यालय में कार्य करने वालों को प्रति वर्ष मानदेय दिया जाता है ? यदि हां, तो उसको किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी हां । लाटरी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मानदेय दिया जाता है । इसका आधार इन कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा, विशेष रुचि, उत्तरदायित्व निभाना एवं अथक परिश्रम से कार्य करना है ।

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या यह सत्य है कि इस वर्ष १९७०–७१ में केवल पांच आदमियों को छोड़कर शेष सभी को मानदेय दिया गया है? यदि हां, तो उन पांच आदमियों को किस आधार पर मानदेय नहीं दिया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी हां । कार्य के आधार पर जिन कर्मचारियों को मानदेय देने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया ऐसे पांच कर्मचारियों को मानदेय नहीं दिया गया ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि लाटरी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रति वर्ष मानदेय दिया जाता है। क्या मन्त्री जी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बचत योजना कर्मचारियों तथा वित्त सेवा कर्मचारियों को भी इस वर्ष मानदेय दिया गया जबकि माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि लाटरी चलाना अब हमारे लिये सम्भव नहीं है क्योंकि अब यह घाटे में चल रही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वित्त विभाग और लाटरी विभाग में विशेष प्रकार का काम होता है और एक सीमित समय के अन्दर पूरा कराने का प्रयास होता है इसलिये मानदेय देना जरूरी होता है और इसका निर्णय विभाग के अधिकारी ही करते हैं जिनके ऊपर काम पूरा कराने का उत्तरदायित्व होता है और ऐसा ही किया जाता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है मानदेय देने का आधार इन कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा, विशेष रुचि, उत्तरदायित्व निभाना एवं अधिक परिश्रम से कार्य करना है, तो क्या इसके लिये उन्होंने कोई निश्चित आधार बनाया है? यदि बनाया है तो श्री के० पी० सक्सेना, हेड क्लर्क, जिनके द्वारा चंडीगढ़ में छठी ड्रा के १ हजार रुपये के टिकट खो गये थे उनकी पदोन्नति असिस्टेंड डाइरेक्टर तथा पब्लिसिटी आफिसर के रूप में क्यों की गयी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य से मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह का मानदेय देने का निर्णय विशेष कर विभागाध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। जिनको नहीं दिया गया या जिनको दिया गया है इस सम्बन्ध में यदि उनकी कोई आपत्ति होगी तो उस पर जांच करवाई जा सकती है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

श्रीमन्, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने यह पूछा था कि जैसा कि उन्होंने कहा कि मानदेय देने के लिये सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व निभाना, अधिक परिश्रम करना है। अगर यही आधार है तो क्या कारण है कि श्री के०पी० सक्सेना की पदोन्नति कर दी गई है जबकि उन्होंने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर के लिये सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि जिस अधिकारी की पदोन्नति का उल्लेख किया है उसका मानदेय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न मानदेय के सम्बन्ध में था और उनकी पदोन्नति किसी दूसरे प्रसंग में हुई होगी। इसलिये इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि मानदेय देने के सम्बन्ध में विभाग की ओर से कोई नियम बनाये गये हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसमें नियम का प्रश्न नहीं है। उस समय तत्काल कार्य करने की क्षमता पर ही इसका निर्णय लिया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन ५ व्यक्तियों को मानदेय नहीं दिया गया उनको कोई वारनिंग दी गयी थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनको समय-समय पर साल में काम के प्रति अवहेलना करने पर चेतावनी दी जा चुकी है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ५ कर्मचारियों को इसी समय के अन्दर वारनिंग दी गई उनमें से भी किसी को मानदेय दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने अभी बताया कि तत्काल काम करने के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाता है। यदि पहले कोई चेतावनी दे दी गई है और काम पूरा करने के समय उनका काम सन्तोषजनक रहा तो उनको भी मानदेय की श्रेणी में लिया जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा केवल यह प्रश्न है कि के० पी० सक्सेना जिसने एक हजार के लाटरी के टिकट खो दिये हैं उनकी पदोन्नति हुई है तो किस आधार पर उनको मानदेय दिया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

के० पी० सक्सेना को जो मानदेय दिया गया है वह १६७ रुपया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिसके विरुद्ध लापरवाही के इतने गम्भीर आरोप हैं उनको मानदेय क्यों दिया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने यह निवेदन किया है कि इस प्रकार के कामों में एक निश्चित समय पर पूरा करना होता है और उस काम को पूरा करने के आधार पर ही मानदेय देना निश्चित किया जाता है और वह वे ही विभाग के अधिकारी करते हैं। इसी आधार पर के० पी० सक्सेना को मानदेय देना निश्चित किया गया होगा।

(श्री अध्यक्ष के अगला प्रश्न पुकारने पर)

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि....

(व्यवधान) (शोर)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपके आगे के सवाल पर बढ़ने के बाद भी माननीय सदस्य को ४–४ और ५–५ सवाल करना ठीक होगा ? जब क्वेश्चन क्लोज हो गया और प्रश्न उस पर हो चुके और आपने अगले क्वेश्चन के लिये मन्त्री जी को बुला लिया और फिर आपने इसरार करने पर क्वेश्चन करने की इजाजत दे दी, यह कहां तक उचित है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, प्रश्न ८ का उत्तर अब वह पढ़ रहे हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैंने आप से व्यवस्था चाही है कि आपने एक प्रश्न को लिया और उस पर ६–७ सप्लीमेन्टरी हो गये और आपने अगले प्रश्न के लिये नाम पुकार दिया और मंत्री जी भी उत्तर देने के लिये खड़े हो गये, लेकिन अन्य लोगों के जबरदस्ती आग्रह करने पर आपने फिर उनको प्रश्न करने की इजाजत दे दी । क्या यह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो इजाजत नहीं देता ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

लेकिन क्वेश्चन तो आपके आगे बढ़ने के बाद चार हुये, वह कैसे हो गये ? क्वेश्चन हुये और आपने इजाजत दे दी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने श्री सुखपाल पांडेय के प्रश्न के उत्तर के लिये मंत्री जी को बुलाया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

भविष्य के लिये श्रीमन् ध्यान रखें ।

श्री अध्यक्ष—

वह गलत बात कह रहे हैं ।

चीनी मिल वाल्टरगंज, (गोविन्दनगर), जिला बस्ती में शीरे की चोरी

*८—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ मई, १९७० को चीनी मिल वाल्टरगंज (गोविन्दनगर), जिला बस्ती में शीरे का एक वैगन चोरी से बाहर भेजा जाता हुआ पकड़ा गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई या नहीं ? यदि नहीं की गई तो क्या कारण है ?

कारागार उपमंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

जी हां ।

जी नहीं । मामले की जांच करने पर दोषी व्यक्तियों–सर्वश्री वाल्टरगंज शुगर मिल्स, बस्ती के काशी प्रसाद, पुत्र मूखराम, निवासी बरहज, जिला देवरिया तथा मध्य एशिया हुक्का टुबैको कम्पनी, बरहज, देवरिया के विरुद्ध आरोप-पत्र लगा कर मामले को न्यायालय में निस्तारणार्थ भेज दिया गया । सम्प्रति यह अभियोग परगना मजिस्ट्रेट, खलीलाबाद, जिला बस्ती, के न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या आबकारी मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पदमलाल भाटिया, अध्यक्ष मजदूर यूनियन का कोई शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री, माननीय आबकारी मंत्री, आबकारी आयुक्त, जिलाधीश, बस्ती की सेवा में गया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की है और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

यह ठीक है कि इस प्रकार की शिकायत की गई है, इसकी जांच एक्साइज इंसपेक्टर ने दरख्वास्त आने से पहले ही शुरू कर दी थी ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या यह सही है कि आरोप सिद्ध होने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट और आबकारी आयुक्त ने सांठगांठ कर के मिल मैनेजर को मुलजिम होने पर भी गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

नियम यह है कि जबतक एक्साइज इंस्पेक्टर कोई रिपोर्ट न करे तबतक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि एक्साइज इन्सपेक्टर जब तक रिपोर्ट न दे तब तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता । मंत्री जी को जानकारी है कि इंस्पेक्टर साहबान ऐसे-ऐसे स्मगलिंग में मिले रहते हैं उसको देखते हुये क्या किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे जिससे सत्यता साबित हो सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस सम्बन्ध में जो इत्तला आती है उसकी जांच होती है और इसके लिये जो मामला है वह सबजुडिस हो गया है, उसकी दोबारा जांच होगी ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जिस अधिकारी ने शीरा को पकड़ा है उसकी क्या रिपोर्ट है, सदन के सामने रखेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जांच रिपोर्ट वही है । सिर्फ इतना जवाब में है कि आरोप-पत्र को अदालत में दिखला दिया गया है, अतः वह सब-जुडिस हो गया है ।

श्री रामकरन सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि यह मामला विचाराधीन है । बस्ती के जो एस० डी० ओ० हैं उनके पास यह मामला भेज दिया गया है और जब गलती सिद्ध हुई तो उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई इसका क्या कारण है तथा किस के आधार पर वह न्यायालय में भेजा गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी जांच होकर चार्जशीट लगा दी गई है और अदालत उसको सम्मन या वारन्ट जैसा प्रोसीजर होगा, भेजेगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि एक्साइज इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर गिरफ्तारी होती है । यह मामला अस्पष्ट रहा है । मिल के मैनेजर ने एक वैगन शीरा भेजने की कोशिश की और पकड़ा गया इसके बावजूद भी एक्साइज इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट नहीं दी । इस पर क्या इन्सपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

एक्साइज इन्सपेक्टर को जैसे ही इल्म हुआ उसने वैसे ही शीरे के ट्रक को पकड़ लिया था।

श्री रामकरन सिंह--

एक्साइज इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर गिरफ्तारी होनी चाहिये थी, ठीक है। मेरी सूचना है कि एक्साइज इन्सपेक्टर ने तो रिपोर्ट की गिरफ्तारी के लिये लेकिन जिलाधीश ने गिरफ्तारी नहीं कराई। तो क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर को देखते हुये इसमें जो दो अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसकी जो इन्क्वायरी थी उसके अनुसार अदालत को केस भेज दिया गया है। जिसका जुर्म था, वह सब-इन्सपेक्टर था। सब-इन्सपेक्टर जब गये तो इन्सपेक्टर एक्साइज को इल्म नहीं था। उसने फौरन कार्यवाही करके ठेले को पकड़ लिया।

श्री सुखपाल पांडेय--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि निरीक्षक को दंड दिया जाय। मैं आपके द्वारा जानकारी करना चाहता हूं कि उनकी गिरफ्तारी के लिये जो रिपोर्ट की गई, जो रिपोर्ट आबकारी निरीक्षक ने की, उस पर कार्यवाही की। जिस अधिकारी ने शीरा पकड़ा और रिपोर्ट दी कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाय उस पर जिलाधीश और कमिश्नर ने सांठ-गांठ करके भ्रष्टाचार के कारण से गिरफ्तारी नहीं कराई।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया गया।

(माननीय अध्यक्ष के प्रश्न संख्या १२ लिये जाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री सुखपाल पांडेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इस किस्म की कोई सूचना नहीं है। तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप पूछ चुके।

श्री सुखपाल पांडेय--

श्रीमन्, छिपाया जा रहा है .....

श्री अध्यक्ष--

वह गलत उत्तर हो सकता है, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*९-१०--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[२रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५३-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*११—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर के सिठभरा ग्राम में बिजली

*१२—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा दिसम्बर, १९७० में कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के सिठभरा गांव में कल्सर नियम से बिजली लगाये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त सिठभरा गांव में बिजली लगाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई और बिजली कब तक लग जायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी नहीं । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे १८-१२-७० के पत्र पर, जिसमें सिठभरा गांव के विद्युतीकरण के लिये लिखा था, भूतपूर्व मंत्री, श्री शान्ति प्रपन्न जी ने विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष को यह आदेश दिनांक २३-१२-७० को दिया था कि वहां तुरन्त जांच कराकर बिजली लगाने का प्रयत्न करें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी सूचना है, वहां अधिशासी अभियन्ता, जिलाधीश या अन्य किसी सम्बन्धित अधिकारी को नलकूप के लिये या अन्य इसी तरह के सिंचाई कार्यों के लिये पावर के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं दिये गये ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि गांव की तरफ से ट्यूबवेल और विद्युतीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे तो क्या बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगा कि वह प्रार्थना-पत्र अवश्य दें । फिर विचार करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र उनको बिजली देने का प्रयास करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता के पास नहीं दिया गया । माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि भूतपूर्व मंत्री ने आदेश दिया था अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् को कि वहां विद्युतीकरण किया जाय । तो उन आदेशों पर विद्युत् बोर्ड ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अध्यक्ष महोदय, विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष को यह प्रार्थना-पत्र दिया गया है, इसकी जानकारी तो मुझको नहीं है लेकिन जहां तक पावर देने का प्रश्न उठता है, जिलाधीश या अधिशासी अभियन्ता.....

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी पहले प्रश्न सुन लें, समझ लें, तब उत्तर दें । बिना सुने और बिना समझे उत्तर दे दिया करते हैं । मैंने प्रश्न यह किया है कि माननीय सदस्य ने भूतपूर्वक विद्यु

मंत्री के आदेश का हवाला दिया कि उन्होंने विद्युतीकरण का आदेश दिया। तो उस सिलसिले में विद्युत् परिषद् ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

श्रीमन्, भूतपूर्व मंत्री ने क्या आदेश दिये इसकी मुझे कतई जानकारी नहीं है। अगर अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् के पास कोई सूचना गई तो वह भी सम्बन्धित अधिकारियों के पास अभी तक नहीं पहुंची है। मैंने तो संबंधित अधिकारियों से, जहां पावर मिलती है, वहां से जो सूचना प्राप्त की है उसके अनुसार उनके पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना अभी तक नहीं पहुंची।

श्री इन्द्र मणि (टिहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि सरकार द्वारा दिसम्बर, १९७० में कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के सिठभरा गांव में कल्सर नियम से बिजली लगाये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त सिठभरा गांव में बिजली लगाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई और बिजली कब तक लग जायेगी ? तो जब प्रश्न स्पष्ट है फिर माननीय मन्त्री जी कैसे कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार के क्या आदेश हुये थे और खाली उन्हें तो कुछ बिजली कर्मचारियों से मालूम हुआ था। यह उत्तर देना कहां तक औचित्यपूर्ण हैं ? सरकार की तरफ से ऐसे उत्तर आ ं यह कहां तक ठीक है ? ये उत्तर गलतफहमी पैदा करते ह।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का उत्तर "जी नहीं" दिया है।

श्री इन्द्रमणि--

जब मन्त्री जी यह कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो फिर सरकार की परिभाषा आपको बतलानी पड़ेगी। यह दोष किसका है--सरकार का या मन्त्रियों का ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिये, इसकी इनक्वायरी करा लेंगे।

श्री इन्द्रमणि--

श्रीमन् मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर से हाउस में गलतफहमी पैदा कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष--

सरकार द्वारा यह उत्तर आया है कि "जी नहीं"।

श्री इन्द्रमणि--

श्रीमन्, आप यह देखें कि इस बात का कहां तक औचित्य है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मन्त्री लोग ही सरकार हैं।

*१३--श्री इन्द्रलाल तथा श्री लालसा--

[२रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्रामों का विद्युतीकरण

*१४—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतावेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, १४, अशोक मार्ग, लखनऊ के पत्र संख्या ५२४२-बी(१)-१रा० वि० प०-(डी), दिनांक २६ अक्तूबर, १९७० के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण —

परिषद् के उल्लिखित पत्र के साथ प्राप्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित ग्रामों का सर्वेक्षण कराया गया। लोहरियासाल, तल्ला व मल्ला तक विद्युतीकरण हो चुका है। शेष क्षेत्र को विद्युतीकरण में १५ प्रतिशत लाभ प्राप्त होने की संभावन नहीं है जिसके कारण विद्युतीकरण के लिये आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

श्री इन्द्र लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना विद्युत् मन्त्री जी ने सदन में दी है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज तक उन गांवों में एक भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। अगर यह बात सत्य है तो क्या विद्युत् मन्त्री जी जिलाधीश के द्वारा इस तथ्य की जांच करायेंगे और संबंधित बिजली कर्मचारियों के विरुद्ध सीरियस ऐक्शन लेंगे ? भूतपूर्व विद्युत् मन्त्री जी द्वारा १९-४-७०, १४-५-७०, और २५-५-७० को मुख्य अभियन्ता विद्युत् को यह आदेश दिया गया था कि वे आदेश भेज कर तुरन्त कार्यवाही कराकर शासन को अवगत करायें। जब ये आदेश चले गये थे तो विद्युत् मन्त्री जी कृपा करके हमें यह बतलायें कि आखिर इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की सूचना माननीय सदस्य ने हमारे सामने उपस्थित की है यदि वह सत्य निकलेगी तो अवश्य ही हम उसकी जांच करायेंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगें। जहां तक आदेशों का सवाल है उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १५ परसेन्ट निकासी न होने के कारण यह काम रुक गया है और रुका हुआ है मगर पुनः सर्वेक्षण के आदेश दे दिये गये हैं और सूचना प्राप्त होने पर सदन को अवगत करा दिया जायगा।

श्री राम धारी शास्त्री—

मान्यवर, २६-१०-७० को ये आदेश हो गये थे कि उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाय। क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन आदेशों के ऊपर कार्यवाही कब शुरू हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मन्त्रीजी को यह जानकारी है कि जब श्री राम लखन विद्युत् मन्त्री थे तो उन्होंने दौरे से लौटने के पश्चात् आदेश दिये थे कि नैनीताल तथा अन्य पर्वतीय जिलों के लिये बजाय १५ पर्सेन्ट के ८ पर्सेन्ट निकासी कर दी जायेगी ? क्या विद्युत् बोर्ड को श्री राम लखन जी द्वारा इस प्रकार के आदेश दिये जाने की जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस संबंध में जांच की जा रही है और इसी आधार पर पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

श्री इन्द्रलाल—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। गत वर्ष जब श्री राम लखन, विद्युत् मंत्री, वहां गये थे, वहां उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों से १५ के बजाय ८ प्रतिशत निकासी की घोषणा की थी। इसकी जानकारी परिषद् को है या नहीं और अगर है तो १५ प्रतिशत वाली बात किस आधार पर की गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पिछले वर्ष तत्कालीन बिजली मंत्री ने ऐसी घोषणा की थी कि पर्वतीय क्षेत्रों से १५ प्रतिशत के बजाय ८ प्रतिशत लाभ लिया जावेगा। इस संबंध में सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन और रूरल कमीशन से पत्र व्यवहार हो रहा है।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

बिजली बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस सदन द्वारा बनाये गये नियमों और केंद्रीय ऐक्ट के अन्तर्गत बना हुआ है। इसके अन्तर्गत जो भी आदेश राज्य सरकार दे सकती है देती रहती है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

*१५—श्री गोविन्द सिंह—

[३रे बुधवार में प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद गोंडा में बिक्री-कर का बकाया

*१६—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में बिक्री-कर का १९६९–७०, १९७०–७१ से ३१ मार्च तक कुल कितना धन बकाया है और वसूल करने में क्या अड़चन है और वसूली करने के लिए कौन-कौन तरीके व्यवहार में लाये गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनपद गोंडा में बिक्री-कर का १९६९-७० तथा १९७०–७१ के अन्त में (अर्थात् ३१ मार्च तक) क्रमशः १४.५८ लाख तथा १८.३७ लाख रुपये बकाया था ?

बकाया की वसूली में एक अड़चन यह थी कि बकाया की कुछ धनराशि ऐसी थी जिसकी वसूली न्यायाधीश पुनरीक्षण द्वारा स्थगित थी तथा नियमानुसार इसकी वसूली संभव नहीं थी। इसके अतिरिक्त कुछ व्यापारियों की माली हालत के कारण कुछ धनराशि अप्रतिलभ्य है। इसके अलावा कुछ बकायादारों के विरुद्ध वसूली के प्रमाण-पत्र जारी करने की अवधि नियमानुसार पूरी नहीं हो पाई थी। अतः इनके विरुद्ध बकाया की वसूली प्रमाण-पत्रों के जारी होने के बाद ही संभव हो सकेगी।

बकाया की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व के बकाये के समान जिले के कलेक्टरों द्वारा की जाती है। बकाया की वसूली के लिये ११० बकायेदारों के विरुद्ध अर्थदंड की

नोट—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कार्यवाही की गयी । १२ के विरुद्ध साइटेशन जारी किया गया, १५ के विरुद्ध गिरफ्तार के वारन्ट जारी किये गये तथा १९ के विरुद्ध हवालात में बन्द करने की कार्यवाही तथा ११ के विरुद्ध कुर्की की गयी ।

*१७—श्री गोबिन्द सिंह—

[३रे बुधवार में प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सीतापुर जिले के माखपुर जरेली ग्राम का विद्युतीकरण

*१८—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम माखपुर जरेली, जिला सीतापुर के कुछ लोगों ने विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु ५२५ रुपया अक्तूबर सन् १९६८ में विद्युत् विभाग, सीतापुर में जमा किया था और विधिवत् कनेक्शन प्राप्त करने के हेतु प्रार्थना-पत्र भी दे दिये थे ? यदि हां, तो अब तक संबंधित ग्रामवासियों को कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां । ग्राम माखपुर जरेली के २१ व्यक्तियों ने विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कुल ५२५ रुपये अर्नेस्ट मनी के जमा किये थे । इस ग्राम के विद्युतीकरण हेतु एस्टीमेट बनाया गया था परन्तु अलाभकारी होने के कारण इस ग्राम का विद्युतीकरण ही नहीं किया जा सका ।

*१९—श्री जयराम यादव—

[४ थे बुधवार के प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२०—श्री रामप्यारे—

[२रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२१-२२—श्री रामप्यारे—

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सीतापुर जिले के ग्रामों में विद्युत् कनेक्शन

*२३—श्री राम लाल राही—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम जमदुवा, पिपरी कलां, महमूदपुर, मोहीउद्दीनपुर, भटपुरवा, सहरोई, अमीरनगर के लोगों ने नलकूप के लिये लगभग-बीस-पचीस लोगों ने विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र सन् १९६८-६९ में दिये हैं जिन्हें अभी तक विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये जा सके ? यदि हां, तो कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण रहे हैं और कब तक संबंधित काश्तकारों को कनेक्शन दे दिये जावेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सीतापुर जनपद के अन्तर्गत ग्राम जमदुआ, पिपरीकलां, महमूदपुर, मोहीउद्दीनपुर, भटपुरवा, सहरोई एवं अमीरनगर के कुल १८ काश्तकारों को नलकूप हेतु विद्युत भार स्वीकृत किया गया है । इनमें से १४ उपभोक्ताओं का एक क्लस्टर बनाकर संबंधित उपभोक्ताओं से निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए आग्रह किया गया

था, किन्तु उनकी सहमति न मिलने के कारण अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा सका है। शेष चार उपभोक्ताओं को उक्त क्लस्टर के विद्युतीकरण के पश्चात् ही कनेक्शन देना संभव हो सकेगा।

विद्युत् विभाग में ट्रांसफार्मर तथा तांबे के तारों की चोरी

*२४—श्री कल्याण सिंह तथा श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६७ से वर्ष १९७० तक ट्रांसफार्मर और तांबे के तारों की चोरी के कारण विद्युत् विभाग को कुल कितनी हानि हुई और उसमें से कितने मूल्य के सामान को मुख्य अभियंता, विद्युत् विभाग ने बट्टे-खाते में डाल दिया और क्यों ? क्या उपरोक्त चोरियों को रोकने के लिये सरकार ट्रांसफार्मर को गांवों की आबादी के निकट लगाये जाने की योजना लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष १९६७ से वर्ष १९७० तक प्रदेश में कुल रु० १,२५,७५,७८५.४१ मूल्य के ट्रांसफार्मर्स और तांबे के तारों की चोरी हुई।

इसमें से कुल रु० ६,८६,४७३.७५ को बट्टे खाते में डाल दिया गया, क्योंकि विभागीय जांच के परिणामस्वरूप इसमें न तो किसी विभागीय कर्मचारी के लिप्त होने की आशंका थी और न ही पुलिस अन्वेषण द्वारा अपराधी अथवा चोरी गये सामानों का ही कोई सूत्र ज्ञात हो सका।

उपरोक्त चोरियों को रोकने के लिये परिषद् के आदेशानुसार अब जो नये ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं वह जहां तक संभव होता है गांव की आबादी के निकट ही लगाये जाते हैं।

*२५-२६—श्री कल्याण सिंह, श्री इन्द्रमणि बडूनी, श्री सुरेंद्र विक्रम व श्री बसन्तलाल शर्मा—

[२रे मंगलवार में प्रश्न संख्या ४१-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुरादाबाद में क्लस्टर बनाने हेतु विद्युत् परिषद् की स्वीकृति

*२८—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले से कौन-कौन से क्लस्टर बनाने हेतु विद्युत् परिषद की स्वीकृति के लिये योजना आई हुई है और अब तक स्वीकृति न मिलने का क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुरादाबाद जिले से विद्युत् परिषद की स्वीकृति के लिये क्लस्टर बनाने के लिये कोई भी योजना नहीं प्राप्त हुई।

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

*२९—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत गत वर्ष में कौन-कौन गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का निश्चय किया गया था और उनमें से किन-किन का विद्युतीकरण हुआ और किन-किन का शेष है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गत वर्ष कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के ग्राम बनीपारा, किशोरा, रसूलाबाद, चिलौली एवं खमैला के विद्युतीकरण का प्रस्ताव था। इनमें से रसूलाबाद का विद्युतीकरण किया जा चुका है, शेष चारों का विद्युतीकरण बाकी है।

*३०—श्री नौनिहाल सिंह—

[८व मंगल में प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देशी शराब की दुकानों को नगरपालिकाओं की सीमा के बाहर स्थापित करना

*३१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार देशी शराब की दुकानों को घनी बस्तियों के बाहर ले जाने, विशेषकर, नगरपालिकाओं में स्थित इन दुकानों को पालिका की सीमा के बाहर स्थापित करने पर विचार करेगी ? क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक ८ अप्रैल, १९७१ को मुख्य मंत्री को मिला ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

(१) जी नहीं, ऐसा करना नियम विरुद्ध होगा ।

(२) पत्र दिनांक ८—४-७१ प्राप्त हुआ था, इसके अतिरिक्त पत्र दिनांक १०-४-७१ जो इस संबध में था, भी प्राप्त हुआ था । चूंकि नियम के अनुसार कोई भी दुकान ग्राम सभा तथा नगर आबादी के बाहर नहीं रखी जा सकती और न ही इस समय पूर्ण मद्य-निषेध लागू किया जा सकता है, अतः पत्रों में जो सुझाव दिये गये थे उनको कार्यान्वित करना संभव नहीं है ।

३२—श्रीमती मसाली देवी—

[३रें बुधवार के प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अलीगढ़ जिले में नरौरा पर परमाणु बिजली गृह की स्थापना

*३३—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में जो नरोरा पर अणु बिजली घर बनना है उस पर कब से कार्य शुरू होगा और कितना व्यय होगा तथा कितनी बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

परमाणु विद्युत् गृह की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में की जायगी । अतः आवश्यक सूचनायें भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा संकलित की जा रही है और शासन को अभी उपलब्ध नहीं हैं । इस समय केवल सर्वेक्षण का कार्य चालू है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट से प्रभावित उद्योग

*३४—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बिजली का जो संकट आया हुआ है उससे कितने उद्योग प्रभावित हुए और उसके लिये सरकार तुरन्त क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश में बिजली की कमी के कारण रेलवे प्रतिरक्षा, सैन्य अधिष्ठान, समाचार पत्रों के छापेखाने, कोल्ड स्टोरेज तथा बर्फ की फैक्टरियों को छोड़ कर अन्य सभी उद्योगों पर

२५ प्रतिशत की कटौती की गई थी । अब वर्षा के कारण स्थिति सुधर गई है और २५ प्रतिशत की कटौती २६/२७ जून, १९७१ की मध्य रात्रि से समाप्त कर दी गई है ।

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक में निजी नलकूपों को बिजली

*३५—श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत महाराजगंज ब्लाक में बिलरियागंज में १ जनवरी, १९७० से लेकर २१ मई, १९७१ तक कितने किसानों ने सरकारी धन लेकर निजी नलकूप लगाये हैं और उनमें से कितने लोगों को बिजली की लाइन दी गई है और शेष को अभी तक लाइन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आजमगढ़ जिले में महाराजगंज ब्लाक१-११-१९६७ को विघटित हो चुका है और उसका अधिकांश हिस्सा बिलरियागंज तथा आंशिक हिस्सा हरैया ब्लाक में मिला दिया गया है । इस लिये महाराजगंज ब्लाक में किसानों द्वारा १-१-१९७० से २१-५-१९७१ तक सरकारी धन लेकर निजी नलकूप लगाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बिलरियागंज ब्लाक में १-१-१९७० से २१-५-१९७१ तक१९ किसानों ने भूमि विकास बैंक से ऋण लेकर नलकूप लगाये हैं । इनमें से १ किसान ने डीजल से नलकूप चालू किया है तथा १ किसान को बिजली दी जा चुकी है । शेष १७ किसानों को उनके द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें न पूर्ण करने के कारण विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया जा सका है ।

महाराजगंज ब्लाक का वह आंशिक हिस्सा जो हरैया में मिला दिया गया है उसके संबंध में बांछित सूचना शून्य है।

*३६—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन किसानों को अभी तक लाइन नहीं मिली है उन लोगों को वह तत्काल लाइन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, जिन उपभोक्ताओं ने विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली है उन्हें शीघ्र ही बिजली प्रदान कर दी जायेगी ।

जिला बदायूं के उझयानी विकास खंड के ग्रामों का विद्युतीकरण

*३७—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला के अन्तर्गत उझयानी विकास खंड के किन ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना सन् १९७१-७२ में है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला बदायूं के अन्तर्गत उझयानी विकास खंड के ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई अनुबंधित योजना नहीं है । फिर भी प्राविधिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये गये उक्त विकास खंड के अधिक से अधिक गावों को इस वर्ष बिजली देने का प्रयास किया जायगा ।

*३८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[३रे मंगलवार में प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विद्युत् परिषद् के वार्षिक घाटे की जांच के लिये उच्च स्तरीय समिति

*३९—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के वार्षिक घाटे की जांच करने के लिए अभी हाल में किसी उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो घाटे के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी विचार करेगी। इस समिति की सदस्यता तथा अन्य विषय शासन के विचाराधीन हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा मुन्नालाल ऐण्ड कम्पनी की ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी के गोदाम पर बनस्पति घी के टीनों का पकड़ जाना

*४०—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या रसद एवं पूर्ति मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि १२ मई, १९७० को जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ ने शहर के निकट जिले के मशहूर जखीरेबाज मुन्नालाल ऐण्ड कम्पनी की ट्रांसपोर्ट एजेंसी के गोदाम पर छापा मार कर लगभग ४०० बड़ा टीन वनस्पति घी का बरामद किया ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

दिनांक १२ मई १९७० को जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ ने न्यूकश्मीर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, आजमगढ़ के गोदाम पर छापा मार कर ३७५ टीन प्रति १६.५ किलो का वनस्पति पकड़ा। उक्त माल सर्वश्री मुन्नालाल ऐंड कम्पनी, मोहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़, फुटकर वनस्पति बिक्रेता लाइसेंस नं० २४९ द्वारा कानपुर से सेल्फ के नाम उक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी के जरिये बुक किया हुआ पाया गया। किसी कानून का उल्लंघन न पाये जाने के कारण सब माल उक्त बिक्रेता के हक में छोड़ दिया गया। उस माल की बिक्री जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा परमिट पर करा दी गई।

एटा में हवालातियों से शारीरिक काम

*४१—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में हवालातियों से शारीरिक काम लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

फतेहगढ़ केन्द्रीय जेल से बन्दियों का भाग जाना एवं संबंधित जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*४२—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में कुछ माह पहले कुछ बन्दी जेल से निकल गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन बन्दी ऐसे ह जो जेल से भाग गये थे और उनमें से अब तक कितने पकड़े जा चुके हैं ? यदि नहीं पकड़े जा सके तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । दिनांक २८-२-७१ /१-३-७१ की रात्रि में २-३० से ३-२८ के बीच दो दंड प्राप्त बन्दी लक्ष्मन तथा बदाम सिंह केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ से भाग गये थे । दोनों भगोड़े बन्दी पकड़ लिये गये हैं ।

*४३—श्री महरम सिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि केंद्रीय कारागार में फतेहगढ़ से बंदियों के भागने से संबंधित षड्यंत्र आरोप में कुछ कारागार के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, इन बंदियों के जेल से भागने के संबंध में केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ के एक जेलर, एक सहायक जेलर, तीन हेड वार्डर तथा चार वार्डर निलम्बित कर दिये गये हैं । जिन जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है उनके नाम तथा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप संलग्न तालिका में उल्लिखित हैं ।

[देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४५ पर]

देवरिया जेल से एक कैदी का भागना

*४४—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या यह सही है कि देवरिया जिला जेल से मार्च-अप्रैल, १९७१ में एक कैदी भाग गया था ? यदि हां, तो उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*४५—श्री रामधारी शास्त्री—

[३रे शुक्रवार में प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत, स्थानान्तरित ।]

*४६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

रिहन्द बांध विद्युत् गृह की उत्पादन क्षमता

*४७—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्ड डैम, मिर्जापुर की विद्युत् उत्पादन क्षमता सन् १९६९ तथा १९७० में क्या थी तथा क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

रिहन्ड डैम मिर्जापुर की कुल वार्षिक क्षमता ९० करोड़ यूनिट है जो रिहन्द जलाशय में पानी की कमी के कारण घट कर वर्ष १९६९-७० में ६२ करोड़ ५० लाख यूनिट तथा १९७०-७१ में ७४ करोड़ ९० लाख यूनिट रह गयी ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रिहन्द डैम की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये कन्हर नदी को रिहन्द जलाशय में मिलाने की योजना पर जांच पड़ताल की जा रही है ।

असिस्टेन्ट एक्साइज कमिश्नर के पद पर रेगुलर सेलेक्शन

*४८—श्री रियासत हुसैन तथा श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या आबकारी मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पिछले पंद्रह साल से असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के पद के लिये कोई भी रेगुलर सेलेक्शन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इन पंद्रह वर्षों में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के पदों पर किसको प्रमोशन दिया गया और उसका आधार क्या था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लगभग पिछले १४ वर्षों से सहायक आबकारी आयुक्त के पदों के लिये कोई रेगुलर सेलेक्शन नहीं हुआ है । वर्ष १९६० से समय-समय पर उपलब्ध रिक्तियों पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की तदर्थ रूप से स्थानापन्न नियुक्तियां शासन तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आबकारी अधीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां करने हेतु बनायी गयी मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई ।

खाद्य पदार्थों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक

*४९—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन खाद्य पदार्थों पर एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगी है तथा इस प्रकार की रोक लगाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी सिंह—

इस समय किसी भी खाद्यान्न के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक नहीं है । केवल धान और चावल का एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में रेल या मोटर गाड़ी द्वारा वहन बिना परमिट के नहीं हो सकता है । प्रायः पहाड़ी जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश को आठ ब्लाकों में बांटा गया है जिसका उद्देश्य धान और चावल के भावों को नियंत्रित करके उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता बनाये रखना, चावल की उगाही सुगम करना तथा अन्य प्रदेशों को तस्कर व्यापार रोकना है।

राज्य के पेन्शनर्स को मासिक वृद्धि

*५०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार अपने राज्य के पेंशनर्स को भी केंद्रीय सरकार के समान ही एडहाक १० रुपया प्रति माह की वृद्धि देगी तथा यह सिद्धांत रूप में स्वीकार करेगी कि किसी भी पेंशनर की पेंशन ६० रुपये से कम न हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

विजली की दर में कटौती तथा नये विजली घर का निर्माण

१—श्री यादवेंद्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो सरकार ने २५ प्रतिशत बिजली की कटौती कर दी है तो क्या बिजली के रेट में भी २५ प्रतिशत कमी की है या करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

२५ प्रतिशत बिजली की कटौती २६/२७ जून १९७१ की अर्धरात्रि से वापस ले ली गई है । इस कटौती के साथ बिजली के रेट में कोई कमी नहीं की गई थी ।

२—श्री यादवेंद्र दत्त दुबे—

क्या सरकार बिजली की कमी को पूरा करने के लिये नये बिजली घरों का निर्माण करा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री नारायणदत्त निवारी—

बिजली की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित बिजली घरों का निर्माण किया जा रहा है।—

(अ) हरदुआगंज चतुर्थ चरण— ११० मेगावाट
(ब) ओबरा पंचम मशीन— ५० मेगावाट
(स) ओबरा प्रसार प्रथम चरण—३०० मेगावाट
(द) यमुना हाउसिंग द्वितीय चरण—३६० मेगावाट (२ पावर हाउस)
(य) यमुना हाइडिल चतुर्थ चरण—३० मेगावाट
(र) राम गंगा— २८० मेगावाट

इनके अतिरिक्त हरदुआगंज पंचम चरण, पनकी प्रसार, प्रथम ओबरा थर्मल द्वितीय चरण, मनेरी भाली टिहरी आदि योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

जौनपुर के रामपुर बाजार में बिजली की व्यवस्था

३—श्री यादवेंद्रदत्त दुबे—

क्या सरकार जिला जौनपुर के रामपुर बाजार में कालीन के बुनकरों को उनके उद्योग के लिये रामपुर में बिजली घर बनवाकर बिजली देने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस समय जिला जौनपुर के रामपुर बाजार में बिजली भदोही उपगृह से दी जा रही है । यदि भविष्य में इस क्षेत्र की बिजली की खपत बढ़ जायेगी तो वहीं विद्युत् उप-गृह बनाने पर विचार किया जायेगा ।

४—६—श्री पन्नालाल गुप्त—

[२रे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ५—७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला कारागार, बरेली से कैदी सर्वश्री बाबूराम व मेवाराम का जेल से छोड़ा जाना

७—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या कारागार मंत्री को पता है कि जिला कारागार, बरेली में कैदी श्री बाबू राम व श्री मेवाराम, निवासी सड़ा, डाकखाना न्योरा जिला पीलीभीत भा० दं० वि० की धारा ३९६ के अन्तर्गत दिनांक २३ जुलाई, १९५४ से सजा काट रहे हैं और उनको सन् १९६८ में छूट जाना चाहिये था, किन्तु आज तक जेल से उनको छोड़ा नहीं गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

बन्दीगण बाबू राम तथा मेवा राम अपना-अपना आजीवन कारावास का दंड भोग रहे हैं । यह सही नहीं है कि सन् १९६८ में उनको छूट जाना चाहिये था । शासन ने प्रशासकीय आधारों पर उन्हें समय से पूर्व मुक्त करना स्वीकार नहीं किया है ।

८---श्री सुरेंद्र विक्रम---

क्या कारागार मंत्री को यह भी पता है कि उपरोक्त दोनों कैदियों के साथी जिनको इनके बराबर ही सजा थी छोड़े जा चुके हैं और श्री मेवाराम को छोड़ने के लिये जेल अधीक्षक, बरेली ने पिछले ६ महीने में कई बार लिखा और वायरलेस भेजे फिर भी छोड़े नहीं गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उपरोक्त बन्दीगण के ३ साथी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, अभी नहीं छोड़ गये ह । बन्दी मेवा राम के विषय में जेल अधीक्षक, बरेली का पत्र अक्तूबर, १९६९ म तथा रेडियोग्राम जुलाई, १९७० में आया था जिसमें उसके रोल के विषय में शासन के आदेश मांगे थे । शासन का यह निर्णय कि शासन द्वारा श्री मेवाराम के मामले पर तब विचार होगा जब कि वह २० वर्ष का अपरिहार कारावास काट ले, जेल अधीक्षक को जुलाई, १९७० में भेज दिया गया था ।

स्वायत्त शासन कर्मचारियों द्वारा अनशन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

हमारे स्वायत्त शासन कर्मचारी विधान सभा के सामने हड़ताल कर रहे हैं और उनका १७ तारीख तक ११ पौंड वजन कम हो गया । आपको मालूम होगा कि नगरपालिका के कमचारियों की इस संबंध में हड़ताल होने जा रही है और मुख्य मंत्री जी उनकी मामूली बातों पर भी विचार करना जरूरी नहीं समझते हैं । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और मांगों को स्वीकार कर लें और अनशन समाप्त करा दें । ऐसा न हो कि वहां पर कोई दुर्घटना न हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

सदन के समक्ष अनशन हो रहा है, कोई मर गया तो क्या होगा ?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

आपके हाउस के बाहर अन्जुमने अनहार के वाइस प्रेसीडेंट, जगदीश प्रसाद जी हड़ताल कर रहे हैं । मैंने इस संबंध में १५ दिन पहले सूचना दी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इस संबंध में मुख्य मंत्री जी कुछ बतलावें ।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

नित्यानन्द जी नित्य ही निद्रा में रहत हैं । उनका अनशन समाप्त हो गया । उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री के हाथ से रस पिया है और वहां से उठकर चले गये हैं । इस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह लोग कुछ अपनी मीटिंग कर रहे हैं। आज प्रातःकाल उन लोगों ने अपना अनशन तोड़ दिया था और अब वह इस वक्त अपनी मीटिंग कर रहे हैं। उनकी मांगों पर हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। यह आश्वासन उन्हें दे दिया है। उनकी दो बातें थीं। एक तो यह कि वेतन आयोग को हमारा मामला सुपुर्द कर दिया जाय। यह पहले ही सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरी बात उनके मन में यह थी कि जो आठ रुपया अन्तरिम सहायता दी जा रही है उसके संबंध में कदाचित नगरपालिकाओं को यह अधिकार है कि वह देना चाहें तो दें और सरकार इस संबंध में उनकी सहायता जितना बोझ उन पर पड़ेगा उसे देखते हुए किस सीमा तक करेगी यह प्रश्न विचाराधीन है। इसलिये नगरपालिका कदाचित उन्हें अन्तरिम सहायता न दे। यह निश्चय कर दिया गया कि उन्हें अन्तरिम सहायता मिलनी है और अनिवार्य रूप से मिलेगी। कितना बोझ नगरपालिका और कितना बोझ सरकार उठायेगी यह उनके बीच की बात है। जहां तक अन्तरिम सहायता का प्रश्न है यह उन्हें मिलेगी। यह पहले से नीति थी लेकिन कुछ भ्रांति उनके मन में थी वह दूर कर दी गई है।

विविध विषयों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अन्जुमने अनहार के वाइस प्रेसीडेंट आज तक अनशन किये हुये हैं। उसका दफा ५२ में दिया था। आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

आप किस के लिये कह रहे हैं ?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अन्जुमने अनहार के वाइस प्रैसीडेंट श्री जगदीश प्रसाद अनशन कर रहे हैं और वे १२ तारीख से अनशन पर हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है। फिर उठायें।

सचिव विधान सभा—

आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं ....।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

शुक्रवार को दफा ५१ में चीनी मिलों की बाबत में दिया था। ९ लाख रुपया किसानों का बाकी है।

(व्यवधान)

कुंवर शिवमहेंद्र सिंह (जिला बिजनौर)—

एक पाकिस्तानी के अवैध रूप से रहने के लिए दिया था और वह जवाब दिलवाने के लिये स्वीकार भी कर लिया था।

श्री अध्यक्ष—

उसने अपील कर दी है और वह सुप्रीम कोर्ट में गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अगर सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन भी है तो यहां पर यह जानकारी करनी है कि इस व्यक्ति को नगरपालिका के अन्दर खड़े होने की अनुमति नहीं मिली·····।

श्री अध्यक्ष—

जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यहां का नागरिक है या नहीं और अगर पाकिस्तान का नागरिक है तो उसका जाना लाजिमी है, तब तक कोई प्रश्न नहीं उठ सकता।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

उसकी अवांछनीय हरकतें हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है।

कुंवर शिव महेंद्र सिंह—

जो किया था उसका हुआ क्या ?

श्री अध्यक्ष—

वह नहीं लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

आपकी अनुमति से मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से १६ जुलाई, १९७१ को यह संदेश प्राप्त हुआ है कि विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ जुलाई, १९७१ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :

"विधान सभा द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को यदि विधान सभा भी सहमत हो, तो वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

दूसरी सूचना है की उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ जो विधान सभा द्वारा १३ जुलाई, १९७१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १६ जुलाई, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

तीसरी सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ जो विधान सभा द्वारा १४ जुलाई, १९७१ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १६ जुलाई, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (१९७१–७२) का प्रथम प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष (श्री बासुदेव)—

नियम समिति (१९७०-७१) का प्रतिवेदन ८ दिसम्बर, १९७० को सदन के पटल पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २५१ (ग) के अधीन माननीय रामप्यारे सदस्य, विधान सभा, ने प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों में २२ दिसम्बर, १९७० को आठ संशोधनों की सूचना दी। माननीय रामप्यारे के संशोधनों का आशय यह था कि नियम समिति द्वारा की गयी नौ सिफारिशों में से छह: को बिलकुल निरस्त कर दिया जाय, दो को परिष्कारों सहित तथा केवल एक को मूल रूप में स्वीकार किया जाय। समिति ने उन आठ सिफारिशों के संबंध में विस्तार पूर्वक पुनर्विचार किया। समिति की सिफारिशों को निकालने के बारे में जो संशोधन थे वे केवल नकारात्मक मत के बोधक थे और समिति के समक्ष किसी भी ओर से ऐसा युक्तयुक्त तर्क नहीं आया जिसके आधार पर वह इनमें से किसी सिफारिश को निकालने की संतुति करती। जहां तक समिति की सिफारिशों को परिष्कृत करने के संशोधनों का संबंध है- स्थिति इस प्रकार है। समिति ने अपने प्रतिवेदन के पैरा (४) में यह सिफारिश की थी मास के प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे से पांच बजे अपराह्न तक असरकारी कार्य हो। मा० रामप्यारे ने इस कालावधि को घटा कर केवल २ घंटे रखने का सुझाव दिया था। समिति असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये समय कम करने के पक्ष में न थी। अतः समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। माननीय रामप्यारे का एक अन्य संशोधन प्रस्तावित नियम ७३ के उपनियम (२) व ३ का निकाल देने के बारे में था इन नियमों यह उपबन्ध किया गया था कि यदि कोई सदस्य नियम ७३ के अन्तर्गत निलम्बित हो जायगा तो वह सदन के परिसर में प्रवेश करने से वर्जित रहेगा और सदन की समितियों की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगा। नियम २९९ के अन्तर्गत निलम्बन दंड के संबंध में उपबन्ध विद्यमान है किन्तु वे नियम ७३ में उल्लिखित निलम्बन के दंड के संबंध में लागू नहीं है। अतः समिति ने एकरूपता की दृष्टि इन उप नियमों को रखना आवश्यक समझा।

पुनर्विचार के मध्य समिति ने यह देखा कि १९७०–७१ की नियम समिति ने नियम २१६(२) के अंतिम शब्द "किन्तु इस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा" निकालने की सिफारिश की थी। वर्तमान समिति इन शब्दों को निकालने के बारे में सहमत नहीं है और तदनुसार उसने यह सिफारिश की है कि इन शब्दों को रहने दिया जाय। प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय उपस्थापक की अभ्युक्ति पर वाद-विवाद होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रतिवेदन पर बाद में विचार का उपबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समिति ने नियम २१६ (४) की शब्दावली में साधारण संशोधन किया है जिससे यह प्राविधान हो जायेगा कि मांग किये जाने पर माननीय अध्यक्ष उसके औचित्य को देखकर प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं नियम समिति (१९७१–७२) का प्रथम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष ने, जो नियम समिति के सभापति हैं, नियम २१६ के उपनियम (१) के अनुसार इस प्रतिवेदन को उपस्थित करने के लिए मुझे प्राधिकृत किया था। यह प्रतिवेदन नियम २५१ (घ) के उपबन्धों के अनुसार तीस दिन तक सदन के पटल पर रहेगा।

भीमताल तथा समर फोर्ड के निकट रोडवेज की बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

इस दुर्घटना के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं—रोडवेज की बस संख्या यू० एस० आर० ३११३, ११ जुलाई, १९७१ को शेड्यूल्ड सर्विस, हल्द्वानी से रानीबाग-भीमताल रोड से होती हुई

[श्री बलराम सिंह यादव]

पदमपुरी जा रही थी । बस हल्द्वानी से ४.३० अपरान्ह में चली । बस में ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर २७ सवारियां थी । हल्द्वानी से १७ मील ५ फर्लांग चलकर शाम को लगभग ६ बजे बस भीमताल के निकट पहुंची । वहां बगल के पहाड़ से गिरे हुए सड़क पर पत्थर के बड़े टुकड़ों से बस टकराई । जिस स्थान पर यह बस टकराई वहां पत्थर गिरने से सड़क अत्यधिक संकरी हो गई थी । पत्थर से टक्कर होने पर चालक के हाथ से स्टियरिंग छूट गया जिसके कारण बस सड़क के नीचे लुढ़कती हुई गिरी और करीब ५० फीट नीचे ताल में गिर कर पानी में डूबी ।

भीमताल बाजार और भीमताल रोडवेज बस स्टेशन, ताल के जिस ओर हैं उसके दूसरी तरफ सामने स्टाल पर घटना हुई, जिसको लोगों ने देखा । कुछ नाव वाले, कुछ रोडवेज के कर्मचारी व पुलिस कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने व निकालने के प्रयास में लगे ।

भीमताल बस स्टेशन के श्री हरीशचन्द्र नामक कर्मचारी ने ६.१५ सायंकाल फोन पर प्रधान प्रबन्धक, रोडवेज को जो भुवाली में थे, दुर्घटना की सूचना दी । इसी के बाद उसने सूचना जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल और सुपरिंटेंडेंट पुलिस को भी दी । प्रधान प्रबन्धक, भुवाली से डाक्टर वहां के दरोगा और रोडवेज के कुछ कर्मचारियों को लेकर, दो बसों और एक ट्रक के साथ लगभग ४५ मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये और यात्रियों को निकालने तथा उनके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया । भीमताल के रोडवेज के कर्मचारी वहां के डाक्टर के साथ लगभग ६.३० पर पहुंचे । जिला मजिस्ट्रेट व सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और सिविल सर्जन, नैनीताल के दुर्घटना स्थल पर लगभग ७.३० तक पहुंच गये । दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों की सहायता और मृतकों के शवों को बाहर निकालने का कार्य रात दो बजे तक चलता रहा ।

दुर्घटना के बाद कुल १४ व्यक्ति जीवित निकल आये जिनमें चालक और परिचालक सम्मिलित हैं । १५ व्यक्तियों की लाशें निकाली गई । मृतकों में ६ वयस्क पुरुष, २ स्त्रियां और ७ बच्चे थे । बस में कोई मैकेनिकल खराबी नहीं थी । चालक, श्री लाल बहादुर विभाग के कुशल चालक बतलाये जाते हैं । दुर्घटना आकस्मिक थी ।

१२ जुलाई, १९७१ को प्रातः कुमायूं मंडल के आयुक्त और डी० आई० जी० घटना-स्थल पर पहुंचे । जिलाधिकारी, नैनीताल ने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने के लिये आदेश कर दिये हैं ।

जिन १५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनमें से १४ को पहचान लिया गया और उनके शव उनके रिश्तेदारों को दे दिये गये । एक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी । मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों को १००० रु० प्रति मृतक को मुआवजे (ex-gratia) के तौर पर स्वीकृत कर दिया गया है ।

माननीय श्री डूंगर सिंह विष्ट ने २८-६-७१ को समर फोर्ड के निकट हुई दुर्घटना के बारे में भी सूचना चाही है । समयाभाव के कारण विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है परन्तु इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जो सूचना एकत्र की जा सकी है वह निम्न प्रकार है:-

जून २८, १९७१ को प्रातः रोडवेज की एक बस संख्या यू० एस० आर० ४३६८ जो शिड्यूल्ड सर्विस पर थी, हलद्वानी-दुर्गानगर मार्ग पर जा रही थी । १०.३० बजे प्रातः रामगढ़ से लगभग साढ़े चार मील के फासले पर समर फोर्ड आर्चर्ड के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी । उस दिन वर्षा के कारण सड़क काफी भीगी हुई थी और जगह-जगह पर उसके नीचे मिट्टी पोली हो गयी थी । दुघटना का कारण यह था कि एक ("S" turn) पर जाते समय चालक ने गाड़ी सड़क के बांयीं ओर काटी परन्तु दुर्भाग्यवश पहिय के नीचे मिट्टी फिसल जाने के कारण बस सड़क के पैरापिट से टकरा गई और उसे तोड़ते हुए नीचे खड्ड में १२० फीट की गहराई

में गिर गई। दुर्घटना में ३ व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी और १७ व्यक्तियों को चोटें आईं जिनमें बस के चालक और परिचालक भी शामिल हैं। घायलों को नैनीताल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी नैनीताल और पुलिस अधीक्षक उसी दिन घटनास्थल पर पहुंच गये और सहायता कार्य के लिये व्यवस्था की।

बस सं० यू० एस० आर० ४३६८ के चालक, श्री राम सिंह और परिचालक, श्री ललित जोशी थे। गाड़ी के वर्कशाप से चलने से पहले चेक की गई थी और वह फिट थी। यह बतलाया गया कि दुर्घटना आकस्मिक थी। इस दुर्घटना के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी, नैनीताल ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के लिये आदेश दे दिये हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वर्कशाप से निकलने के पहले क्या इस बस की कोई और भी शिकायत प्राप्त हुई थी?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इससे पहले इस बस में खराबी रही होगी लेकिन जिस समय यह बस वहां से चली थी बस स्टेशन से, उस समय कोई मेकेनिकल डिफेक्ट की बात सामने नहीं आयी थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो सड़क पर बोल्डर गिरने की बात कही गयी है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दुर्घटना से कितने समय पहले पहाड़ का टुकड़ा सड़क पर गिरा था और उसके गिरने के बाद उसको वहां से हटाने की कार्यवाहियां क्यों नहीं की गयीं?

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये था। इसके ऊपर ज्यादा प्रश्न आप नहीं कर सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं निवेदन करूं कि जो दुर्घटना हुई है उसका कारण केवल बतलाया गया है कि पहाड़ का टुकड़ा गिर गया था। चालक बड़ा अच्छा था, मेकेनिकल डिफेक्ट भी कोई नहीं था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बोल्डर गिरा था वह कितने समय पहले गिरा था और उसको वहां से क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना तो उनको लेनी पड़ेगी न।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, गैर-सरकारी बसें जो चलती हैं उनका तो १५ दिन में फिटनेस होता है लेकिन परिवहन विभाग की जो बसें हैं उनका १५ दिन के अन्दर फिटनेस नहीं होता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। १५ दिन के अन्दर इनका भी फिटनेस होता है। माइलेज निर्धारित होती है, उतना माइलेज चलने के बाद ही फिटनेस होती है। अगर कोई मेकेनिकल डिफेक्ट बीच में हो जाता है तो बीच में ही फिटनेस हो जाती है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं मौके पर देख कर आया हूं इसलिये आपके माध्यम से शासन को इस सम्बन्ध में कुछ सूचना देना चाहता हूं। हमारे परिवहन मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है कि वहां पर पहाड़ गिर गया था, मैं आपके माध्यम से विश्वास के साथ शासन को बतलाना चाहता हूं कि वहां पर बिल्कुल प्लेन जगह है, कोई पहाड़

[श्री इन्द्रलाल]

गिरा नहीं है । केवल मेकेनिकल डिफेक्ट की वजह से और क्षेत्रीय परिवहन विभाग (वर्कशाप) की गलती से भीमताल झील में वह बस डूब गयी । यह जो बतलाया गया है कि केवल १५ लाशें मिलीं, पहले दिन १४ लाशें मिलीं और दूसरे दिन ४ लाशें मिलीं । बार-बार जनता कोशिश कर रही है कि ३ लाशें जो अब भी वहां मौजूद हैं उनको निकालने के साधन उपलब्ध कराये जायं लेकिन रोडवेज की तरफ से इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । यह बिल्कुल निर्विवाद है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारी गलती मेकेनिकल डिफेक्ट की है । इसलिये माननीय मंत्री जी तुरन्त ही वहां के वर्कशाप को लाक अप करा कर खुफिया तौर पर उसकी जांच करवायें ।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप अपनी सूचना संबंधी एक स्टेटमेंट बना कर माननीय मंत्री जी को दे दीजिये और माननीय मंत्री जी कृपा करके उसकी तुरन्त जांच करा कर उसकी डिटेल सदन को दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय सदस्य ने जो अभी कहा, वह कोई नयी बात नहीं है । क्योंकि खासकर के हमारे माननीय मंत्रिगण जब अपने स्थान पर रहते हैं तो अपने अधिकारियों की रक्षा करते हैं, उसमें अपने मस्तिष्क का कोई प्रयोग नहीं करते । लेकिन उस प्रश्न के संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया था । उन्होंने कहा है कि एक हजार रुपया कम्पेनसेशन दिया गया । यह किस आधार पर तय किया जाता है उनको एक हजार कम्पेनसेशन दिया जाय या उनको दो हजार दिया जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो मृत्य हुई थी, विभाग के अधिकारियों ने, हम लोगों ने तय किया कि एक हजार रुपया मुआविजा दे दिया जाय । आधार केवल यह है कि चूंकि मृत्य हो गयी इसलिये विभाग ने तय किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

नैनीताल के एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि बोल्डर वगैरह नहीं था, चालक की असुविधा से दुर्घटना हुई, क्या माननीय मंत्री इस की जांच करवायेंगे? दूसरे, प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर एक दिन में लगभग ४० हजार रुपया खर्च होता है और जब उत्तर प्रदेश में दौरा करती हैं तो इस सरकार को ४ लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, इस को देखते हुए एक हजार रुपया फी मृतक मुआविजा क्या उचित है ?

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दे रहे हैं या सहायतार्थ दे रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने सवाल किया । यह बीच में कहां से आ गये ?

श्री राममूर्ति अंचल—

बीच में आने की आदत तो जायसवाल जी की है मेरी नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बीच वाले के नाम से जाने जायेंगे आप ।

श्री अध्यक्ष—

अभी आपने ऐसा किया है । उन्होंने पूछा कि आप इसकी जांच करेंगे कि क्या पत्थर पड़ा था ?

श्री राममूर्ति अंचल—

वह तो प्रधान मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कह रहे हैं ।

(श्री नित्यानन्द स्वामी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह मैं कह चुका हूं कि इंद्रलाल जी ने जो कहा उस पर परिवहन मंत्री जी आपको लिखित स्टेटमेंट दें । फिर से जांच करके सदन को कृपा करके दें । यह मैंने पहले ही कह दिया । जो आपने प्रश्न किया, यह सदन चाहता है, मैं सदन की तरफ से बोल रहा हूं सदन चाहता है कि इसकी जांच फिर से कर लें । एक सदस्य साफ कहते हैं कि हम वहां जाकर देख आये, वहां ऊपर से पत्थर आये हों, यह चीज नहीं । इस बारे में इसके ऊपर फिर से जांच कर लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपका बहुत बहुत धन्यवाद । आपने आदेश दे दिया मंत्री जी को जांच करने के लिये लेकिन मेरे प्रश्न का जो दूसरा अंश था उसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि एक हजार काफी है या नहीं ? यह तो चीज राय की है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

राय का कोई आधार भी होना चाहिये । प्रधान मंत्री पर जहां फी दिन ४० हजार और चार लाख रुपया खर्च हो वहां एक मृतक के लिये एक हजार रुपया जिन्दगी भर का ?

श्री अध्यक्ष—

यह नये टाइप का सोशलिज्म है ।

श्री गोबिन्द सिंह—

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में हर गाड़ी थर्ड पार्टी रिस्क में इंश्योर्ड होती है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी बीमा कम्पनी से भी उन मृतकों को मुआविजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

देखा जायगा कि क्या किया जा सकता है ।

श्री धर्मवीर—

आपने आदेश दिया है इन्द्रलाल जी की सूचना पर मंत्री महोदय इसकी पुनः जांच करें । तो सदन में मंत्री महोदय अपनी जांच की रिपोर्ट कब तक देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है तो उनको करना ही होगा ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मैं, आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३६–७५० पर)

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैंने १४ तारीख को दफा ५२ के अन्तर्गत अंजुमने अनहार के संबंध में नोटिस दिया था किन्तु अभी तक आपने कोई इत्तला उसके संबंध में मुझे नहीं दी है ।

श्री अध्यक्ष—

५ बजे आपको देख कर बतला दूंगा । आपको उसकी सूचना मैं दे दूंगा ।

१९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, हम लोग बजट पर विचार करने के लिये बैठे हैं । बजट हर वर्ष आता है और जाता है । जो अनुदान आते हैं उनको हम मंजूर कर देते हैं । यह सरकार हमेशा यह संकल्प ले कर आती है कि किस तरह से गरीबी दूर की जायगी और पिछड़ापन दूर किया जायगा अथवा बेरोजगारी दूर की जायगी अर्थात् जो प्रस्तुत समस्यायें प्रदेश की हैं उन्हें हल करने का संकल्प लेकर यह सरकार आती है । लेकिन हम इस पर विचार करें कि आज भी सरकार ने इसको स्वीकार किया है कि यह प्रदेश भारतवर्ष में सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में एक प्रदेश है और इसके ५४ जिलों में ३६ जिले सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं । इसका कारण क्या है ? हमारे देश के तीन प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के ही हुए हैं । उनकी सहायता का जहां तक संबंध है उन्होंने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए न तो प्रदेश की सहायता की और न उस पर विचार ही किया । आगामी वर्षों में जब उत्तर प्रदेश का प्रधान मंत्री नहीं रह जायगा तभी शायद इस प्रदेश का कल्याण होगा । जहां तक प्रदेश की सरकार का प्रश्न है, २३–२४ वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार शासन में रही है । हम इसकी विवेचना करें कि कौन से कारण थे कि यह प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ है और इसकी कोई समस्या हल नहीं हो सकी । क्या हमसे जितना रुपया मांगा गया उसको हमने नहीं दिया ? अथवा क्या कांग्रेस सरकारों की नीति गलत थी या कोई अन्य कारण थे ? क्या नौकरशाही ने कांग्रेस सरकार का साथ नहीं दिया या भ्रष्टाचार ने उसकी नीतियों को

---

†१६ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही से ।

असफल बना दिया ? पहला कारण हम लेवें कि जितना रुपया हमसे मांगा गया क्या हमने उतना रुपया मंजूर नहीं किया ? १९४६-४७ अर्थात् स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति हम देखें।

तब हमारी आय २२ करोड़ ९३ लाख थी तो खर्च ३९ करोड़ ९३ लाख हुआ। अब १९७१–७२ में यह आय बढ़कर ५९४ करोड़ ५३ लाख हुई तो खर्चा ६४२ करोड़ हो गया। यानी खर्चा ४० करोड़ से बढ़ कर १९७१–७२ में ६४२ करोड़ हो गया। हर १० वर्ष के बाद सौ सौ और दो दो सौ करोड़ रुपये खर्च बढ़ाये हैं और कभी-कभी ३०० करोड़ खर्च भी बढ़ाया है। फिर भी मान्यवर, प्रदेश की दशा क्यों नहीं सुधरी। तीन योजना काल बीत गये चौथी योजना काल का भी कुछ अंश बीत गया किन्तु क्या कारण है कि हमारे प्रदेश की दशा नहीं सुधरी है ? इसका मुख्य कारण यह था कि इनकी नीति गलत थी और इन्होंने बिना सोचे समझे योजना बनाई और यही कारण था कि हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। यह बहुत अफसोस की बात है कि पूरे प्रदेश में ३६ जिलों की स्थिति अभी तक सुधर नहीं सकी। मान्यवर, विवरण के साथ मैं इस समय बात नहीं करना चाहता क्योंकि थोड़े-थोड़े शब्दों विभिन्न विषयों पर हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। मगर इसका जिम्मेदार कौन है और किसको जिम्मेदार बनाया जाय। अन्त में आता है कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। इसकी सारी योजनायें गलत थीं, इसकी नीतियां गलत थीं। हम जानते हैं कि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है और उसका उद्धार तभी हो सकता है जब कि हम कृषि पर विशेष बल दें, उद्योग पर विशेष बल दें। ऐसे छोटे उद्योगों पर बल दें जिनका आधार कृषि हो और जो पावर के माध्यम से चलते हों। मान्यवर, तभी हम इस प्रदेश और देश की बेकारी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। किन्तु आज २३ वर्ष इस कांग्रेस शासन को हो गये हैं, अभी तक प्रदेश की हालत नहीं सुधरी है, इन्होंने क्या किया ? मैं उद्योग के बारे में संक्षेप में कहूंगा।

मान्यवर, कृषि की स्थिति बड़ी दयनीय है। कृषि हमारे प्रदेश का प्रमुख उद्योग होते हुये भी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

मान्यवर, सिंचाई जो कि कृषि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसका प्रबन्ध यह सरकार पूरी तरह से नहीं कर पाई है और उसका (जोत) १/३ हिस्से में ही सिंचाई का प्रबन्ध हुआ है। किसानों के बारे में इस सरकार ने क्या किया। आज हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण छितौनी बांध का है इतना रुपया लगाने के बाद वह बांध आज टूट गया है। किसान आज भगवान के भरोसे पर रहता है। हर वर्ष करोड़ों रुपये की हानि उसे और सरकार को हो जाती है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ४ सौ करोड़ रुपये की हानि इस प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई। आज भी वह बाढ़ अभी तक सारे प्रदेश में फैली हुई है। पूर्वी जिलों में अभी इसका प्रकोप फैला हुआ है। इन २३ वर्षों में इन्होंने क्या किया ? इस देश का प्रमुख उद्योग खेती है उसकी दशा अभी तक नहीं सुधरी है। कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे सूखे की स्थिति को बचाया जा सके। कहते हैं हम खेती में क्रान्ति लाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह क्रान्ति कैसी है ? इसका फायदा मुट्ठी भर आदमियों को ही हो सकता है जिनके पास पैसा है, जिसके पास ट्यूबवेल हैं। छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वहां पर कितना विकास हुआ है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है तो क्या कारण है कि आज गांवों के लोग शहरों में बढ़ते चले आ रहे हैं। उसका एक ही कारण है और वह यह है कि अभी भी गांवों में विकास नहीं हुआ है, वहां उनके लिये भोजन, पानी की समस्या है, रोजगार नहीं है और जीवकोपार्जन के साधन नहीं हैं इसलिये वे शहरों में चले आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि खेती में भी सरकार की नीति असफल रही है अगर कोई यह कहे कि उन्होंने अन्वेषण किया था तो गेहूं के बारे में किया कैश क्राप्स और अन्य फसलें तो वैसे ही पड़ी हैं।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ऐसी स्थिति में सरकार अगर खेती पर किसी प्रकार का कर लगायेगी तो देहात में क्रान्ति हो जायगी और आप चैन से नहीं बैठ पायेंगे।

दूसरी समस्या उद्योग की थी। केन्द्रीय डेवलपमेंट मिनिस्टर के वक्तव्य को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि १८ जिलों में कोई उद्योग नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई औद्योगिक वातावरण नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति दुर्बल और अनिश्चितता की रही है। इन्फरा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, नहीं है। केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य नहीं था, प्रान्तीय सरकार का था। वह आने जाने के साधन उपलब्ध करते, सड़कों को बनवाते इत्यादि, यह उसमें आते हैं। तब छोटे-छोटे उद्योग और अन्य उद्योग पनप सकते थे, आगे बढ़ सकते थे बड़े-बड़े उद्योगों को उन्होंने कितने उत्तर प्रदेश को दिलाये, विचार करें। इनकी नीति कहां तक सफल रही। बंगाल से सारे उद्योग भाग रहे हैं, लेकिन एक भी उत्तर प्रदेश में नहीं आया, यह इनकी गलत नीति के कारण हुआ। बाहर से आने वालों का कोई प्रश्न नहीं है। यदि उनको कोई सुविधा देने की बात आती है तो नौकरशाही जितना विलम्ब हो सकता है, वह करती है इस कारण से वह यहां से चले जाते हैं। हमारे उद्योग मंत्री ने कहा है कि १० वर्ष में औद्योगिक आय १८३ से २८६ हो गयी। इसमें कितना पब्लिक सेक्टर का अंश है और कितना प्राइवेट सेक्टर का? पब्लिक सेक्टर में आप प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी को देख लें। केवल एक संस्थान है सारे पब्लिक सेक्टर में जिससे कुछ आय होती है और वह है चुर्क सीमेंट फैक्टरी और किसी माने में रोडवेज है। पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी है, या सिंचाई विभाग को लें इन सब में हमारे काम करने की अकुशलता और असफलता दिखाई देती है तथा करप्शन दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो पब्लिक सेक्टर हैं उसमें पूरी असफलता है। प्राइवेट सेक्टर में विचार करें. कि पिछले कितने दिनों में फाइनेंशियल संस्थान जो हैं उनमें कितनी दरख्वास्तें आयीं प्राइवेट एंटरप्रिन्योर की रुपयों के लिए, कितनी मंजूर की गयीं? क्या उनको प्रोत्साहन दिया गया यह देखने की चीज है। उसी से पता चलेगा कि किस प्रकार से औद्योगिक विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में आबादी का १.४ परसेंट इसमें अलग हुआ है। हमने कौन सी प्रगति की है?

कहा गया कि उद्योग के लिए बहुत सी सहूलियतें हमने दी हैं। लेकिन ३,३०० प्रार्थना-पत्र जो आये उनमें उत्तर प्रदेश से आये प्रार्थना-पत्रों की संख्या १२० ही है। तो औद्योगिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं, कोई विकास हमने नहीं किया। मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इतने वर्षों में जो रीढ़ थी (हमारे उत्तर प्रदेश के विकास का उद्योग) वह कितने लगे और उसमें कितना रुपया खर्च किया है और कितने लगाये? यह मैंने संक्षेप में कृषि और उद्योगों के बारे में कहा, जब भिन्न-भिन्न अनुदान लाये जायेंगे तो उन पर विस्तार से विचार होगा। इन दोनों की इतनी महत्ता होते हुए भी इनकी बड़ी भारी अवहेलना की गयी है। यही कारण है कि हजारों और लाखों की संख्या में हमारे प्रदेश में लोग बेकार पड़े हैं। सारे भारत में १० हजार आदमी प्रतिदिन बेकार होते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस विषय में प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिल सके। कहा जाता है कि वह साढे तीन करोड़ हैं। जिनमें हजारों इंजीनियर और टैक्नीकल पर्सोनेल हैं। हमने प्लानिंग बनाते समय इस बात पर कत्तई विचार नहीं किया कि शिक्षा हमें अपने नौजवानों को किस प्रकार की देनी है। और न इस सरकार ने यह प्रयत्न किया कि हमारे यहां जो श्रम पूंजी पड़ी है उसको किस प्रकार से उद्योगों में लगाया जाय। इन चीजों की ओर हमारी सरकार का सदा ही दुर्लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि समाज अस्तव्यस्त होता जा रहा है और बेरोजगारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उनमें बिलकुल भी कमी नहीं आ रही है, नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही है।

मंत्री जी ने बताया कि बेकार इंजीनियरों को निजी रोजगारों में लगाने का प्रयत्न किया जायगा । उन्होंने यह भी बताया कि वे एक प्लानिंग बोर्ड और एक प्लानिंग इंस्टीट्यूट बनायेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि कि पिछले २१ वर्षों से वे लोग कहां सो रहे थे । हर वर्ष माननीय मंत्री जी के पास, सरकार के पास प्रोग्रेस रिपोर्ट आती होगी । हर तीसरे और पांचवें साल भी उसकी रिपोर्ट आपको मिलती रही हैं लेकिन फिर भी आपने अपने प्रदेश की प्रमुख समस्या की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया । जब कोई काम बिगड़ जाता है तो दुनिया की आलोचना से बचने के लिये आप कमीशन बोर्ड की स्थापना कर देते हैं । पिछले २३ वर्षों में भी आपने उच्चतम अधिकारियों से परामर्श किया है और हर पंचवर्षीय योजना उन्हीं के परामर्श से बनायी है, फिर आपको अपने प्रदेश की दयनीय दशा क्यों दिखायी नहीं दी ? आपके प्लानिंग विभाग का अधिकारी आई०सी०एस० है । अगर उसका परामर्श ठीक नहीं था तो अभी तक उसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया । यह बोर्ड और इंस्टीट्यूशन्स की बात कोरी कल्पना है । यह तो सिर्फ कन्डेमनेशन से बचने के लिये कह दिया गया है । आपने इस प्रदेश को बरबाद किया है, इसका कोई विकास नहीं किया । आपको चाहिये आप अपनी नीति को फिर से निर्धारित करें । आपने अपनी नीति पाश्चात्य देशों को देख कर बनायी है । आपने यह नहीं सोचा कि वह हमारे देश के अनुकूल होगी या नहीं । आपने क्या यह भी कभी सोचा कि आपके पास पूंजी की कमी है और लेबर की अधिकता है । हमारे यहां जो लेबर है उसका उपयोग यह सरकार नहीं कर सकी है ।

आज गांवों की दशा बहुत खराब है । आप लोगों को सस्ता न्याय भी नहीं दे सके हैं । आप जिस तथाकथित कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं उसमें गरीबों को दवा भी नहीं मिल सकती । गांवों के अस्पतालों में जो दवा दी जाती है उससे अगर हिसाब बैठाया जाय तो १ आना प्रति आदमी प्रति वर्ष का औसत आता है । बस्ती जिले की बांसी तहसील की बात के आधार पर यह बात मैं ठीक प्रकार से कह रहा हूं ।

आप जनता को न्याय भी नहीं दे पा रहे हैं । साठ हजार केसेज आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं । यह हमारे प्रदेश के प्रशासन का ही इसमें पूरे तौर से दोष है तो न तो सस्ता न्याय दे सकते हैं, न सस्ती दवा दे सकते हैं । महंगाई और बेकारी के पाट में वह अलग पिस रहे हैं । शिक्षा की स्थिति में भी अगर अन्य प्रदेशों से मुकाबला करें तो हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे हैं । प्रारम्भिक शिक्षा के रजिस्टर सब झूठे बनते हैं । मैंने स्वयं देखा कि अगर २०० का नाम लिखा है तो केवल १०० विद्यार्थी आते हैं । इनकी आज्ञा ऐसी है कि रजिस्टर भरे होने चाहिये । हम लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिये यह आंकड़े दिया करते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय वित्त मंत्री चले गये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अनेक बार यह कहा गया कि वित्त मंत्री नहीं हैं । इस बारे में जो भी आपकी आज्ञा हो ।

ये कहते हैं कि यहां की आमदनी बहुत बढ़ गयी, गरीबी कहां है । २५३ से २५९ आमदनी हो गई है । यह तो कोई मूर्ख आदमी भी समझ जायगा कि यह बिल्कुल गलत है । पहली बात तो यह है कि आंकड़े अमूमन सही नहीं होते । अगर सही मान भी लिये जायं तो इसी समय में जितनी महंगाई बढ़ी है, जितना मूल्य रुपये का घटा है, चीजों की जितनी कीमतें बढ़ी हैं । क्या इस सब को देखते हुये यह मानेंगे कि नेट इंकम २५९ हुई ? कदापि नहीं । बल्कि और घट गयी है । हम नित्य प्रति के जीवन आवश्यकता की चीजों को पूरा नहीं कर पाते । आज उसकी क्या स्थिति होगी जो केवल

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

भोजन करता है और वह भी एक ही प्रकार का भोजन और फटे-पुराने कपड़े पहनता है तो आज उसकी आमदनी नहीं बढ़ी और हर तरह से उसकी दुर्दशा हो गयी ।

अब मैं कुछ दूसरे पहलुओं को कह कर बजट के मामलों को फिर छुऊंगा । अगर हमने प्लान बनायी तो उसमें हर चीज गलत नहीं होगी । उसको एग्जीक्यूट करने वाली यह ब्यूरोक्रेसी है । आज जो सामग्री है और उसका प्रयोग करने वाले, दोनों जब गड़बड़ हों तो प्रदेश का सत्यानाश हो जायगा । और आज इस सत्यानाश की स्थिति पर पहुंचने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है जिसनें पिछले २४ सालों में इस ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन करने की दिशा में एक भी पग नहीं उठाया । अभी हमारे मुख्य मंत्री ने रवीन्द्रालय में कहा कि सर्विसेज को रिवाइटलाइज करना चाहिये । केवल यह कह देने से कुछ नहीं होता । आपने पिछले २३ साल में क्या किया ? अगर आपको उनके प्रति सहानुभूति है तो हमें भी उनके प्रति सहानुभूति है लेकिन सवाल है जनता की भलाई का । अंग्रेजों के जमाने में सार्वभौम सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी और यह ब्यूरोक्रेसी उनकी नौकर थी और राज्य करने की कल्पना इनके मस्तिष्क में थी । स्वतंत्रता के बाद सत्ता हस्तांतरित हो कर प्रजा में आ गयी और अब सार्वभौम सत्ता प्रजा के हाथ में है । तो यह ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेजों के जमाने में बादशाह की नौकर थी अब प्रजा की नौकर हो गयी । लेकिन अभी तक इनके मन में यह नहीं आया कि हम प्रजा के नौकर हैं । अगर इसकी जिम्मेदारी किसी पर है तो इस कांग्रेस सरकार पर है जिसने प्रजातंत्र के एक-एक रेशे को कमजोर किया । आज जनता का विश्वास नौकरशाही से उठ गया है । एक उदाहरण मैंने दिया । पहली बात तो यह कि इनकी मनोवृत्ति नहीं बदली । इस विकास के युग में और इस प्लानिंग के युग में ब्यूरोक्रेसी को इसके योग्य नहीं बनाया गया, उनको ट्रेन नहीं किया गया । पुरानों को तो जाने दीजिये । जो नये नवयुवक आते हैं उनको क्यों नहीं ट्रेनिंग दी गयी ? आपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव रेफार्म्स कमीशन की बात की । आपने भाषण दिया कि सिंचाई पी० डब्लू० डी० आदि तथा वित्तीय विभागों में प्रक्रिया कैसे बदली जाय यह हम सोच रहे हैं । इस पर कौन विचार कर रहा है । वही जो आज तक कार्य करते आये ? कौन वित्त विभाग का एक्सपर्ट है ? कौन अर्थ-विभाग का एक्सपर्ट है ? कौन इसका निर्णय देगा ? यह सब धोखा है । यह उसी पुरानी सड़ी-गली पद्धति को कायम रखना चाहते हैं । ५२ ऐडमिनिस्ट्रेटिव रेफार्म्स कमीशन बैठ जायं, कोई लाभ नहीं होगा । यह तो केवल आलोचना को चुप करने के लिये है । इनका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है । ये लोग इस प्रजातंत्र में चल नहीं सकते हैं और न चला सकते हैं । इसके साथ मैं यह भी कहता हूं कि जो नौकरशाही में लोग हैं मैं उनको ठेस पहुंचाने की दृष्टि से यह नहीं कहता लेकिन मेरी अपनी ऐसी भावना है जिसके आधार पर मेरे ये विचार हैं कि उनके मन में यह बदलाव क्यों नहीं आता है कि वह इस जनतंत्र में अपने को एडजस्ट कर सकें ।

एक बात बहुत कही जाती है कि सरकारें बदल रही हैं जिसके कारण इन लोगों पर इस व्यवस्था का प्रभव पड़ता है । कहा जाता है कि ६९, ७० और ७१ में भारतवर्ष में और हमारे यहां भी जल्दी जल्दी सरकारें बदलीं और उसके कारण उस सर्विस पर भी असर पड़ा । भारतवर्ष में ही नहीं दूसरे देशों में भी दुनियां के ऐसा हुआ है कि जहां पर जल्दी-जल्दी सरकार बदलती रही हों । फ्रांस व इटली में ऐसा हुआ । दिगाले के समय में ३,३ महीने में सरकारें बदलती गईं लेकिन सर्विसेज पर उसका कोई प्रभाव नहीं आया । इटली में भी सरकार जल्दी-जल्दी बदली लेकिन सर्विसेज पर कोई प्रभाव नहीं आया । बल्कि ऐसा है कि वहां पर पहले की अपेक्षा दुगुनी गति से वहां पर हुई है । सरकारें आती हैं और जाती हैं लेकिन वह अपनी एक पालिसी रखती हैं । मगर यहां पर तो नई सरकार उस पालिसी को ही बदल देती है । पहली सरकार के निश्चय को ही बदल दिया जाता है । साथ ही जो अधिकारी होते हैं उनको भी बदल दिया जाता है । जनहित को सामने रखकर यदि पहले की संविद सरकार ने कोई ठीक निर्णय लिया तो उसको भी बदल दिया

जाता है । सरकारी अधिकारियों का बदलना भी उसी आधार पर होता है । सरकारी अधिकारियों की तरक्की कार्य के आधार पर नहीं बल्कि पार्टी के आधार पर होती है । मैरिट के आधार पर कोई अधिकारी उन्नति नहीं पाता है । अगर कोई कितना ही एक्सपर्ट सर्विसेज में आ जाय और राष्ट्रहित के अनुरूप वह कार्य भी करे लेकिन वह भी मैरिट के आधार पर उन्नति नहीं पा सकता है । यदि कोई अधिकारी पब्लिक के हित की बात सोचता है और राष्ट्रभावना से प्रेरित होकर कार्य करता है तो ऐसा अधिकारी, इस सरकार की पालिसी ऐसी है कि वह उन्नति नहीं पा सकता है । मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि ऐसा करना किसी प्रकार से उचित है । मैं मंत्री रह चुका हूं और अपने बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूं लेकिन जो मेरे नीचे काम करने वाले रहे हैं वे इस बात को जानते होंगे कि मैंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अपने दल या अपने परिवार के लिये कहा जा सके.। मैंने किसी के लिये एक कार्य भी इस तरह का नहीं कराया है। जब तक मैं मंत्री रहा कोई भी इस तरह का काम नहीं कराया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप सर्विसेज को रिवाइटलाइज करें । उस जिम्मेदारी के अन्दर मैं भी आता हूं लेकिन इन लोगों ने तो सर्विसेज के अन्दर एक तरह सेल कायम कर दिया है । चाहे चरणसिंह जी की सरकार हो, या कमलापति की सरकार हो या गुप्ता जी की, लेकिन जनता भी इस बात को जान गई है वह समझने लगती है कि अब वह आने वाले हैं और उनके वह अधिकारी हैं। पार्टी का प्रभाव उन लोगों पर भी आ गया है। चाहे जज हों, चाहे वह सेक्रेटरी हों या कमिश्नर हों उनके पदों में अब मैरिट की कोई बात नहीं रह गई है । केवल पोलिटिकल प्रेशर की बात रह गई है । लोग आकर कहते हैं कि हमको सेक्रेटरीशिप के लिये या जजशिप के लिये सिफारिश कर दी जाय । हमको सेक्रेटरी बना दिया जाय । जो लोग इस तरह से अ.बलाइज्ड रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैरिट फिर पीछे चली जायगी । क्योंकि इकानामी का यह सिद्धांत है कि "बैड मनि ड्राइव्स गुड मनि आउट आफ सरकुलेशन" । किसी भी सिफारिश के आधार पर जो लोग आगे आयेंगे, उन्नति पायेंगे उनको देखकर मैरिट वाले पीछे चले जायेंगे । वे हतोत्साह हो जायेंगे । उनका साहस टूट जायगा । वह भ्रष्ट होते जायेंगे। नैतिकता का स्थान वहां पर नहीं रह जायगा और वह अनैतिकता सर्विसेज में भी आ जायगी । सरकार आई और बस ट्रांसफर शुरू हुये। मुझे याद है जब मैं घर पर था तो अखबारों में पढ़ा करता था कि जे०डी० शुक्ल आने वाले हैं । एम०लाल जाने वाले हैं । जनता समझने लगी है कि वह उसका आदमी है, वह आयेगा । जनहित किस बात में है उसका किसी को पता नहीं । आखिरकार कारण क्या है या हवा पहिले ही कहां से फैली । वह आये और बस आते ही व्हिस्पिरिंग शुरू हो गयी । यह व्यक्ति निकाला जायगा, कौन आयेगा, कौन किस का आदमी है, वह हमारा आदमी है आदि आदि ।

दूसरा एक उदाहरण है श्री इसलाम अहमद का ये कौन साहब हैं कैसे आदमी हैं, सारा जमाना उनको बहुत अर्से से जानता है सारी जनता उनके नाम से परिचित है कि वह किस तरह से सुपरसीड किये गये, क्या क्या उन के काले कारनामे रहे, किस तरह से उन के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी हुई, करप्शन के चार्जेज उन पर लगे, मैं व्यक्ति के नाते केवल सिद्धांत के लिये कहता हूं । हजरतगंज कांड भी हुआ जिससे वह संबंधित थे लेकिन हमारा मतलब उससे नहीं है। उनका कैरेक्टर रोल कैसा था और जो सस्पेंड किया गया और उसकी हवा कब उड़ी । जब कि यहां पर सक्सेना जी आई०जी० थे, उन के लिये कहा गया कि वह जायेंगे और उनकी जगह दूसरे आई०जी०आयेंगे । अब यह सब होते हुए भी जब ऐसे आई०जी० इस सूबे के आ गये तो इस पद पर तो वह विरोधियों को कैसे जिन्दा रहने देंगे ? और जाहिर है कि जब इतना कृपापात्र वह बने हैं तो वह इन के इशारे पर ही चलेंगे । मैं तो कहूंगा कि भविष्य में आने वाले एलेक्शन के लिये गोटी बिठाई जा रही है ।

इसी तरह से जे०एन० तिवारी की बदली की बात है, वह बदल कर कहीं जा रहे हैं, किस ने कहा कि वह कमिश्नर हो रहे हैं । उनके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है । एल०आर०

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ने रिपोर्ट की, गलत हो तो मैं क्षमा किया जाऊं । विजिलेंस कमीशन ने, एल०आर० ने ला विभाग ने रिपोर्ट दिया, उनके खिलाफ केस बना लेकिन वह एकदम गायब हो गया और फिर कह दिया कि केस नहीं बना । इस तरह से यह मदारी का सा खेल हो गया । मैं कहता हूं कि अगर किसी के खिलाफ आरोप न हो तो बात दूसरी है लेकिन अगर हो तो उस को इस तरह से हश-अप नहीं किया जाना चाहिये जैसे कि श्री एल०एन० मिश्रा का केस विहार में हश-अप हो गया । यदि एक सरकार सरकार होने के नाते किसी अधिकारी के प्रति ऐसा करती है तो ऐसे अधिकारी के प्रति या ऐसी सरकार के प्रति ही किस का विश्वास रह जायगा । कौन अधिकारी इस से डिमारेलाइज नहीं होगा और चाटुकारिता कौन नहीं पसन्द करेगा ? इस तरह से सारा साधुवाद लोकलाज और चरित्र किस में विकसित होगा जब सरकार इस चीज को बढ़ावा देगी ।

दूसरी बात यह है कि हमारे मंत्रियों का भी....

श्री अध्यक्ष---

कितना समय आप ज्यादा लेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं आगे संक्षेप में कहूंगा कि वैसे आप हमारे लोगों को न बोलने दें तो कोई हर्ज नहीं होगा । तो मैं यह कह रहा था कि जिस तरह से सर्विसेज को डिमारेलाइज करने के काम किये जाते हैं । पब्लिक में क्या आलोचना होती है उस को जाने दें लेकिन मंत्रियों के कमरों में कैसा क्रिटिसिज्म होता है, कभी कभी वह सच्चाई कह दी जाती है । इसका भी अन्दाजा लगाया जाय कि राजनीति को भ्रष्ट करने की जो यह दलबदलू की नीति निकली उस पर भी नैतिकता को भ्रष्ट करने की दृष्टि से आरोप है । किसी के विषय में मेरे पास कुछ लिखित बातें हैं लेकिन जब तक कि वह सब्सटेंशियेट न हों उनको मैं सत्य नहीं मानता हूं लेकिन अगर आज एक मंत्री या अनेक मंत्री दलबदलुओं में से शामिल हैं तो यह जो आई० ए०एस० या पी०सी०एस० के अधिकारी हैं वह अगर ऐसे दल बदलू मंत्री के नीचे काम करते हैं जिस के पास कोई निष्ठा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, किसी सिद्धांत के प्रति कोई श्रद्धा नहीं तो इनके नीचे, वह किस तरह से निष्ठा से और श्रद्धा से काम करेगा ? उसका उत्साह क्षीण होता है और उसमें काम करने के लिये कोई प्रेरणा नहीं रह जाती ।

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए ।)

अगली बात यह है कि अगर किसी अन्य दल का आदमी किसी को समझ जाता है तो उस पर आरोप लगता है और कहा जाता है कि मुमकिन है यह दूसरे दल का हो । मैंने ३ कारण दिये वह सब मौजूद हैं, राजनीतिक लोग भी भ्रष्ट करने को उनको मौजूद और जिन्होंने सत्ता पाने के लिये दल बदला उन के नीचे कोई काम करता है, निजी स्वार्थ के लिये जिन्होंने दल बदला यदि उन के नीचे काम करता है तो उस का क्या मारल रह जायगा । यह आप समझ सकते हैं । हमारे सामने ऐसी चीज नहीं थी, लोगों की भीड़ लगी रहती थी आज देख लीजिये । ट्रांसफर्स का एक नमूना देख लीजिये । आज भीड़ वालों का एक नमूना देख लीजिये । हो सकता है कि हम लोग भी ऐसे रहे हों । लेकिन इन्होंने ऐसी परिपाटी बना दी है कि गाड़ी लीक पर चली और २३ वर्षों में धीरे धीरे इस ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने नष्ट कर दिया । हम कैसे अवाइड कर सकते हैं । श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और इस देश की भक्ति भावना से ओत प्रोत होकर क्या वे अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे, और प्लानिंग के युग को आगेब ढ़ायेंगे और सोचेंगे कि हम उनके प्रतिनिधि असेम्बली में रहते हैं ? इतनी तो मैंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात की ।

अब मैं दूसरी बात की ओर आता हूं । कहा जाता है कि जहां अर्थ व्यवस्था आवश्यक है वहां फैमिली प्लानिंग भी आवश्यक है । मैं व्यक्तिगत रूप से फैमिली प्लानिंग के विरोध में हूं । फैमिली प्लानिंग के लिये बहुत से लोगों की राय है कि होना चाहिये और बहुत से लोग विरोधी भी हैं। इस समस्या को यदि इस देश के समस्त देशवासी राष्ट्रीय समस्या समझें तो इस समस्या का हल हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता । मगर इस देश में कितने लोग हैं जो इसको राष्ट्रीय समस्या समझते हैं । क्या सब लोगों ने इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझकर आचरण किया है ? मुझे जनसंघ में होने के नाते गलत न समझें। मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वे कहां तक इस समस्या को अपनी समस्या समझते हैं ? वे कहते हैं कि यह तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप है और हम फैमिली प्लानिंग में विश्वास नहीं करते । एक मुसलमान सज्जन की बात मैं बता रहा हूं कि उनके सात लड़के थे और वे कहने लगे कि मैं तबाह हूं इनकी खिलाई पिलाई कैसे करूं । मैंने कहा कि आप जवान आदमी हैं बच्चे पैदा न करिये । लेकिन उसने कहा कि यह मेरे धर्म के खिलाफ है । वह सप्लाई आफिसर की स्टेट्स का आदमी था । वह उसको धर्म के खिलाफ कहता है । वह उसको कम्युनल समस्या समझता है राष्ट्रीय समस्या नहीं समझता इसी प्रकार और समस्याओं में भी वह अपनी राष्ट्रीय समस्या मानकर नहीं चलता । वह जानता है कि यह प्रजातंत्र का युग है। वयस्क मताधिकार में हम बढते जायेंगे। संख्या अपनी नहीं घटेगी। राजनीति में वे अपनी कम्युनिटी के लिये आते हैं। इसलिये वे तैयार नहीं हैं, आपकी फैमिली प्लानिंग में सहयोग देने के लिये । माइनारिटीज के लोगों की स्थिति दूसरी है रूप अलग है । हमारे कांस्टीट्यूशन में वे हमारे शरीर के अंग हैं । उन्हें हम अपने रक्त का रक्त समझते हैं । उनमें दरिद्रता है । वे समझते हैं कि रिजर्वेशन से हमारा काम होता जायेगा । उनमें भी संख्या बढ़ाने की चाह है। वे सोचते हैं कि बच्चा पैदा होगा वह काम करेगा हमारी आमदनी बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग के बारे में जो कुछ समझाने का प्रयास किया वह जनसंघ ने किया जिसको कहा जाता है कि यह साम्प्रदायिक दल है। हम यह नेशनल समस्या को लेकर आपके सामने आते हैं तो हमें साम्प्रदायिक कहा जाता है । मिडिल क्लास की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती है । एक तो दो बच्चे होने से आनन्द से वे रहना चाहते हैं लेकिन उन व्यक्तियों के हृदय में भी आग जली है देश प्रेम की, उनके हृदय में देश के प्रति अनुराग है, उनकी संख्या कम हो जायेगी। वे कहां जायेंगे अगर इनकी यही नीति रही । कांग्रेस के लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उन के मुसलमान भाई नाराज हो जायेंगे । उनको वोट नहीं मिलेगा । जो राष्ट्रीय समस्या है वह उनके लिये कम्युनल समस्या है । अगर आप दरअसल कहते हैं कि यह नेशनल प्राब्लेम है तो इसका राष्ट्रीय समाधान कराइये । इसकी दवा भी नेशनल इस्तेमाल कराइये । चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो अगर वह इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानकर भी उसकी अवहेलना करता तो उसका डिफैन्चाइज कराइये । अगर उन की संख्या बढ़ती है तो आपके लिये वह स्वयं समस्या हो जायेगी । हिन्दू, मुसलमान या इसाई सब के लिये एक कानून होना चाहिये । निश्चित रूप से देखा जाय कि जनसंख्या घटी या नहीं उस जाति की । मैं कहता हूं कि देश को समझो, और सोचो नहीं तो वह बरबाद हो जायेगा । नेशनल लेबिल पर कानून बनाओ जो सब पर लागू हों।

मान्यवर, मैं चेतावनी देता हूं आज अगर इस नेशनल प्राब्लम पर नेशनल दृष्टि से ध्यान नहीं दिया गया तो बीस वर्ष बाद हिन्दुस्तान की तस्वीर बदल जायेगी । तब, इस संस्कृति को देखकर आपके मन में जो सिसक होती है, वह काम नही आयेगी । अगर यह नेशनल प्राब्लम है तो नेशनल स्ट्रोम के साथ वह क्यों नहीं कहना चाहते ? जिन्दगी भर आपने पुष्टीकरण की पालिसी रखी जिसका परिणाम यह हुआ कि देश बंट गया, जिसका परिणाम यह है कि बंगला देश को मान्यता नहीं दे रहे हैं । तो निहायत कंडमनेबिल पालिसी है सरकार की। बैचलर्स की वैसक्टामी करा रहे हैं । संख्या बढ़ाने के लिये कोढ़ी, लूला, लंगड़ा जो मिल गया उसकी वैसक्टामी करा दी ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

अब दूसरी बारूद उर्दू की निकली । श्रीमन्, घृणित से घृणित नीति है इनकी । मैं कहता हूं उथल-पुथल मच जायेगी अगर उर्दू के प्रति यह भावना रखी । सन् ४७ में स्वतंत्रता मिली । जिस भाषा के बारे में सन् १९४७ में टंडन जी ने कहा दिया कि सब काम हिन्दी में होगा, गजट हिन्दी में होगा, आज उसी के खिलाफ इसी सदन में आवाज उठती है और पुराने लोग नहीं उठाते हैं । नये लोग उठाते हैं जिन्हें बीस वर्ष हिन्दी पढ़ने का अवसर मिला । पुराने लोग तो समझते हैं कि पाकिस्तान बन गया, उर्दू उधर चली गयी । श्रीमन् ३-११-४७ को टंडन जी ने उसकी व्यवस्था दी थी । आज बीस वर्ष के बाद जो हिन्दी पढ़ चुके । वह उसका विरोध करते हैं । लेकिन वोट लेने की बात है । उर्दू के लिये एकेडेमी कायम हो रही है । डायरेक्टर कायम हो रहा है । आठवीं क्लास तक कम्पलसरी की जा रही है । और किसकी जगह पर ? संस्कृत को हटा दिया जाय । वोट के कारण इन्होंने भारत की संस्कृति को पैरों तले कुचला है । उर्दू का मैं विरोधी नहीं हूं । लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता । यह राष्ट्र की भाषा नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता तो क्यों मुझे मजबूर किया जाय ? अंग्रेजी के जमाने में मजबूरी थी । मैंने पढ़ा था आठवीं क्लास तक । लेकिन अंग्रेजी के जो कठपुतले हैं कांग्रेस भाई आज उनकी यह देन है कि उर्दू को वह स्थान देने जा रहे हैं । उन्हें पढ़ने से कौन रोकता है ? लेकिन पाल्टीकल इश्यू बना दिया है । इनकी एपीजमेंट की पालिसी की कोई हद नहीं है । लेकिन मैं पुनः चेतावनी देता हूं कि अगर आपने इसको थोपा, जिसका असर हमारी शिक्षा, संस्कृति, और आचार-विचार पर पड़ने वाला है, तो हमें इसको सहन नहीं करेंगे, जनसंघ इसको सहन नहीं करेगा । कुछ भी परिणाम हो । तो नेशनल स्ट्रीम के साथ बहने की उस वर्ग की इच्छा नहीं है । हम सब एक हैं और इसी भावना से रहे, यह भावना उनमें नहीं आ सकी है ।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा---संविद सरकार हैज मेड ए मैस आफ होल फाइनैंशियल स्ट्रक्चर । पता नहीं हमने मैस बनाया या उसका चौगुना मैस वह बना रहे हैं । सबसे पहले शुगर पालिसी को ले लें । मान्यवर, गांव में एक कहावत है, गंवारू भाषा में एक शब्द है "फूहड़" । उससे ज्यादा एक्सप्रैसिव कोई शब्द नहीं है इसलिये उसका प्रयोग कर रहा हूं । इन्होंने एक ऐसी चीज बना दी जो कभी भी न बनी हो और जो बिल्कुल व्यर्थ हो । तो शूगर इन्डस्ट्री को नेशनेलाइज करने की बात कही गयी । ठीक है, यह भी एक नारा है। मैं यह कहता हूं कि आपकी यह इनडिसिसिव पालिसी क्यों है । गुप्ता जी की सरकार रही और चौधरी चारण सिंह जी की सरकार रही । आपने देख लिया कि यह कितना कन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। आप कोई दृढ़ निर्णय लेकर कदम उठाते तो ठीक था । आपने १२ शूगर मिलों को टेक ओवर कर लिया । उसकी बात तो अलग है मगर नेशनेलाइज करने की जो हवा फैली उसके लिए मुझे बड़ा दुःख है । एक दफा कहते हैं कि नेशनेलाइज कर लेंगे और दूसरी मर्तबा कहते हैं कि यह बड़ा मुश्किल सवाल है । शूगर इन्डस्ट्री पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है परन्तु आपने इस महत्वपूर्ण इन्डस्ट्री का सत्यानाश कर दिया । किसान मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि साहब आखिर क्या होगा ? मैंने उनसे कहा कि इन्तजार करो, कांग्रेस सरकार सब करेगी । मैं तो अपनी पार्टी की बात कहता हूं । हमारी पार्टी ने समाजीकरण करने के विषय पर एक निश्चित नीति अपनायी । आपने तो इस इन्डस्ट्री का मेस कर दिया ।

दूसरी बात मैं करप्शन के बारे में कहना चाहता हूं । यह तो अब सब जगह घुस गया है । करेप्शन के बारे में तो अब कोई सुनना भी नहीं चाहेगा । करेप्शन तो जीवन के हर अंग में पहुंच गया है और बड़ी तेजी से पहुंच गया है। किसी सज्जन ने त्रिपाठी जी के लिये कहा था और उनको विरोध हो गया था । यह कहा था कि किसी कर्मचारी ने कहा कि हमें तो १७५ रु० मिलते हैं क्यों न खाएं जब कि मंत्री जी भी खाते हैं । तो करप्शन कहीं हम लोगों से चिपक न जाए ।

छितोनी बांध का पहले एस्टीमेट १६ लाख रुपये का बना था। वह अब डेढ़ करोड़ का है। वहां पर हजारों आदमी बर्बाद हो गये हैं और अनगिनत मकान गिर गये हैं। गंगा यमुन परियोजना आज तक नहीं बनी। सरकार को चेतना चाहिये। खैर, सरकार चेते या न चेते' मगर एक बात तो सरकार को अवश्य करनी चाहिये। कुछ करेप्शन को तो उसको लिगेलाइज कर देना चाहिए कि अगर इतना काम इतने समय में हो जाएगा तो संबंधित आदमियों को बोनस दिया जायगा। जितने इन्जीनियर्स हैं और जो योजना से संबंधित हैं उनको आप बोनस दे दें। इसके लिए आप ५ वर्ष का टार्गेट रख लें। अगर काम २ साल में पूरा हो जात है तो उनको १५ पर्सेन्ट बोनस दिया जाएगा, ३ साल में पूरा होने पर १० पर्सेन्ट, ४ साल में पूर होने पर ५ पर्सेन्ट और ५ सालों में पूरा होने पर ३ पर्सेन्ट तक बोनस उनको दिया जाए तो ऐसा करना अधिक उचित रहेगा। इसी प्रकार का बोनस मन्त्रियों को भी दे दिया जाए यह बोनस उन मन्त्रियों को दिया जाए जिनके अधीन कोई परियोजना समाप्त होती है। ऐसा करने से काम की स्पीड बढ़ जाएगी।

(मेजें थपथपायी गयीं)

मान्यवर, अब मैं हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिए बड़ा ढोल पीटा था। उनकी मुसीबत को देख कर मुझे तो बड़ा दुःख होता है। ढोल पीट कर हरिजन वोट तो उन्होंने ले लिए, मगर आज उनकी स्थिति क्या है? आज तक उनको कितनी सर्विसेज मिल गयी हैं? कुल १८८३ गजेटेड आफिसर्स हैं और हरिजन राजपत्रित अधिकारी केवल ५५ हैं। २३–२४ वर्ष पश्चात् भी यह सरकार यह ढोल पीट रही है कि हम हरिजनों को सर्विसेज देंगे। मेरा निवेदन तो यह है कि कुछ सर्विसेज में तो केवल हरिजनों को ही आप रख लें। इस संबंध में आप नियम बनावें और केवल लिपसिम्पेथी न दिखाएं।

आप हरिजनों को कागज पर जमीन देते हैं मगर उनको कब्जा नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि इतनी जमीन हरिजनों को दे दी गयी। आप देखें कि कितनी जमीन बेदखल कराकर उनको दी गयी। उनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं। आप गांवों में जाएंगे तो देखेंगे कि घर के नाम पर उनके पास केवल छप्पर है और यह सब देखकर कांग्रेस की तस्वीर आपके सामने आएगी। हरिजनों को शिक्षा देने के लिए यहां से ग्रान्टस् दी जाती हैं। समय से रुपया स्कूलों को नहीं मिलता है और सभी ग्रान्ट्स लेप्स हो जाती है। पी० ए० सी० और आश्वासन समिति में ये मसले आते हैं। यदि आप इन रिपोर्टस् को देखेंगे तो, मान्यवर, थर्रा जाएंगे। इस संबंध में मैं और समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, कहना तो पहले चाहिये था। विजिलेन्स के बारे में हैं। इसमें एक आफिसर चतुर्वेदी थे, मैंने उनको देखा नहीं है। इतना सुना था कि बड़े अच्छे थे। उन्होंने बीसों के खिलाफ इन्क्वारी की होगी, जांच की होगी। मुमकिन है उसमे उन्होंने किसी के प्रति पक्षपात न किया हो। मैंने कहा था कि हर सर्विस में पार्टी की सेल बन रही है। अपने काम कराने थे तो वही आदमी कर सकता था जो अपना आदमी हो। तो चतुर्वेदी जी को बदल दिया गया और शर्माजी आ गये। आज तो चतुर्वेदी जी इन्क्वायरी कर गये हैं, रिपोर्ट दे गये हैं उनके बारे में निष्पक्षता से रिपोर्ट दी है, तो उसमें संघर्ष होगा क्योंकि आई० जी० को बचाना है, दूसरे आदमियों को बचाना है। तो करप्शन से बदलकर उल्टा हो जावेगा अनकरप्शन। ऐसा सीसा लग जावेगा कि हर चीज को साफ कर देगा। क्या यह सरकार की ओर से उचित है? यह जनतांत्रिक प्रणाली नहीं हो सकती है। मैं एक बात कहता हूं। जब से यह सरकार आई है, रोडवेज आया है। जितने रोड्स नेशनलाइज हुई, डी नेशनलाइज हुई, उन्हीं को लेकर देखना चाहिये कि इसमें कितना विलम्ब हुआ है। मेरी बात किसी खास व्यक्ति के लिये न समझी जाय। जब से रोडवेज नेशनालाइज हुआ है, आपने इसको अपने हाथ में लिया है, कई हजार मील सड़क नेशनलाइज की गई है और उसके बाद किन्हीं कारणों से डीनेशनलाइज की गई है, ऐसा क्यों किया गया है। कारण तो अगर अधिकारी को मंत्रीजी का इशारा हो जावेगा तो वह निकाल ही देगा, लेकिन ऐसा

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

करना कहां तक उचित था । सूचना विभाग में लोगों की काली करनी जलाई जाती है ऐसा मुझे मालूम हुआ है । यही विजिलेन्स विभाग में भी होने वाला है ।

बजट के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले एक बात और कह दूं । इस समय सबसे बड़ा अपराध दल बदल हो गया है । मुझे दुख है कि ऐसा क्यों होता है । मैं किसी के सम्बन्ध में व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता हूं । इस दल बदल के कारण आज प्रजातंत्र के रेशे टूट रहे हैं । सर्विसेज यों गईं, जन प्रतिनिधियों का यह हाल है । जितनी घुंटी पिलाई थी और जितने अंग डेमोक्रेसी के बतलाये थे सब खतम हो गये । जातिवाद और धर्मवाद का बोलवाला हो गया । मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि ११० आदमियों ने दल बदला, चिन्ता तो इस बात की है कि चुनने वाली जनता क्या सोचती होगी । जो आदमी पार्टी छोड़कर चला गया उसकी देश के प्रति निष्ठा क्या होगी, क्या समाज के प्रति होगी । जो लालच के लिये बदल गया वह देश के लिये बिक जायं तो आश्चर्य क्या है । विदेशी हमला हो तो क्या यह लोग दुश्मन के हाथ बिक नहीं जायेंगे ? मान्यवर, लोकतंत्र की जड़ों में दल बदलकर सदस्यों ने गरम पानी छोड़ दिया है । इसके लिये कानून बनने की बात थी वह अभी तक बन नहीं पाया है । केन्द्र में तब तक नहीं बनेगा जब तक कि इनका काल पूरा नहीं हीं जायेगा । जिस दिन इनका काल पूरा हुआ उसी दिन आप देखेंगे कि कानून बनकर चला जायेगा ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, बातें कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बात न करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बंगला देश के शरणार्थी हमारे सामने हैं । ८० हजार या एक करोड़ की संख्या मे आ गये । सत्य कौन बोले एक बड़ी समस्या है । सत्य कौन बोले ! बंगला देश को मान्यता मिलनी चाहिए । वोट बहुतों को चाहिए । सारी पार्टी कह रही हैं, लेकिन जिसके हाथ में शक्ति है वह क्यों बोले । आप देखें कि वे भूखे हैं । उनके पास रोजगार नहीं है । हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है । पता नहीं कि आगे भविष्य में क्या हो जाय । आज हमारे में कमजोरियां क्यों आयीं ? जो सरकार की नीति है उससे । और भी आगे नीति क्या बदलेगी, आप दखेंगे । मैं कहे देता हूं कि जितना भी राजनीतिक दुष्कर्म है और राजनीतिक स्वार्थ को हल करने के लिये हो रहा है, समय निकट आ रहा है कि आाप किसी को कांट्रोल नहीं कर पायेंगे । भगवान भी अन्याय का साथ दे रहा है । भगवान जाने, इस देश की क्या स्थिति होगी । इसलिये मैंने इस सदन और समाज को बताने के लिए यह कहा कि आज उथल पुथल है ।

अब दो चार शब्द में जो बजट आया और जिसमें कविता की गयी और जिसमें लिख दिया कि इंदिराजी को नरक से गुजरना है, उस पर कहना चाहता हूं ।

एक सदस्य—

नरक से गुजरना नहीं, नरक में जाना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नरक में जाना है यानी नरक में रहना है । ५२ करोड़ के प्रति उन्होने अपराध किया है और उनकी आत्मा कराह रही है उसके कारण नरक में जाना है, या इनकी नीतियों के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी इसलिए नरक में जाना है या इनकी आर्थिक नीति के कारण

नरक में जाना है, मैं नहीं कह सकता लेकिन ऐसे बजट के बारे में, जिसमें प्रामिजेज सुन्दर सुन्दर हैं, कहना चाहता हूं कि उनका पूरा होना असम्भव है। ऐसे प्रामिजेज की तो एक परम्परा बन गयी है। उन्होंने कहा है भाषण के पृष्ठ एक पर कि परो-फारमेंस बजट हम बनवा रहे हैं। २३–३४ वर्ष में क्यों नहीं बनाया। उसको बनाने वाले कौन हैं। वित्त विभाग का एक्सपर्ट, यही पी० सी० एस० वाले वहां बैठे हैं। कौन एक्सपर्ट है? फाइनेन्स डिपार्टमेंट का जो इसकी छानबीन कर समाज के सामने रखेगा? कौन एक्सपर्ट है? कहते हैं हम पी० डब्ल्यू० डी०, सिंचाई और फाइने-न्शियल हैन्ड बुक में परिवर्तन लाने वाले हैं। उसका निर्णय लेंगे। आज तक निर्णय नहीं लिया। उन्हीं के हाथ में दे रहे हैं छानबीन करने के लिये जो एक्सपर्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वित्त विभाग में रख कर भी काम नहीं कर सकते। मुझे कहना नहीं चाहिये। मैं मंत्री था। मैं जिस मकान में था उसका ६०–७० रूपया देता था, वहीं रह गया क्योंकि जानता था कि इनकी बदौलत फिर आना पड़ेगा। मैं भी भविष्य दृष्टा था। उस मकान में एक ही कमरा था। आगे नीम का पेड़ था। लोग वहीं नीम के नीचे खड़े रहते थे। मैंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं एक छप्पर डलवा दिया जाय। मैं मंत्री मंडल से निकल गया लेकिन अभी तक वह ऐस्टीमेट पास नहीं हुआ। माना, वह और आइटम्स ग्रान्ट न करते लेकिन उस छप्पर की आवश्यकता को देखते हुये उसका ऐस्टीमेट तो स्वीकार कर देते। तो फाइनेन्शियल हैंडबुक की जो गलतियां हैं उनको क्या यह फाइनेन्स विभाग ठीक करेगा? वे क्या ठीक कर पायेंगे? इसके लिये किसी लेखा एक्सपर्ट को या एकाउन्टस विभाग के किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिये था जो लोक सेवा आयोग द्वारा आया हुआ होता। इन अधिकारियों से उसमें कुछ सुधार होना असम्भव है। मालूम ऐसा होता है कि हमारे तिवारी जी ने इन मसलों को बजट में लाकर टाला है, यह समझ कर कि जो आगे आयेंगे वह उसे करेगा।

मान्यवर, बजट में यह भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स कमीशन की सिफारिशों को भी देखा जायेगा। मैं पूछता हूं कि कौन सा एक्सपर्ट इन सिफारिशों को देखेगा? मेरा निश्चित मत है कि इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कौन विचार करेगा, कौन जांच करेगा, उसको नहीं बताया गया है। नतीजा यही होगा कि कमीशन की सिफारिशों को धूल में मिला दिया जायेगा, सरकार का जो निर्णय होगा वह अन्तिम होगा।

श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है और वह यह कि विभिन्न विभागों के लिये एक उच्च स्तरीय फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर मुकर्रर होना चाहिये जिसका सीधा संबंध वित्त विभाग और एड-मिनिस्ट्रेटिव विभाग से रहे और जो रास्ता वह बताये उसके अनुसार काम हो। आज हर काम में रोड़ा अटकाया जाता है। कोई काम होने नहीं पाता है। सैकड़ों दिक्कतें सामने आती हैं। आपको जो भी कुछ देखना है वह बजट बनाने के पहले देखना चाहिये। जब यह सदन बजट पास कर देता है तब सदन द्वारा पास किये गये बजट पर फिर से उसे देखने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा यह सुझाव सरकार को मान लेना चाहिये।

पर्सनल लेजर की बात भी बजट में कही गयी है। मेरी राय में श्रीमन्, यह स्पष्ट नियमों का उल्लंघन है। हर वर्ष हम प्रोगरेस रिपोर्ट को पहले देखेंगे, अगर उचित समझेंगे मंजूर करेंगे। इसलिये मैं उसके विरोध में हूं।

एक बात आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसा मालूम होता है कि यही एक रामबाण इस सरकार के पास है। कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, और तमाम अधि-कारी हैं, मगर होता क्या है, जो एक रिपोर्ट नीचे से लिख कर आ गयी, वही रिपोर्ट चार चार बार रिपीट होती रहती है। फाइल में अगर आप देखेंगे तो वही रिपोर्ट दिखलायी देगी जो नीचे के किसी व्यक्ति ने लिखी होगी। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि आयुक्तों के पदों को तोड़ कर अन्य जगह उनकी सेवायें इस्तेमाल कीजिये। यह तरीका बहुत गलत है जब भी किसी को प्रोवाइड करना होता है, नयी जगह निकाल दी जाती है और किसी को सेक्रेटरी या कमिश्नर का रैंक दे दिया जाता है, किसी को कोई रैंक दे दिया जाता है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

एक बात श्रीमन्, और कहना चाहता हूं। बजट भाषण के पृष्ठ १० पर कहा गया है कि ३ करोड़ २२ लाख की लागत से एक दुग्ध योजना चालू करेंगे और उसको मान्यवर सहकारी फेडरेशन को सौंप देंगे। मान्यवर, सहकारी फेडरेशन की कार्यकुशलता किसने नहीं देखी है? आज टोंड और डबल टोंड मिल्क मिलता है, पाउडर्ड मिल्क भी दिया जाता है। अच्छा दूध केवल अधिकारियों को मिलता है। मुझे तो जैसा मिलता है ले लेता हूं। तो यह परफार्मेन्स है सहकारी फेडरेशन की। आज कोई भी सहकारी डेरी लाभ में नहीं चल रही है। कोई नहीं देखता कि घाटा क्यों हो रहा है। जब घाटा हो रहा है तो क्यों आप उसी के सिपुर्द यह करने जा रहे हैं? जो दूधवाला है, मिल्क मैन है, आज वह पीछे रह जाता है, रुपया सहकारी दुग्ध समितियां खा जाती हैं। इसलिये सरकार को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

दो बातें और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात मैं यह कहना चाहता था कि यह पब्लिक सेक्टर्स की जो बात है। मान्यवर, आज इस पर विचार करने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक द्वन्द मचा हुआ है और हम लोग बड़ी दुविधा में पड़े हुये हैं। यदि हम प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो मोनोपोली क्रियेट होती और अगर पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो अकुशलता और हानि हमारे सामने आती है। आज जो हिसाब हमारे सामने रखा जाता है, उससे स्पष्ट है कि पब्लिक सेक्टर में कहीं कोई लाभ नहीं हो रहा है। हर संस्था में हानि ही हानि दिखाई देती है। पब्लिक सेक्टर्स के अधिकारी इतने अकुशल और अयोग्य हैं कि उनके अवगुण किसी से छिपे नहीं है, इस पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिये। पब्लिक सेक्टर्स में जो चीजें चल रही हैं, उनके लिये एक फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर अलग से होना चाहिये। वहां पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसको मैं फिर दोहराने के लिये विवश हूं।

आफिस आफ प्राफिट के बारे में कुछ रिपोर्ट हुई थी हमारे माननीय सदस्यों के बारे में। आफिस आफ प्राफिट हमको न दीजिये, यह बात बिलकुल सही है। आफिस आफ प्राफिट में जब हम लोग नियुक्त किये जायंगे तो वेस्टेज इन्ट्रेस्ट हो जायेगा और वहां पर भी राजनीति खेलेगी, जैसे कि खेलती भी है। जो सरकारी अधिकारियों में खेलने लगेगी। यों भी आज जो स्थिति है वह शोचनीय है। यह हमारा नित्य का अनुभव है, जो किसी खास पार्टी से सम्बन्धित लोग हैं, मीटिंगों से चले आने के बाद वे अधिकारी लोग कहते हैं कि अमुक पार्टी का यह व्यक्ति है, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा खेल इन पब्लिक संस्थाओं में भी खेला जायगा, जिससे हम बचना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं एम० एल० एज० जो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, उनको आफिस आफ प्राफिट न दिया जाय।

अन्त में मैं कहूंगा कि २३ वर्ष तक इनका राज्य चला है और जो इनकी अर्थव्यवस्था है और जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, जिसको नष्टभ्रष्ट कर डाला गया है, इनके कारण से सारा देश, जैसा प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, नरक में पहुंच गया है। उनका यह कथन बिलकुल ठीक है। हमें उस नरक से निकालने वाला कोई नहीं है। इनसे हमें और जनता को कोई आशा नहीं है। भगवान के रूप में ही कोई प्रकट हो तो देश का उद्धार हो सकता है। यह कहकर मैं बैठता हूं, किन्तु यदि यही नीति रही तो इसका परिणाम हम सबके लिये भयावह होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उनकी मदद ही करना चाहता था जब उन्होंने सोचा कि हम उनको टोक रहे हैं। परिवार नियोजन के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसी के आगे की बात है। उन्होंने सफेद रंग सफेद दुनिया और काला रंग—काली दुनिया का जिक्र किया कि दुनिया में रंगीनों की आबादी कम की जाये। पहले जो काले गोरों का अनुपात १:९ का था आज वह घटकर गोरे और काले रंगीन दुनिया की जनसंख्या की आबादी १:२ हो गई है। इस तथ्य को रंगीन दुनिया को भूलना नहीं चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो मैंने कहा था आपने उसका भाष्य कर दिया है यह भी उसमें जोड़ दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस जगह पर नहीं रहेगा, यह तो अपने उचित स्थान पर रहेगा ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री शिवानन्द नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

आप माननीय सदस्यों का नाम अपने मन से सोच कर पुकारते हैं या जो माननीय सदस्य यहां पर खड़े होते हैं उनमें से पुकारते हैं ? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपने श्री नौटियाल का नाम बोलने के लिये पुकारा जब कि वह यहां पर उपस्थित ही नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है । वह अभी थे और खड़े भी हुये थे । मेरी नजर भी पड़ी थी, लेकिन जब अभी पुकारा तो नहीं मिल सके । (श्री कन्हैयालाल का नाम पुकारा गया ।)

*श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये बधाई देना चाहता हूं । अपनी-अपनी नजर है, अपने-अपने विचार हैं, बधाई देने के कुछ कारण हैं । हमारा प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है । इसकी ८०–८५ प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है, खेती करती है । इसलिये किसी भी सरकार का बजट जो कि खेतिहरों के लिये , किसानों के लिये हितकर बनाया जाय, वास्तव में उसके लिये वित्त मंत्री बधाई का पात्र होता है । इसमें जो बातें बतलायी गयी हैं, जो नयी नीतियों का समावेश किया गया है, वे सब ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश की गरीबी को दूर करने का एक कदम है, हमारे गरीब किसानों की हालत को सुधारने का एक कदम है, इसीलिये उनको बधाई देता हूं ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि दो तीन बातों की तरफ वित्त मंत्री जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है । २२ साल से प्लानिंग चल रही थी, विकास का काम हो रहा था । खासतौर पर बहुत दिनों से हमारे प्रदेश में मांग थी कि यहां एक प्रादेशिक प्लानिंग बोर्ड बनाया जाय । जिस तरह से केन्द्र में प्लानिंग कमीशन है, उसी आधार पर प्लानिंग बोर्ड बनाया जाय । विभिन्न सरकारें जब भी आयीं, तब-तब यह आवाज उठाई गयी लेकिन यह काम पूरा नहीं हुआ । हमारे मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है कि यहां स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनेगा जो इस तरह की योजनायें बनायेंगा जिससे किसानों को आसान शर्तों पर कर्जा मिल सकेगा, और कृषि का उत्पादन बढ़ सकेगा ।

दूसरी बात यह है कि तीन-चार साल से चीनी मिलों के अधिग्रहण की बात चल रही थी । बजट प्रस्तुत करने के पहले ही कुछ चीनी मिलों को अधिग्रहण करने भी घोषणा हो चुकी थी और इस बजट से भी ऐसा लगता है कि चीनी मिलों को अधिग्रहण करने की तरफ एक कदम उठाया गया है जिससे पता चलता है कि सरकार इस तरफ जागरूक है । इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं नीति सम्बन्धी जिनके जरिये कृषि सेवा की स्थापना हो सके, इंडस्ट्रियल कालोनीज बनायी जायं, भूमिहीन मजदूरों को रोजगार मिले और साथ ही प्रशिक्षित रोजगारों के लिये ५० लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । ये सब बातें ऐसी हैं जिनको बिना कहे मैं रह नहीं सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं जिनको बतला देना मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कन्हैया लाल]

अपना धर्म समझता हूं। जैसे किसानों में हरित क्रान्ति की चर्चा आयी है। यह बात जरूर है कि देहात के किसानों के लिये, अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने का बहुत सा प्राविधान किया गया है, बहुत सी सुविधायें सरकार द्वारा दी गयी ह। जैसे एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा आधुनिक यंत्रों का दिया जाना, उनको कर्जे दिया जाना, सहकारी बैंकों द्वारा कर्जे दिया जाना और इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि इन सबका लाभ बड़े किसानों को ही हुआ है। जिनके पास बड़ी-बड़ी भूमि थी वे ही ट्रैक्टर्स ले सके, भूमि बंधक बैंक से कर्जा ले सके और इस तरह से उन्होंने अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाया। दो-दो या तीन-तीन, चार-चार बीघे वाले छोटे-छोटे किसानों का इससे कोई भी लाभ नहीं हो पाया। आज से २२ साल पहले वे जहां थे वहीं आज भी हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और एक ऐसी योजना प्रस्तुत करें कि एक प्लानिंग बोर्ड बनना चाहिये जिसमें हमारे प्रदेश के जो छोटे-छोटे किसान हैं जिनके पास दो-दो बीघे जमीन है और जिनकी ऊपज बहुत कम होती है उनके लिये वह उपयोगी हो और उससे वे कुछ लाभाविन्त हों। इस प्रकार का कुछ काम करें तभी कुछ हो सकता है।

अगर आप देखें देहातों में तो वहां एक चौथाई आबादी हरिजनों की है। एक चौथाई भूमिहीन मजदूरों की आबादी है और आधी आबादी में दूकानदार तथा पढ़े-लिखे लोग हैं। केवल आठवां हिस्सा आबादी का ऐसा है जो नई सुविधाओं से लाभाविन्त हुआ है। जो बड़ा आदमी है, जो बड़ा किसान है वह बड़ा होता जा रहा है और गरीब की बुरी हालत होती जा रही है। जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं उनके लिये कोई खास प्राविधान इस बजट में नहीं है। मैं चाहूंगा कि भूमिहीन मजदूरों के लिये देहात में सहकारी समितियां बनाई जायं जहां उनके लिये छोटे उद्योग खुलवायें जायं। कुछ इस दिशा में अगर कार्य होगा तभी छोटे आदमी के लिये लाभ हो सकता है।

मुझसे पहले त्रिपाठी जी भाषण कर रहे थे। कुछ उद्योग पर वह कह रहे थे। इससे पहले वह उद्योग मंत्री थे। जब एक वर्ष तक वह उद्योग मंत्री रहे तो २० साल तक जो उद्योग नीति रही कांग्रेस की उसमें क्या वह कुछ परिवर्तन लाये? बिल्कुल नहीं लाये। जिस रास्ते से उद्योग नीति प्रदेश की चलती थी उसी पर वह भी चलते रहे और इसी का परिणाम है कि आज हमारे प्रदेश का पूंजीपति दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, हरियाना और राजस्थान में जा रहा है। हमारे प्रदेश की उद्योग नीति विफल रही है। हमारे प्रदेश के उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं वे उद्योग करने वाले व्यक्तियों को प्रलोभन तथा सहायता नहीं देते, बल्कि बाधा पहुंचाते हैं। अगर छोटे मजदूरों को बढ़ावा देना है तो हमारी जो उद्योग की मौजूदा नीति है उसमें परिवर्तन लाना होगा। ऐसा न त्रिपाठी जी ने किया और न यह सरकार कर रही है। इस वर्तमान नीति में परिवर्तन लाना होगा। कुटीर उद्योग देहातों में चालू हो तभी भूमिहीन कृषक, मजदूर को राहत मिल सकती है।

एक बात का और त्रिपाठी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया और वह है फैमिली प्लानिंग को रोकने का। उनके भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि फैमिली प्लानिंग को रोका जाय। लेकिन मुझे अफसोस है कि वह स्वयं फैमिली प्लानिंग के जीते-जागते उदाहरण हैं। वह कब फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा नहीं देते रहे? दूसरों को उपदेश वह अवश्य दे रहे हैं लेकिन अपनी तरफ आंख उठा कर नहीं देखते।

त्रिपाठी जी एक बात और कह रहे थे अनुशासनहीनता की। वह कह रहे थे कि अनुशासन-हीनता का एक कारण यह है कि मंत्री भी दलबदल करते हैं और दलबदलू मंत्रियों पर अधि-कारियों की आस्था नहीं रहती। त्रिपाठी जी चले गये लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की आस्था चाहे दलबदल वाले मंत्रियों में न हो लेकिन उनके दल के मंत्रियों की आस्था रही है। जब दलबदल के सबसे बड़े प्रवर्तक चौधरी चरण सिंह

सन् ६७ में मुख्य मंत्री हुये थे तो उनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री उन्हीं के दल के थे, सबसे ज्यादा आस्था प्रकट करने वाले भी उन्हीं के दल के थे। दूसरों के लिये सिद्धान्त की बात कहना अच्छा लगता है लेकिन अपनी तरफ सोचने-विचारने की भी वह आवश्यकता नहीं समझते।

मैं मथुरा जिले से चुन कर आया हूं। मेरा जिला पश्चिमी जिलों में गिना जाता है लेकिन सन् ४७ से २४ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी यदि उसकी हालत देखी जाय तो मैं कह सकता हूं कि मथुरा जिला जहां ४७ में था वहीं आज भी है। मंत्री जी बतला दें कि इन २४ वर्षों में मथुरा जिले के विकास के लिये क्या किया गया। उद्योगीकरण के विषय में, सिंचाई के विषय में और बिजली आदि के सम्बन्ध में क्या विकास-कार्य वहां पर किये गये। ट्यूबवेल का कोई काम आज तक मथुरा जिले में नहीं हुआ। यह वहां के लोगों का दुर्भाग्य है कि लगभग हर कैबिनेट में उस जिले का एक मंत्री होता है। जहां तक सिंचाई का सवाल है रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में बहुत हल्ला हो रहा था कि जब वह बन जायेगी तो मथुरा जिले को पानी मिल जायेगा। सन् १९६१ से आज १९७१ हो गया, १० साल हो गये वह योजना अभी तक पूरी नहीं हुई और अगर पूरी हुई भी तो उसका पानी इलाहाबाद और न जाने किन-किन जिलों में पूर्वी जिलों में दिया गया किन्तु मथुरा और आगरा जिलों को इसका पानी नहीं दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि मथुरा जिले में इतनी पंचवर्षीय योजनायें गुजर गई किसी में भी मथुरा जिले में १००–५० मील की कोई माइनर रजवहा तक नहीं दिया गया। फलस्वरूप वहां का किसान जहां पहले था वहीं अब भी है। कोई उन्नति उसने नहीं की है। मथुरा जिले की हालत दिन-प्रति-दिन अत्यन्त खराब होती जा रही है। वहां पर एक उद्योग हाल ही में लगने वाला था वह भी नहीं लगा। वहीं पर हरियाणा लगा हुआ है उसने कितनी उन्नति कर ली है। फरीदाबाद इन्डस्ट्री सेन्टर है उसके दक्षिण में भरतपुर है। मथुरा जिले के पूर्व में अलीगढ़ है वहां का औद्योगीकरण हुआ किन्तु वहां पर एक भी उद्योग नहीं लगाया गया है। कुछ दिन पूर्व वहां पर एक खाद का कारखाना खुलने जा रहा था, हम लोगों ने भी उसके लिये सरकार को सहयोग दिया किन्तु बाद में पता चला कि वह कारखाना यहां पर न बन कर गोरखपुर चला गया। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से विनम्र शब्दों में कहता हूं कि अगर आप समाजवाद का नारा लगाते हैं तो व्यक्तियों में समाजवाद लाने के साथ-साथ जिलों में भी समाजवाद लावें। पहाड़, बुन्देलखंड, पूर्वी जिलों और रोहिलखण्ड के नाम पर अलग-अलग फण्ड दिये जा रहे हैं किन्तु मथुरा और आगरा का जो डिवीजन है उसको नजरन्दाज किया जा रहा है। आगरा तो फिर भी कुछ विकसित हो रहा है किन्तु सबसे अधिक पिछड़ा हुआ हमारा मथुरा जिला ही रह गया है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। इस जिले की हालत सबसे खराब हो रही है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर यही नीति रही तो एक दिन वह आयेगा जब कि वहां के लोग अलग प्रदेश की मांग करेंगे? ताकि हम अपने हिसाब से वहां का विकास कर सकें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी भी समय है कि आप देखें। आपको हर दृष्टि से सभी जिलों को समान दृष्टि से बिजली, पानी, ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी चाहिये। इस जिले में इन २३ सालों में १० ट्यूबवेल भी नहीं लगे हैं कहा जाता है कि पानी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिले ने माइनर स्कीम के अन्तर्गत ट्यूबवेल में टाप किया है। यदि आपको १० हार्स पावर चलने वाले ट्यूबवेल को वहां पर पानी नहीं मिलता है तो आप ८, ८ और ६, ६ हार्स पावर के ट्यूब-वेल वहां पर लगवायें।

एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मथुरा जिले में बाढ़ भी बहुत आती है। वहां पर एक गोवर्द्धन ड्रेन बनाई गई लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा और राजस्थान का पानी हमारे जिले में पड़ता है। कहा यह जाता है कि गोवर्द्धन ड्रेन नीची है और वह गहरी नहीं है। अतः यदि ऐसा है तो उसे ५, ६ फीट नीचे खोदा जाय और पैरलल योजना बनाई जाय जिससे वहां के लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। अतः सरकार तुरन्त बाढ़ के पानी को निका-

[श्री कन्हैया लाल]

लने का प्रयास करे चाहे गोवर्द्धन ड्रेन को रिमाडल करें चाहें पैरलल ड्रेन बनायें। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके इस ओर ध्यान दें।

किसान को सहकारिता से रुपया मिलता है। सहकारिता के लैण्ड डेवलपमेंट बैंक से भूमि बंधक रख कर रुपया दिया जाता है। बड़ी विडम्बना है। भूमि बंधक बैंक का रुपया कभी भी किसान को नहीं मिलता है। वह व्यापारी को, मशीन वाले दूकानदार को मिलता है। बहुत दिन से सरकार से निवेदन कर रहा हूं जब किसान की जमीन बन्धक रखी जाती है, किसान प्रोनोट लिखता है, किसान की जमीन कुर्क हो सकती है, घर कुर्क हो सकता है तो चेक किसान के नाम क्यों नहीं बनता। दस हजार का चेक उस दूकानदार को मिलता है। किसान को मजबूरी हो जाती है उसी दूकानदार से माल लेने के लिये। उसको टूटा-फूटा इंजन मिलता है। साल भर के बाद बेकार हो जाता है। किसान की भूमि बन्धक हो जाती है। मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि बंधक बैंक के इस नियम को तोड़ा जाय। चेक सीधे किसान को मिले। किसी इंजन वाले के नाम चेक न मिले। मशीन वाले को चेक मिलने से मशीन वाला लेता है, भूमि बंधक बैंक वाले लेते हैं, बी० डी० ओ० और ब्लाक के छोटे-छोटे कर्मचारी सबका उसमें हिस्सा होता है। उसको रुपये में मुश्किल से चार-छः आने मिल पाता है। अगर इसको ठीक कर दिया जाय तो किसान का बड़ा भारी हित होगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हरिजनों की बात माननीय त्रिपाठी जी कह रहे थे। हरिजनों की हालत बड़ी खराब है। २४ साल की स्वतंत्रता के बाद भी, विभिन्न सरकारें बदल गयीं, जिसमें जन संघ, बी०के०डी०, संविद, कांग्रेस सभी की सरकारें रहीं, लेकिन हरिजनों के लिये अभी तक पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं हो पाया। हमारी गरदन शर्म से झुक जाती है। समाजवाद की धज्जियां उड़ जाती हैं जब गांव में हम देखते हैं कि कुएं पर बुड्ढी हरिजन महिला खड़ी रहती है कि कोई पानी खींच करके दे दे। उधर से स वर्ण का लड़का आता है, दो-चार उल्टी सीधी सुना कर उसके गंदे बरतन में पानी भर देता है। यह बात जरूर है हरिजन गरीब है, फटेहाल है, मैला है। लेकिन हरिजनों की गरीबी, फटेहाली, मैलापन के लिये जिम्मेदार हम लोग हैं, समाज है। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी उनका शोषण किया है। अगर हम समाजवाद चाहते हैं तो हमारा धर्म है कि समाज के एक चौथाई अंग को ऊपर उठायें। जितने युगों तक उनका उत्पीड़न किया है, दस-बीस साल उनको देना पड़ेगा। अगर उनकी फीस माफ की जाती है, उनको वजीफा रुपया दिया जाता है, उस वक्त बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। लेकिन यह जो धन उनको दिया जाता है कितना दिया जाता है ?

कुटीर उद्योग के लिये कितनी रकम रखी गयी है ? आठ लाख आठ लाख रुपया कुटीर उद्योग के लिये, ५४ जिलों में, २ करोड़ जनता के लिये जिनके पास खेत नहीं ह ! एक आदमी के लिये ४ नये पैसे। तो श्रीमन्, आप सोचें कि यह हमारी सरकार की नीति है जो हरिजनों को ऊपर उठाने के लिये कुटीर उद्योग के लिये पैसा दे रहे हैं। इसी तरह से कृषि कार्य के लिये ८ लाख रुपया है यानी वही ४ पैसे फी आदमी। उसमें क्या वह बैल खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा, ट्यूबवेल लगायेगा ? तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हरिजनों की हालत सुधारनी है, गिरे हुए समाज को ऊपर उठाना है। तो तीन चौथाई की बेहबूदी के लिये हम न सोचे। हमको पूरे चार बटे चार—पूरे हिस्से की बेहबूदी के लिये सोचना पड़ेगा और एक बटा चार जो गिरा हुआ हिस्सा है उसको उठाने की बात सोचनी पड़ेगी हर दिशा में। शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हरिजनों के लिये फीस माफी की है वजीफे दिये गये हैं, उनको एल० टी०, बी० टी० सी०, एच० टी० सी० कराया जाता है, लेकिन यह सब कराने के बाद जब वह

बाहर निकलते हैं तो क्या होता है ? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल हैं या राजकीय विद्यालय हैं उनमें तो प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको स्थान मिल जाता है, लेकिन ऐसे स्कूल बहुत कम हैं । ज्यादा विद्यालयों की संख्या सहायता प्राप्त विद्यालयों की है । ऐसे सेकेंडरी स्कूल हैं, लेकिन उनमें अगर आप अन्वेषण करावें तो मेरे खयाल से एक हजार में एक आदमी मिलेगा जो हरिजन हो इस लिये इस प्रकार का आप नियम बनावें कि जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें उसी प्रतिनिधित्व के आधार पर हरिजन नौकर रखे जायं । उनमें हरिजनों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, हजारों लड़के ट्रेंड मारे-मारे घूम रहे हैं, वह नहीं रखे जाते हैं ।

उनके लिये लोक सेवा आयोग की फीस में कमी की गयी है—हरिजनों के लिये किसी को अगर ५० रु० देने पड़ते हैं तो उनको १५ देने पड़ते हैं । लेकिन दरख्वास्त देने, प्रार्थनापत्र देने, इंटरव्यू में जाने का फल क्या होता है ? यह देखा जाता है कि हरिजनों का अनसूटेबिल करके नहीं लिया जाता और उनका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिये उतना आज तक सरकार भी नहीं कर पायी है । तो भले ही उनसे लोक सेवा आयोग की पूरी फीस ली जाय लेकिन अयोग्यता के आधार पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिये, बल्कि उनका पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिये । जब उसने इंटरमीडियेट पास कर लिया, ग्रेजुएट हो गया तो वह वहां भी सूटेबिल होगा, सूटेबिल ही रहेगा, अनफिट नहीं हो सकता । अगर अनफिट होता है तो कुछ न कुछ फितूर है दिमाग में, क्योंकि आपके ही इंस्टीट्यशन से पास किया है । तो इस नियम को अधिक से अधिक लागू किया जाय कि अनसूटेबिल के आधार पर न निकाला जाय, जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिये वह उनको मिले । मथुरा जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह मथुरा जिला प्रमुख स्थल रहा है । इसमें जो छोटे-छोटे कस्बे हैं वह धार्मिक आधार पर पलते थे—गोवर्द्धन, बलदेव, गोकुल, महाबन, बरसाना, नन्दगांव आदि । आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज धार्मिक भावना लुप्त हो रही है । जितने धार्मिक यात्री मथुरा में पहले जाते थे उतने ही जाते ह, अधिक नहीं बढ़े हैं । पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि वहां के लोग की रोजी-रोटी का साधन कम होता जा रहा है । इसलिये सरकार को चाहिये कि इन छोटे छोटे कस्बों को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करे । जिस प्रकार से हरिद्वार और वाराणसी आदि स्थानों पर का सरकार ने विकास किया है उसी प्रकार से सरकार को मथुरा और वृन्दावन आदि का विकास करना चाहिये धार्मिक भावना से नहीं तो लोग पर्यटकों की भांति यदि वहां आने लगे तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा ।

इन शब्दों के साथ, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके लिये उनका आभार मानता हूं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है । यह सरकारी दल की जिम्मेदारी है कि कोरम बनाये रहें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दोनों की ही जिम्मेदारी है क्योंकि सदन तो पक्ष-विपक्ष दोनों के सहयोग से ही चलता है । घंटी बजायी जाय ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया तो मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता रहा पर उसके तुरन्त बाद में मुझे एक शेर याद आ गया—

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरये खूं न निकला ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस बजट को किसी प्रकार स किसी क्रान्तिकारी सरकार का बजट मानने में अपने को असमर्थ पाता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मेरा दुर्भाग्य है कि क्रान्तिकारी सरकार का ही नहीं, मैं इस बजट को एक समाजवादी सरकार का बजट मानने में भी असमर्थ हूं । इतना ही नहीं मैं इस बजट को किसी प्रकार से ऐसा बजट मानने में भी असमर्थ हूं जिससे स्टेटस क्यों कायम रह सकता है । इस बजट से गरीबी और बढ़ेगी और दूसरी ओर अमीरी और बढ़ती जायगी । वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे गरीबी दूर होने वाली नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हर बार जब कभी कांग्रेस सरकार ने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया तो उसके अन्दर पार्टी का जिक्र हुआ करता था, उसमें समाजवादी समाज की स्थापना का जिक्र हुआ करता था और वहीं से बजट का श्रीगणेश हुआ करता था । पर इस बार मैंने देखा और आप सब ने देखा कि उसको आरम्भ किया गया है श्रीमती इन्दिरा गांधी के गुणगान अलाप कर के और उसको समाप्त किया गया है श्रीमती इन्द्रा गांधी के गुण गान अजाप करके यह नया मोड़ है जो कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट को दिया । हमें देखना होगा कि वित्त मंत्री जी ने क्या किया है इस बजट के अन्दर । वित्त मंत्री जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और १३–१४ वर्षों से इस सदन में साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त रहा । मैंने नारायणदत्त तिवारी जी को, जो कि नैनीताल से आते हैं, मैं आपको बहुत विश्वास से कहना चाहता हूं, इतने टूटे-फूटे शब्दों में कोई चीज रखते नहीं देखा जितने टूटे-फूटे शब्दों में उन्होंने इस बजट को रखा है । कारण क्या था ? जैसा आपने सुना होगा और आप स्वयं जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कहता है तो वह बात अच्छे ढंग से नहीं कह पाता । शेक्सपियर का कहना था ।

"False face must hide what the false heart doth know."

वह जो बात कह रहे थे उनके मन की बात नहीं थी । वह कहना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं । मैंने देखा और यह महसूस किया कि वह एक एलेक्शन मैनिस्फैस्टो इस सदन में पेश कर रहे थे । उनके मन में था कि १९७२ में हमें चुनाव लड़ना है । वह चुनाव में जाना चाहते ह । मैं आपके माध्यम से उनको दावत देता हूं कि वह एलान करें कि ७२ में चुनाव होगा । मना कौन करता है लेकिन कहना नहीं चाहते, करना चाहते हैं यह स्पष्ट था वित्त मंत्री जी के भाषण से। भारतीय क्रान्ति दल चुनाव का स्वागत करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने ४८ करोड़ ८० लाख रुपये का घाटा दिखाया है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि किसी भी सरकार को टैक्स लगाना अनिवार्य हो सकता है । उन्होंने टैक्स लगाने की बात की लेकिन इसका एलान नहीं किया कि किस पर टैक्स लगायेंगे । मने सोचा कि शायद गरीबी मिटाने की नीयत से, समाजवादी समाज की स्थापना करने की नीयत से नारायणदत्त तिवारी जी गरीब को इस टैक्स से मुक्त कर देंगे । लेकिन आप उनके भाषण को पढ़िये तो उसके अन्दर साफ लिखा हुआ है कि हम इस प्रकार के टैक्स लगायेंगे कि जो गरीब पर कम पड़े । आज भी वह समझते हैं कि इस प्रदेश का गरीब किसान और मजदूर, जो गांवों में रहता है वह और टैक्स सहन कर सकता है । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि हम गरीब पर नहीं केवल अमीर

पर टैक्स लगायेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम डेफिसिट को दो तरह से पूरा करेंगे। एक तो टैक्स इवेजन को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे और दूसरे जो हमारे ड्यूज हैं उनको वसूल करेंगे। यह अच्छा विचार है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन हमको देखना यह पड़ेगा कि क्या उनकी ऐसी मंशा है। आज यह सरकार जो बिड़ला को बहुत सस्ते रेट पर बिजली देती है उनके ऊपर २ करोड़ ६० लाख रुपये का बकाया है। इन्होंने क्या प्रयत्न किये उसको वसूल करने के। इतना ही नहीं यदि उनको कास्ट प्राइस पर बिजली दें तो आमदनी तिगुनी हो जाय। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि हमारा एक मुआहिदा हो गया था, उसको तोड़ना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है। भले आदमी मुआहिदा तोड़ा नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, नारायणदत्त तिवारी जी यहां नहीं है, वैद्य जी यहां बैठे हैं, जिस पार्टी का जन्म ही वादा तोड़ कर हुआ हो वह पार्टी वादा न तोड़ने की बात अगर कहती हो तो कहां तक उचित है। जिस तरह से इनके वादे होते हैं इनको उन्हें तोड़ने में दिक्कत नहीं है। गरीब मजदूर लोगों से वादे तोड़े जा सकते हैं लेकिन टाटा और बिड़ला से वादे नहीं तोड़े जा सकते हैं। यह इस सरकार के सोचने की बात है तो हम कैसे विश्वास करें कि जिस बात को वह कहते हैं उसको करने की उसकी मन्शा है ?

इसके बाद एक बात कही गई कि हम शहरी सम्पत्ति की सीलिंग करेंगे और जमीन पर भी सीलिंग करेंगे। मैं इसके लिये स्वागत करता हूं वित्त मन्त्री जी का। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दो मत नहीं हो सकते। बल्कि मैं तो आशा करता था कि इस किस्म का आर्डिनेन्स यह सरकार निकालेगी जिसके अन्दर जमीन की और शहरी सम्पत्ति की सीलिंग होगी। लेकिन मुझे तकलीफ हुई इसको देखकर कि इस प्रकार का कोई आर्डिनेन्स यह सरकार नहीं लाई। आज भी जहां तक शहरी सम्पत्ति की बात है उन्होंने सिफारिश की है और उन्होंने सलाह मांगी है केन्द्रीय सरकार से और उनको कहा है कि आप एक कानून बनायें। जब आप को अधिकार है तो यहां से सरकार क्यों नहीं ऐसा एक कानून बना देती। मैं एक बात अवश्य चाहता हूं कि चाहे इधर के बैठने वालों की सरकार रही हो और चाहे उधर के बैठने वालों की सरकार रही हो सबके दृष्टिकोण में एक बात देखने को आई कि हरएक सरकार के दृष्टिकोण मेंगांव वालों के प्रति दूसरी बात और शहर वालों के प्रति दूसरी बात रही है। आज अगर आप गांव और शहर के रहने वालों की आमदनी का अनुपात देखें तो मालूम होगा कि १ और ३।। का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शहरी सम्पत्ति की सीलिंग उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से गांव वालों की जमीन की करना चाहते हैं। आज जो उसकी कीमत है उसके हिसाब से शहर की सम्पत्ति में अन्तर नहीं होना चाहिये। यदि ५ लाख की जायदाद की सीलिंग आप शहर में करना चाहते हैं तो गांवमें भी ५लाख की कीमत की जमीन की सीलिंग होनी चाहिये। अगर ५० हजार की गांव में हो तो शहर में भी उतनी ही लागत की होनी चाहिये। तभी समाजवाद का एक तरीका हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार इसको कर पायेगी या नहीं और उसका इरादा कैसा है यह तो भविष्य ही बतलायेगा और भविष्य ही केवल इसका फैसला करेगा कि क्या हमारे मन्त्री जी यहां पर कहते हैं और क्या वह करना चाहते हैं।

बड़ा शोर था कि हम शुगर इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज करेंगे। इधर के बैठने वाले जब सरकार में रहे तो उस काम को नहीं कर पाये। अगर इधर के बैठने वाले उस काम को नहीं कर पाये हैं और उसके बाद भी आपने एलान किया है कि उसको अवश्य ही करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि वह सोच समझकर ही एलान किया होगा। आज केन्द्र में आपकी सरकार है लेकिन फिर भी आप उसको डिले करते चले जाते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने १२ मिलों को लेने का एलान किया लेकिन उनके मालिक भी कोर्ट में चले गये और वहां से उनके लिये भी स्टे हो गया। आपकी सरकार ने पिछले सीजन में रिसीवर मुकर्रर किये थे कुछ फैक्ट-

[श्री जगबीर सिंह]

रीज में। आप अगर देखें तो किसानों का २२ करोड़ रुपया पिछली फसल और इस फसल को मिलाकर गन्ने की कीमत का उनके ऊपर बकाया है जिसको यह सरकार उन गरीब किसानों का पैसा दिलाने में नाकामयाब रही वहां जहां पर सरकार के रिसीवर मौजूद थे और जो फैक्टरी चल रही थी। सूबे में किस फैक्टरी के ऊपर किसानों का गन्ने का बकाया नहीं है यह सरकार अपने को कामयाब सरकार कैसे कह सकती है जब कि गरीब किसानों का रुपया उनके ऊपर बकाया है? इस सरकार ने किसानों के गन्ने की कीमत का रुपया भी उनसे नहीं दिलाया जबकि इसके रिसीवर उन फैक्टरी के अन्दर काम कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और किसानों का पैसा दिलावे।

यह कहा गया कि इस वर्ष बहुत वर्षा हुई जिसके कारण बहुत अन्न खराब हो गया। एक बयान आ गया राजस्व मन्त्रीजी का। वह मेरे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि केवल पूर्वी जिलों में किसानों का नुक्सान हुआ है। पच्छिम में नहीं हुआ है। मैंने उनको पत्र लिखा और दावत दी कि यदि मन्त्री जी को पच्छिम में भी आने की फुरसत हो तो आकर देखें कि पच्छिम में नुक्सान हुआ है या नहीं मंत्री जी ने बड़ी कृपा की, मैं उनका आभारी हूं कि वह गये और स्वयं उन्होंने वहां के नुक्सान को देखने के बाद यह निश्चय किया कि पश्चिम में भी नुक्सान हुआ है। जो हमारे यहां मंडियों में गल्ले की खरीद हुई वह एफ० सी० आई० के माध्यम से हुई जब कि पंजाब में ३ एजेंसियों की मार्फत खरीद की गई। एफ० सी० आई० ने हमारे यहां ६५ रुपया क्विन्टल गल्ला खरीद किया और ७६ रुपये रेट वह चार्ज करती रही है इस तरह से खुला किसानों का शोषण हुआ है और उन्हें उनके गल्ले का उचित मूल्य नहीं मिला, जो सरकार के खजाने से गया वह भी उनको नहीं मिला। आज गल्ला बरबाद हो रहा है लेकिन सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं कि हम भी पंजाब की तरह अपनी एजेंसी से इसी फसल में खरीद आरम्भ कर दें। मंत्री जी ने अब एलान किया है कि अगली फसल से हम भी स्वयं अपनी एजेंसी से खरीद करायेंगे पर सरकार ने उसको भी आगे के लिये छोड़ दिया। सरकार ने अगले वर्ष के ७२ के चुनाव को ध्यान में रखकर टालने का प्रयास किया है। इस तरह से एक तरफ किसान लुट रहा है और यह समाजवादी कहलाने वाली सरकार तमाशा देख रही है। आप ने क्यों आवाज नहीं उठाई कि आज किसान परेशान हो रहा है। अगले साल का आप वादा कर रहे हैं लेकिन मुझे तो इस पर भी सन्देह है।

यहां पर मैं कुछ शिक्षा की बात भी कहना चाहता हूं। मुझे याद है कि सन् ५७–५८ में जबकि मुख्य मंत्री उस समय शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने इसी सदन में एलान किया था कि हम आठवीं क्लास तक की शिक्षा निशुल्क करेंगे परन्तु मुख्य मंत्री जी पिछले १२ साल के अन्दर भी अपने उस वादे को पूरा करने में असमर्थ रहे। अधिकांश उनकी या उनसे समर्थित सरकार शासन में रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब वह समय आ गया है कि आठवीं क्लास तक कम से कम शिक्षा निशुल्क सबकी हो और इन्टर तक लड़कियों की। आज हमारे प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का एक भारी प्रश्न है, देहात में उसकी बहुत ही आवश्यकता है। आशा है कि मंत्री जी इस दिशा में अवश्य ही कोई कदम उठावेंगे।

इसके अतिरिक्त प्राइमरी स्कूलों के जो टीचर्स हैं, वे जे०टी०सी० और यू०टी०सी० अध्यापक हैं जिनसे हम आशा करते हैं कि वह राष्ट्र के निर्माण के लिये हमारे बच्चों को तैयार करेंगे और वह बच्चे आपके देश के और राष्ट्र के निर्माण में सहायक होंगे तो क्या वह सौ डेढ़ सौ रुपये में अपने इस कर्त्तव्य के साथ न्याय कर सकेंगे? मैं मांग करता हूं कि इन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को तथा अन्य किसी अध्यापकों का वेतन कम से कम २०० रुपये मासिक कर दिया जाय। मैं देख रहा हूं कि माननीय पांडेय जी बोलने की बड़ी जल्दी में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह यहां बोलें और अपने मन की बात कहें, कोई चीज दबा कर न रखें और अपने मस्तिष्क की बात साफ कहें पर थोड़ा पहले सुने।

हर सरकार का कर्त्तव्य होता है कि वह सबको सस्ता न्याय दे सके लेकिन हमारी सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लखनऊ और इलाहाबाद में २ हाईकोट हो सकते हैं लेकिन पश्चिमी जिलों के लिये चाहे मुख्य मंत्री गुप्ता जी रहे हों, चौधरी चरण सिंह जी रहे हों या कमलापति जी हों पर पश्चिम के निवासी को हाईकोर्ट से निर्णय लेने के लिये ५०० मील दूर जाना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी एलान करें कि इस वर्ष के अन्दर वह पश्चिमी जिलों में हाइकोर्ट की शाखा खुलवा देंगे। ऐसा करके वह उस तरफ की जनता की कुछ सेवा कर सकेंगे।

आज भी हमारे प्रदेश में मिनिमम गारैन्टी १२० रुपये प्रति हार्स पावर है और दूसरे प्रदेशों में ६० व ४० रुपये प्रति हार्स पावर है। इतनी ही नहीं २० रु० प्रति हार्स पावरजो संविद सरकार ने कम किया था इस सरकार ने लागू नहीं किया उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों है? सरकार के लिये तो मिनमम गारैन्टी है परन्तु किसान की मिनिमम गारैन्टी नहीं है कि बिजली कितने घंटे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों किसान का गल्ला सड़ता रहा है वह बिजली की कमी और हवा से उड़ गया। किसान को बिजली आठ-आठ और पन्द्रह-पन्द्रह रोज तक नहीं मिली। इसी कारण से गल्ला नहीं उठा सके। और किसान का ट्रान्सफार्मर चोरी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी पर और जुर्माना भी उसको देना पड़ता है। उस चोरी के अन्दर शामिल कौन है, उसी बिजली विभाग के कर्मचारी। उन्हीं के माध्यम से चोरियां हुईं लेकिन उसका पैसा किसान से लिया गया। जो किसान उसका पैसा जमा नहीं कर सका, या जब तक उसने कर्ज लेकर पैसा जमा नहीं किया तो वह किसान अपनी फसल खो बैठा। मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान जाना ही चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर आज हमारी दशा है क्या? उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? यह तीन-चार बातों से निश्चय हो सकता है। हमें देखना होगा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है। और तमाम देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कह कर थोड़े ही में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में सन् १९६१ से और आज तक १९६७–६८ में ४९३ रुपये हो गई थी लेकिन फिर वह घटकर ४६२ रुपये हो गई जबकि भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय ५६२ रुपये है। हमारे प्रदेश की ४६२ रुपये आज के प्राइसेज में। अगर आप उन प्राइसेज के हिसाब से देखें तो मालूम होगा कि हमारी आमदनी घटी है बढ़ी नहीं है। इसी तरह से बिजली में सुन लीजिये। हमारे यहां जो पावर प्रति व्यक्ति जनरेट होती है वह ६०.९ है जब कि तमाम हिन्दुस्तान का एवरेज ९०.० है। हमसे आगे, उड़ीसा, हमसे आगे, पंजाब, हमसे आगे, वेस्ट बंगाल, हमसे आगे, मैसूर, हमसे आगे महाराष्ट्र, हमसे आगे तामिलनाडु, हमसे आगे मध्य प्रदेश, हमसे आगे केरल, हम से आगे हरियाना, हमसे आगे गुजरात और बिहार हैं। मैं जानना चाहूंगा आप के माध्यम से कि इसका कारण क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अगर हम देखगे कि हम कितनी बिजली कन्ज्यूम करते हैं तो आप को आश्चर्य होगा। जब कि भारतवर्ष में ७७.१ एवरेज है तो हमारे प्रदेश के अन्दर एवरेज ४९.९ है। पंजाब हमसे आगे, वेस्ट बंगाल हमसे आगे, उड़ीसा हमसे आगे, तामिलनाडु हमसे आगे, महाराष्ट्र हमसे आगे, हरियाना हमसे आगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जरा विद्या की तरफ भी ध्यान दीजिये। हमारे यहां २१.६४ प्रतिशत लिटरेसी है हिन्दुस्तान में २९.३५ प्रतिशत है और प्रदेशों में देख लीजिये। वेस्ट बंगाल में ३३.५ प्रतिशत, तमिलनाडु में ४९.३९ प्रतिशत, पंजाब में ३३.३९ प्रतिशत, उड़ीसा में २६.१२ प्रतिशत, नागालैन्ड में २७.३३ प्रतिशत, मैसूर में ३१.४७ प्रतिशत, महाराष्ट्र में ३९.०६ प्रतिशत, केरल में ६०.१६ प्रतिशत, हिमांचल प्रदेश में ३१.३२ प्रतिशत, हरियाना में २६.६९ प्रतिशत, उड़ीसा में ३३.७० प्रतिशत, आसाम में २८.७४ प्रतिशत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी विद्या का हाल है।

[श्री जगवीर सिंह]

सड़कों में भी हम सबसे पीछे हैं। हमें यह सोचना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस सब का कारण क्या है? इन सबके पीछे वजह क्या है कि हम सबके पीछे होते चले जाते हैं। यह है एक मूल प्रश्न। उपाध्यक्ष महोदय, मुझ क्षमा करेंगे सामने बैठे हुए मित्र यदि मैं स्पष्टता से कुछ कहने का साहस करूं। इस सबका कारण यह है, जिस समय स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा तो हमारे प्रदेश के बटवारे की जब बात आयी तो मैजारिटी जजमेन्ट से यह तय हुआ कि बटवारा न हो। किस प्रकार यह कराया गया, किसने कराया उसकी कहानी को दोहराना मैं उचित नहीं समझता। १०३ विधायकों में से, जो पश्चिम से आते थे, ९७ ने इस बात की मांग की थी कि प्रदेश का बटवारा हो। उस समय विधायकों के अन्दर कुछ जान थी, आज तो वह नहीं हैं। तो बड़े प्रैशर्स के बाद उनसे दस्तखत वापस कराए गए और स्वर्गीय पंत जी के माध्यम से हर प्रकार का जोर देकर वापस कराये गए। मैं समझता हूं कि तमाम विश्व के अन्दर कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो यू० पी० से बड़ा हो और डैमोक्रेटिकली गवर्न्ड हो। हो सकता है चीन में कोई हो, पर डैमोक्रेटीकली गवर्नड मेरी नजर में कोई नहीं है। इस प्रदेश का इतना बड़ा होना इन सब चीजों की जड़ है। मैं आज आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी एक प्रस्ताव पास कराके इस प्रदेश के दो हिस्से करा दें। कन्हैयालाल जी सदस्य, मथुरा ने भी यह बात कही, लेकिन कुछ झिझक गए। मथुरा की बात भी कही, पश्चिम की भी कही। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पश्चिम के साथ सौतेला व्यवहार ही इस सरकार ने किया है और यहां की सरकारें करती आयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही व्यवहार हमारे साथ होता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जबकि पश्चिम के अन्दर एक क्रान्ति उठेगी और इस प्रदेश का बटवारा हो कर रहेगा।.....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह आपके व्यक्तिगत विचार हैं या भारतीय क्रान्ति दल के विचार हैं?

श्री जगवीर सिंह--

यह स्वतंत्र विचार हैं। रियासत जी का विचार तो बदलता रहता है। श्रीमन्, अगर इस प्रदेश की राजनीति का नाश होगा तो उन्हीं के माध्यम से होगा जिनको कभी यहां समाजवाद नजर आता है और कभी वहां नजर आता है, जिनको सरकार बदलने में आनन्द आता है। मैं तो चाहता हूं कि पंडित जी बहुत दिनों तक इस आसन पर रहें। श्रीमन्, मुझे एक बात याद आ गयी। एक चाइनीज फिलास्फर हुआ है---कन्फ्यूसिस। उनसे पूछा गया कि किसी सरकार को चलाने के लिए क्या-क्या आवश्यक है तो उन्होंने जवाब दिया तीन चीजें---अन्न जनता को देने के लिए, फौज विदेशियों से रक्षा के लिए और जनता का विश्वास कि सरकार हमारी है। फिर से उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन-सी एक चीज के बिना सरकार चल सकती है तो उन्होंने कहा कि अन्न के बिना चल सकती है। फिर पूछा गया कि और एक कौन सी चीज निकालने पर भी चल सकती है, तो उन्होंने कहा कि फौज के बिना भी चल सकती है, पर जब जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा तो नहीं चल सकती। आज मैं धर्मदत्त वद्य जी के जरिये चाहता हूं कि यह बात मुख्य मन्त्री जी तक वह पहुंचा दें कि आज जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। आज गांव में जाइये, शहर में जाइए, दारुलशफा के कमरों में जाइये, यही पता चलेगा कि सरकार एक अमुक जाति की है। (व्यवधान) वैद्य जी आप अगर स्वंय जाकर देखें तो पता लग जाएगा। आपकी ही पार्टी के विधायक रास्ते में चर्चा करते हुए चले आ रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर करे कि यह बात सही न हो। मुझे पण्डित जी से इस बात का विश्वास नहीं है। मुझे यह विश्वास नहीं होता है कि पन्डित जी जैसा व्यक्ति इस बात को प्रोत्साहन देगा, मगर यह एक चर्चा है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

चर्चा तो चौधरी चरण सिंह जी की भी है।

श्री जगवीर सिंह —

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि हवा यही रही तो दिन थोड़े ही हैं।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि क्या चौधरी चरण सिंह की सरकार को जाटों की सरकार नहीं कहते थे और क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में प्रदेश भर के मुकाबिले में कितना अधिक विकास हो गया है ?

श्री जगवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तकलीफ है कि मेरे मित्र जो टोक रहे हैं, ने बजट उठा कर नहीं देखा है और इतना ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों के बजटों को भी नहीं देखा है कि किस प्रकार और किस अनुपात में पश्चिमी जिलों में खर्चा किया गया है। इस प्रदेश के अन्दर ऐसे भी क्षेत्र थे कि जहां पर ट्यूबवेल्स नुक्सान में चले परन्तु फिर भी सरकार ने वहां पर ट्यूब-वैल्स लगवाए और वहां पर ट्यूबवेल्स नहीं लगवाए गए जहां पर कि उनकी मांग थी और फायदे में चलते। मैं बहस में नहीं जाना चाहता, परन्तु बातें ऐसी ही हैं। मैं आपके माध्यम से नारायण दत्त तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि जो किसान की आवश्यक चीजें हैं उन्हें आप उस तक पहुंचाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि एग्रो-एन्डस्ट्री से संबंधित किसान की आवश्यकता की चीजों को किसान तक सहूलियत के साथ पहुंचाया जाएगा। आज जितनी चीजें किसान इस्तेमाल करता है उन सब की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गयी हैं और उनकी कीमतों के अनुपात में किसान को जो मूल्य मिलता है वह बहुत कम है। सरकार को कोई ऐसा प्रबन्ध करना पड़ेगा कि किसान को ये चीजें कम दाम पर दी जाएं। किसान को इनपुट्स की कीमतों पर कोई नियन्त्रण करना पड़ेगा ताकि किसान को थोड़े मूल्य पर आवश्यकता की चीजें मिल जाएं। ऐसा होने पर ही किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकेगा। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश का या राष्ट्र का जो वार्षिक बजट होता है वह इस बात का द्योतक होता है कि वर्ष में क्या क्या किया जाए और किस तरह से किया जाए और किस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। उसमें इस प्रकार के भविष्य की झलक निहित होती है। अपने बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने नियोजन बोर्ड, नियोजन संस्थान, कृषि सेवा केन्द्र, कृषि औद्योगिक बस्ती, बेघर वालों को आवास के लिए भूमि की व्यवस्था करना, राजनीतिक पेन्शन, सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग, डाक्टरों आदि की नियुक्ति तथा साथ ही साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए एक ठोस योजना रखी है। इन सब से प्रतीत होता है कि भविष्य के प्रति यह बजट पूर्ण रूप से सचेष्ट है और इस बजट में किसी प्रकार की कोई बात ऐसी नहीं है जिससे कि हम यह कह सकें कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा होगी। यह दूसरी बात है कि हम आलोचना करें या प्रत्यालोचना करें। आलोचना करने और प्रत्यालोचना करने का तो नियम सा बना हुआ चला आ रहा है। विपक्षी दल तो सरकार की आलोचना करता ही रहता है। मुख्य विषय एक है और वह यह है कि हमें इस प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। चाहे सरकार के पक्ष वाले हों या विपक्ष के लोग हों, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं कि इस प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार भी भावना वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रदर्शित की है उससे यह प्रतीत होता है कि इस बजट को बनाते समय उन्होंने प्रजातंत्र को दृष्टि में रखा है। सरकार ने विपक्ष के लोगों से भी यह सुझाव मांगा है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमें किस-किस प्रकार के टैक्स लाने चाहिए और किस-किस तरह से इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है।

मान्यवर, यह ठीक है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है और यह प्रश्न इस प्रदेश में ऐसा बन गया है जिसके हल होने की आवश्यकता थी। इसके साथ-साथ अध्यापकों का प्रश्न है, जिला परिषद् के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, पंचायत राज मन्त्रियों के वेतन का सम्बन्ध है। इसके विषय में किसी प्रकार की स्पष्ट नीति न होने से निराशा हुई है। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई निर्णय लेगी और ऐसा हल सोचेगी कि जो वास्तविक मांगे हैं चाहे वह अध्यापकों की हों या राज्य कर्मचारियों की हों, सभी अल्पभोगी हैं, उनको स्वीकार किया जावेगा। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी बड़ी गम्भीरता से और सहानुभतिपूर्वक विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

मान्यवर, एक प्रश्न जो यहां पर बना हुआ था वह था उर्दू का विषय। इस विषय को लेकर हमारे इस सदन में कई बार चर्चा हुई और प्रश्न उठे। माननीय वित्त मंत्री जी ने समस्या को हल करके अपनी दृष्टि की व्यापकता का परिचय दिया है और हम उसका पूर्ण रूप से आदर करते हैं और यह भी विश्वास करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इसका कार्यान्वियन होगा। दूसरी ओर घोर निराशा हुई। वह यह है कि संस्कृत विषय जो पढ़ाया जा रहा था उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार ने निश्चय किया है कि एक उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) नियुक्त किया जाय जिससे वह विशेष जिम्मेदारियां पूरी कर सके। उसको कई तरह की सुविधायें दी गई हैं लेकिन संस्कृत का विषय जो इतने सालों से पढ़ाया जा रहा था उसके लिये कोई उप शिक्षा निदेशक नहीं रक्खा गया है जो इसको देखे। इस सम्बन्ध में भी इसी बजट में प्राविधान होना चाहिये था। परन्तु ऐसा किया नहीं गया है। उर्दू के विषय में मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसका आदर करता हूं कि उर्दू के लिये उप शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हो और शीघ्रातिशीघ्र इसका कार्यान्वयन किया जाय परन्तु संस्कृत विषय के लिए दो एक इन्सपेक्टर ही हैं। उसके लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि आगे इसका समावेश किया जावेगा। मैं आप के माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और इसको उर्दू से भी और आगे बढ़ाना चाहिये और इससे भी ऊंचा स्तर मिलना चाहिये और जो उप निदेशक की आवश्यकता है उसकी नियुक्ति की जाय और उसमें गति आनी चाहिये।

दूसरा विषय चिकित्सा का है। माननीय वित्त मंत्री जी ने चिकित्सा के विषय में स्पष्ट घोषणा की है कि हमें अपने सारे प्रदेश में इस समस्या को निबटाना है। मान्यवर, उन्होंने एलोपैथिक के डाक्टर को सुविधा देने की कोशिश की है और उसके लिय प्राविधान रक्खा है। वहीं इस प्रदेश के आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा नियमों में सुधार के लिए प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से वित्त मन्त्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी इसी प्रकार की सुविधायें मिलेंगी और उनको मिलना चाहिये। साथ ही साथ हमारे सारे प्रदेश में चिकित्सा की भी बड़ी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है, उसको पूरा करने के लिए भी प्रयास किया जाय। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में ३५, ३५ और ४०, ४० मील तक औषधालय नहीं है। प्रसव पीड़ा से ५५ प्रतिशत तक महिलाएं पहाड़ पर प्राय: मर जाया करती हैं। इसी तरह से छोटे-छोटे अस्पतालों की भी अच्छी व्यवस्था न होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर और देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वतंत्र भारत में नहीं जी रहे हैं बल्कि पशु जैसा जीवन बिता रहे हैं। मुझे स्मरण है और शायद पहले भी कह चुका हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में थलीसेन नामक स्थान है। वहां एक आदमी के पेट में दर्द हुआ। वहां कोई अस्पताल नहीं था। एक स्टाक मैन था। गांव

वालों ने सोचा कि शायद वह इलाज कर ले। वह उसके पास पहुंचे। उसने भेड़ों पर लगाने वाली सूई (इंजेक्शन) उस आदमी को लगा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसलिए आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहां सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाय।

विद्युत् योजना के विषय में बहुत कुछ कहा गया और माननीय सदस्यों ने काफी आंकड़े भी रखे। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि योजना बनती है लेकिन उचित समन्वय न होने के कारण उन पर कोई कार्य नहीं होता। हमारे गेंठीछेड़ा योजना है। लेकिन वह योजना आज तक पूरी नहीं हुई। पिछले वर्ष १२ अप्रैल, १९७० को ढ़ाई लाख की मशीन उस स्थान पर पहुंचाने के लिए जब ले जायी जा रही थी तब सड़क का नामोनिशान न होने के कारण वह मशीने पहाड़ से गिर कर चकनाचूर हो गयी। ऐसा हो गया लेकिन फिर भी वहां सड़क की कोई योजना नहीं। इसी तरह से हमारे यहां उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि एशिया का सब से ज्यादा विस्तृत ५०० एकड़ का एक बाग है जो गढ़वाल जिले में भरसार नामक स्थान पर है। वह फलों से भरा हुआ है। लेकिन आप को आश्चर्य होगा कि ५०० एकड़ के बाग को इस साल १२ हजार में नीलाम कर दिया गया जबकि अल्मोड़ा क्षेत्र में चौपटिया नामक बाग जो १०० एकड़ का है उसका फल इस साल ५ लाख ६३ हजार में नीलाम हुआ।

श्री बंशीधर पांडेय

तब भी आप वहां जमे हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

वह सब पुराने लोगों के कारण। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इतना बड़ा बाग सड़क न होने के कारण इतने कम पर नीलाम हुआ और वहां इतना नुक्सान हो रहा है। हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि हमें अनेक प्रकार के टैक्स लगाने हैं। मैं समझता हूं कि हमारी योजनाएं जो इस तरह से छिन्न-भिन्न हो रही हैं क्योंकि विभागों में आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, अगर उन योजनाओं को पूरा करा दिया जाय तो मैं समझता हूं हमारे यहां कोई समस्या नहीं रहेगी। पिछड़े वर्ग की बात भी वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कही है, मैं उनका स्वागत करता हूं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहाड़ों, बुन्देलखंड तथा पूर्वी जिलों के लिये अलग-अलग योजनायें नहीं होना चाहिये। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं, मगर मैं उनके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से काफी भिन्नतायें हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछली बार प्रदेशीय सरकार ने ट्यूबवेल लगाने की एक योजना स्वीकार की थी और वह पहाड़ों के लिये भी थी। लेकिन जो पहाड़ १४–१५ हजार फुट पर हैं, वहां यह योजना कैसे सफल हो सकती है? इस लिये भूमि की उपयुक्तता के आधार पर जो सर्वे हुआ है जब तक उसके अनुसार आप योजनायें नहीं बनायेंगे, विकास न होगा। यदि सारा जगह के लिये एक से ही नियम आदि आप बनायेंगे तो पहाड़ों पर वह लागू नहीं हो सकते।

मान्यवर, २७ जिलों के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने ९३ करोड़ ९५ लाख रुपये की व्यवस्था की है। मान्यवर, यह धन उन जिलों के लिये पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। पिछड़े हुये क्षेत्रों में भी समानता की भावना लाने के लिये अधिक से अधिक धन चाहिये और उन जिलों को प्रदेश के अन्य जिलों के समकक्ष लाने की कोशिश करनी चाहिये। जितने समृद्धि पश्चिमी जिले हैं, उतने ही समृद्ध यह पिछड़े हुये जिले भी होने चाहिये।

सारे प्रदेश में मान्यवर, सवा ६ एकड़ लगान माफी का बड़ा हल्ला है। इससे पहाड़ी प्रदेश को तनिक भी लाभ नहीं हुआ है। हमारे सारे पहाड़ी प्रदेश में ०.५ एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं है और ४ आने से लेकर ४ रुपये से अधिक कोई भी किश्त नहीं देता। आज वहां आवागमन के साधन न होने के कारण ५ रुपये किलो दाल, ६ रुपये किलो चावल,

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

३ रुपये की मिट्टी के तेल के बोतल आदि खरीद रहे हैं। हम सवा छः एकड़ वाले लगान को देने के लिये तयार हैं, हम वह माफ नहीं चाहते, मगर हमें यातायात की सुविधायें प्रदान की जायं। इस मंहगायी ने कमर तोड़ दी है (व्यवधान)। (एक आवाज---वित्त मंत्री तो अब पहाड़ के ही है।) मान्यवर, यह सदन सबसे ऊंचा है, सदन को हमारे साथ सहानुभूति रखना चाहिये।

उद्योग धंधों की ओर भी अगर समुचित ध्यान दिया जाय तो यह प्रदेश बहुत भारी तरक्की कर सकता है। पर्वतीय प्रदेशों की ओर अगर उचित ध्यान दिया जाय तो हमारे पहाड़ी प्रदेश के जिले ही अकेले प्रदेश की सारी वित्तीय स्थिति को ठीक कर सकते हैं। हमारे यहां के सारे मिनरल्स आज पंजाब चले जाते हैं जहां उनकी लूट होती है। इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

बाढ़ के कारण भी हर साल कटाव और बहाव के कारण बड़ा नुकसान होता है। मान्यवर, पहाड़ों की सारे के सारे जंगल बेरहमी से काटे जाते हैं और फिर उनको पहाड़ों से नीचे को खींच लिया जाता है। जो अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहा ले जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि यह जो लकड़ी नदियों में बहा दी जाती है, उसके कारण से पानी रुक जाता है और समय-समय पर बाढ़ आती रहती है। भारतवर्ष में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं हरियाणा, काश्मीर आदि---वहां से वाटर एण्ड पावर कमीशन जो दिल्ली में है उससे उन प्रदेशों के फ्लड कन्ट्रोल के लिए फ्लड कन्ट्रोल स्टेशन की मांग की जाती है। लेकिन आश्चर्य है कि यहां पर जहां पर बेलाकूची जैसी भयंकर दुर्घटनायें होती हैं और बद्रीनाथ का रास्ता महीनों के लिये बंद हो जाता है, उत्तर प्रदेश से आज तक केन्द्रीय सरकार के वाटर एण्ड पावर कमीशन से फ्लड कन्ट्रोल के लिये कोई फ्लड कन्ट्रोल स्टेशन की मांग नहीं की गई है। यह दो तरह के स्टेशन होते हैं। एक तो वह हैं जो नदियों के पास ही रखे जाते हैं, और जब बाढ़ आती है तो उसकी सूचना देते हैं और दूसरे वे हैं जो प्रति २४ घंटे में बाढ़ विषयक सूचना अपने केन्द्र को भेजा करते हैं। इस प्रकार के फ्लड कन्ट्रोल स्टेशन अलखनन्दा, भागीरथी आदि नदियों के किनारे स्थापित किये जाने चाहियें। इसके लिय पूरी व्यवस्था की जाये ताकि बाढ़ की भयंकरता से हम बच सकें।

शिक्षा के विषय में मैं माननीय शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का आभारी हूं कि हमारे यहां पर दो डिग्री कालेज खोल दिये गये हैं। लेकिन एक झगड़ा और खड़ा कर दिया गया है---वह है विश्वविद्यालय का झगड़ा। यह प्रश्न गढ़वाल और कुमायूं मंडल के मध्य एक भयंकर रूप लेने वाला बन गया है। मैं नहीं कहता कि नैनीताल में विश्वविद्यालय की स्थापना न हो, लेकिन मैं यह कहता हूं कि चूंकि कुमायूं में बन चुका है पहले, इसलिये अब दूसरा पहले गढ़वाल में बनना चाहिये।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्री नौटियाल जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय का जो जिक्र किया और कहा यह मामला भयंकर रूप लेने वाला है, तो क्या इस बजट भाषण में मंत्री जी ने इस बात का कोई संकेत किया है? क्या आपको पता है कि इसका फैसला इस तरह से हो चुका है?

श्री शिवानन्द नौटियाल---

सरकार का ऐसा फैसला हो गया है, केवल कुमायूं के लिये व्यवस्था कर दी गई है, गढ़वाल मंडल की उपेक्षा कर दी गई है। मैं गढ़वाल मंडल के लोगों की भावना को सरकार तक पहुंचा देना चाहता हूं। यदि ऐसी व्यवस्था की गई तो कहीं उसका अन्यथा परिणाम न हो, अतः इसकी व्यवस्था अवश्य कर ली जाये। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने शायद केन्द्रीय सरकार से, विश्व बैंक की सहायता के कारण ऋण लेने के लिये

इतना उत्साह न दिखाया हो। उन्होंने हम लोगों से पूछा है कि हम कहां से इतना रुपया इकट्ठा करें। मैं आपके द्वारा सबसे पहले यह प्रश्न करना चाहता हूं कि रिहन्द बांध से जो रिहन्द कारखाने के लिये १.९ पैसे प्रति यूनिट की दर से, पूरे दो पैसे भी नहीं, बिजली दी जा रही है, वह बन्द करके उनको भी उसी हिसाब से दी जाय, ताकि सरकार का तीन करोड़ रुपये वार्षिक का घाटा पूरा हो जाये।

एक प्रश्न और है, हमारे प्रदेश में आज विदेशी शराब के ठेके का नीलाम नहीं होता। पंजाब सरकार ने इससे २८ करोड़ रुपया कमाया है। आज भी इस प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिये विदेशी शराब के लाइसेंस दिये गये हैं। इससे हमारी सरकार को ५० करोड़ रु० का लाभ हो सकता है और इससे अब अन्य टैक्स न लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

मान्यवर, इंडस्ट्रीज के नाम पर जो लूट मची हुई है, वह यह है कि २ लाख २५ हजार रुपये का लीसा इन्डस्ट्रीज के नाम पर हमारे पहाड़ों से लिया जा रहा है। अगर उसे बाजार भाव पर बेच दिया जायेगा तो ३ करोड़ से ५ करोड़ रुपये का लाभ इससे प्रदेश को मिल सकता है। उद्योग के नाम पर जो रुपया वसूल किया जा रहा है, इसको व्यक्ति विशेष को न देकर प्रदेश की सरकार अपने हाथ में ले ले जिससे कर लगाने की जरूरत न पड़े और प्रदेश को अपने-अपने लिये कुछ संसाधन प्राप्त हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान किया।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त मंत्री ने लगभग ६४३ करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है जिसमें ४८ करोड़ ८० लाख रुपये का घाटा दिखलाया है। मान्यवर, इस बजट को देखने के साथ-साथ मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना और पढ़ा भी। मान्यवर, इस बजट में सिवा धोखाधड़ी और शब्दजाल के और कोई बात मुझे नजर आयी नहीं। जहां तक मैंने इसको देखा और समझा, पुराना बजट जो पेश हुआ था उसी तरीके का एक प्रकार से घिसा घिसाया, पिटा-पिटाया बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता था लेकिन मुझे शिकायत इस बात से हुई कि उनके भाषण को जब मैंने पढ़ा और शुरू से अन्त तक उसका अध्ययन किया तो उसके अन्दर मुझे एक नयी चीज देखने में नजर आयी। सन ५२ से लेकर आज तक जितने बजट भाषण पढ़े गये हैं––इतने महीन टाइप में और ३३ पन्ने का लम्बा चौड़ा भाषण इस सदन में कभी भी पढ़ा नहीं गया था जो श्री नारायणदत्त तिवारी ने पढ़ा। और इस सम्मानित सदन का काफी समय लिया। उसमें कहा क्या उन्होंने? मान्यवर, आज से तीन चार महीने पहले जो हवा उनके दिमाग में थी उसी हवा से उन्होंने इसका श्रीगणेश किया।

देश के इतिहास में गत वित्तीय वर्ष इस अर्थ में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि संसद के पिछले आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रजातांत्रिक समाजवाद के ध्येय तथा कार्यक्रम एवं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रगतिशील नेतृत्व को भारी समर्थन प्रदान कर राष्ट्र की सेवा करने का अवसर दिया। मान्यवर, व्यक्ति पूजा की तो उनकी आदत है। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उनका ध्यान दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तरफ नहीं गया। प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनावों की तरफ नहीं गया। उनको सावन के अंधे की तरह सब हरा ही हरा दिखाई देने लगा। उनसे मुझे कुछ शिकायत नहीं है। शिकायत तो इस प्रदेश की सरकार से है। इसमें लिखा गया है––"इस पृष्ठभूमि में राज्य स्तर पर स्थापित नयी सरकार को भी इस सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से जनता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति तथा जन साधारण के उत्थान के श्रेष्ठ और पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिय निरन्तर चेष्टाशील रहना है।" इसमें नयी सरकार की उस भावना को व्यक्त किया गया है जिसके जरिये उसे प्रदेश के जन साधारण के उत्थान के श्रेष्ठ

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

और पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिये निरन्तर सचेष्ट रहना है। श्रीमन्, इस बजट के अन्दर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आयी। जिस समय लोक सभा का चुनाव लड़ा गया उस समय चार नारों पर मुहर लगायी गयी। गरीबी हटाना, मंहगाई हटाना, बेरोजगारी हटाना और असमानता दूर करना। वे चारों नारे ठीक हो सकते हैं। हमारी सद्भावना उनके साथ रही। लेकिन इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि जिस दिन इस धोखा देही की सरकार ने शपथ ली उसके १० दिन बाद ही प्रकृति का प्रकोप शुरू हो गया। १४ अप्रैल से वर्षा शुरू हो गई और ऐसा समाजवाद आया कि १०० (सौ) बीघे वाले काश्तकार भी साफ हो गये और दो बीघे वाले काश्तकार भी साफ हो गये। और आज तक उस वर्षा से पिंड नहीं छूटा है। यह इस सरकार की भावना और पवित्र उद्देश्य का ही प्रतिफल है जो आज इस प्रदेश की जनता भुगत रही है। पिछले बजट भाषण में जोजो -भी विषय थे उनमें से किसी को छोड़ा नहीं गया है।

मान्यवर, इन्होंने सबसे पहली ४८ करोड़ ८० लाख रूपये के घाटे को पूरा करने के लिये अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने का जिक्र किया है। उसमें बताया गया कि हम बकाया की वसूली करेंगे खर्चों में कमी करेंगे और करों को वंचना से बचायेंगे। यह सब बातें हर पूर्ववर्ती सरकारें कहती रही हैं। उन्होंने परिवर्तन और समाजवाद का नारा लगाया। उस दिशा में क्या कदम उठाया? उन्होंने पिछड़े हुये क्षेत्र दैवी आपदाओं, कृषि, सहकारिता, उद्योग, पिछड़े वर्ग, समाज कल्याण, श्रम कल्याण, ग्रामीण सेवा योजना, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल की पूर्ति, सिंचाई, विद्युत् आदि कोई भी विषय भरसक छोड़ा नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे जनसाधारण का उत्थान सम्भव है। जिस प्रकार का शब्दजाल उन्होंने फैलाया है केवल इससे यह प्रतीत होता है कि १९७२ में फिर मध्यवर्ती चुनाव कराना चाहते हैं, इस प्रकार के शब्दजाल में उसकी भूमिका दिखाना चाहते हैं। वस्तुस्थिति होती तो प्रगति की ओर ध्यान जाता, जो आज हमारे प्रदेश में हो रहा है उसकी तरफ ध्यान जाता। उस तरफ इस सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये था। आज देश के अन्दर, इस वर्ष के आंकड़े न लिये जायं जो अनाज सड़ गया है, पिछड़े आंकड़ों को लिया जाय, जिसका श्रेय पिछली सरकारों को है, इनको नहीं है। यह बात जरूर है कि यदि शेर की खाल में भेड़िये को शेर बनाने की बात है तो दूसरी बात है। माननीय तिवारी जी और श्रद्धेय पंडित कमलापति जी, पंडित जी १९५२ से बराबर मंत्रिमंडल में रहते आये, जब-जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल रहा। तिवारी जी १९५२ में जरूर इधर से खड़े होते थे और सरकार की आलोचना किया करते थे। अगर उनके उस समय के भाषण देखे जायं तो ठीक अपनी बातों के प्रतिकूल बजट भाषण में कहा है फिर भी उनसे कम शिकायत है। मैं इंडिकेट कांग्रेस की सरकार से कहता हूं, कि नाम बदल देने से कोई गुण आने वाला है नहीं। वास्तविकता छिपती नहीं है। उन्होंने कृषि उन्नति का मूल कारण सहकारिता बताया है।

सहकारिता का एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूं। मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में जब श्री लक्ष्मीशंकर जी यादव सहकारिता मंत्री थे जो आज भी हैं तो उन्होंने सहकारिता विभाग में एक पुलिस स्थापित करने का वचन दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि लगभग १३ लाख का रुपया का सहकारिता विभाग में गबन है। आज उस दिशा में परदा डाल दिया गया। कोई जिक्र उसका नहीं है कि जो हमने वादा किया था, घोषणा की थी, अलग से पुलिस चालू करने की और जांच करवाने की और भ्रष्ट कर्मचारियों को दंड देने की, और जो रुपया उसके लिये अपेक्षित होगा उसकी वसूली की व्यवस्था करने का कोई जिक्र नहीं है। केवल प्रशंसा का पुल बांधा गया है। इस पर भी यह कह दिया है कि हमारा जो भूमि विकास बैंक है, इतना ऋण दे रहा है जिससे कृषि के साधन बहुत बढ़ रहे हैं। कृषि की बहुत उन्नति हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि उनको ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है सही स्थिति का। भूमि विकास बैंक जो ऋण दे रहा है उसमें जो भ्रष्टाचार का

बोलबाला है उसकी वे जांच करवायें, मैं चैलेंज देता हूं, कि उनकी आंखें खुल जायंगी। इनी गिनी कम्पनियां उन्होंने रिजर्व कर रखी हैं। किसान अपनी भूमि बंधक रखता और ऋण लेता है। सीधे सीधे उस कम्पनी से इंजन दिलाया जाता है। १२–१३ सौ का इंजन ४२ सौ का खरीदना पड़ता है। और उसके अन्दर विभागीय छोटे कर्मचारी से लेकर डायरेक्टर तक भ्रष्ट हैं, पैसा खाते हैं जिससे किसान की तबाही होती है। इसकी जांच कराई जाय। लेकिन मैं जानता हूं कि जांच नहीं होगी। उनको केवल चुनाव का खयाल रहता है। लिहाजा विभाग की प्रशंसा ही प्रशंसा की जायगी। बजट भाषण पुस्तिका के पृष्ठ १५ पर सहकारिता का जिक्र है। क्या सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, उस काले कारनामों को दूर करने के लिये उसमें एक शब्द भी कहा गया है? जब संविद की सरकार थी तो उनकी ओर से यह कहा जाता था कि प्रदेश के लिये वह हितकर नहीं है लेकिन उनको यह सोचना चाहिये कि आज की वर्तमान इण्डीकेटी कांग्रेसी सरकार उसी एस० एस० पी०, बी० के० डी०, स्वतंत्र पार्टी के सदस्य घुसे हुये हैं और मंत्रि पद का प्रलोभन पा कर उसमें गये हैं। एक तरह से छिपी हुई एस० वी० डी० का रूप ही यह सरकार है और बाकी सब जनता को धोखा देने की बात है।

आज प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। जान व सम्पत्ति की सुरक्षा पर किसी का विश्वास नहीं है। पहले रात में ट्रेने लूटा करती थी लेकिन आज दिन में दिन दहाड़े डकैतियां और कत्ल हो रहे हैं। एम० एल० एज० कत्ल के शिकार होते हैं और दिन दहाड़े चोरी और डकैती होती है। क्या बजट भाषण में इस बात का कोई संकेत किया गया कि अकर्मण्य पुलिस को सकर्मण्य बनाने की चेष्टा की जायगी, पुलिसबल को बढ़ाने की कोशिश की जायगी, पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने की कोशिश की जायगी जिससे जनता में पुलिस के प्रति आस्था तथा विश्वास बढ़ सके। सन् ५१–५२ के आंकड़ों से मुकाबला किया जाय तो पता चलेगा कि कितनी धनराशि आज खर्च की जा रही है। ६४३ करोड़ रूपये का आज बजट है और गरीब जनता की कमर टूटती चली जा रही है। कहा यह जाता है कि नये कर नहीं लगाये जायंगे ताकि गरीबों पर बोझ न पड़े। लेकिन क्या कहीं भी इस बात का जिक्र बजट भाषण में किया गया कि बिक्री कर में कर वंचना से बचने की कार्यवाही को रोकने के लिये सी० आई० डी० से जांच करायेंगे। कितनी कर वंचना हो रही है? उसकी दोषी जनता अथवा व्यापारी वर्ग नहीं है। उसके लिये दोषी भ्रष्ट अधिकारी हैं। चल चित्रों तथा सिनेमा में परदे पर भ्रष्ट कारनामे दिखाये जाते हैं लेकिन इस सरकार पर और दिल्ली की सरकार पर भी उसका कोई असर नहीं होता। ४९ करोड़ के घाटे को पूरा करने के लिये कर वंचना से इतनी धनराशि पूरी की जायगी, इतना बकाया पैसा वसूल करके घाटे को पूरा किया जायगा और इतनी धनराशि खर्चे में कमी करके घाटे को पूरा करेंगे–इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया। चार महीने हो गये इस सरकार को बने हुये क्या खर्चे में कमी करके दिखलाई। छोटा मंत्रिमंडल बनाया गया होता तब भी एक बात थी। जनता आज चाहती है कि जान और सम्पत्ति को सुरक्षा मिले, उसको सस्ता न्याय मिले। प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर हो। स्वच्छ प्रशासन हो, शिक्षा में सुधार हो। नवयुवक चाहता है कि उसे रोजगार मिले। अगर बेरोजगारी इसी तरह से बढ़ती गयी तो नक्सलपंथी केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, सारे देश में वे छा जायंगे और उसकी जिम्मेदारी इन्द्रा जी पर होगी। नवयुवक को प्रलोभन दिया जाता है कि जो नवयुवक प्राविधिक शिक्षा प्राप्त किये होगा उसे ऋण के रूप में सहायता दी जायगी जिससे वह कुछ काम धन्धा चला सके। ऋण देने की रीति पिछली सरकार की गलत थी तो थी किन्तु इनको कहने का क्या दावा है कि हम सुधारक बनकर आये हैं और हमने सरकार बनायी है।

मान्यवर, बजट भाषण के अन्त में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने एक फारसी का शेर लिख दिया। देववाणी संस्कृत अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी को छोड़ कर तथा उर्दू को भी छोड़ कर उन्होंने पारसी शेर लिखा है अपने भाषण में। उन्होंने लिखा है कि मैं स्वयं अपने व्यक्तित्व में अनादि एवं अनन्त का दर्शन करता हूं एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि आज हमारे जनजीवन को कवि

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

के अमर शब्दों में एक ऐसा समन्वित व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जहां हममें से प्रत्येक नागरिक इस भावना से अनुप्राणित हो कि व्यक्ति की निजी आवश्यकतायें व राष्ट्र व प्रदेश की आवश्यकतायें एकात्मक हैं। तो मान्यवर, इसका अर्थ क्या है कि स्वयं मैं अपने व्यक्तित्व में अनादि और अनन्त का दर्शन करता हूं। यह तो आत्मव् सर्वभूतेषु का दर्शन है इसी को इन्होंने यहां पर प्रतिपादन किया है। मान्यवर, क्या अनादि और अनन्त का दर्शन उन्होंने इसमें किया है कि रात्रि के दो-दो बजे तक दारुल शफा में एम० एल० एज० को प्रलोभन दे करके और लालच दिखा करके कि हम आपको फलां पद दिला देंगे मंत्री बना देंगे ? मान्यवर यही उनका व्यक्तित्व है। ये वे मंत्री जो आज हमारी ९ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी आज इन ९ करोड़ जनता के ऊपर संरक्षण की जिम्मेदारी है। इस प्रकार प्रदेश के एक मंत्री और वह भी वित्त मंत्री इस प्रकार का आचरण करते हैं तो क्या इसी में अनादि और अनन्त का दर्शन वे करते हैं। ऐसे ही दर्शन वे नागरिकों को करायेंगे जसे कि उन्होंने किये। जिस प्रधान मंत्री के नेतृत्व में उनको आ गर्व है---कहना तो नहीं चाहिये किन्तु मैं कोई व्यक्तिगत आक्षे भी नहीं लगाता हूं। श्रीमन्, आप जो कि एक पुराने कार्यकर्त्ता हैं, त्यागी हैं और आप घोर समाजवादी हैं आप स्वयं समझते हैं। उनकी चित्तवृत्ति का यही प्रमाण है। समाजवाद के नारे पर जिस कांग्रेस ने आज देश को आजादी दी थी उसमें फूट डाल कर मंत्री बने रहने के लालच से उसके दो टुकड़े हो गये। यह कितनी अनुशासनहीनता की बात की गई। यह बड़े शर्म और लज्जा की बात है। भगवान कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय में कहा है कि---

यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकसतदनुवर्तते।

तो मान्यवर जो अनुशासनहीनता की गई है उसे इतिहास की पंक्तियां कभी क्षमा नहीं करेंगी जिस पर तिवारी जी को न ज है।

एक संतोष मुझे अवश्य है और वह यह है कि हमारे श्रद्धेय पंडित जी १०--१५ वर्ष से सोच रहे थे कि वे मुख्य मंत्रियों की लिस्ट में अ ज यं। ३० मार्च को दिये गये मेरे भाषण में मैंने यह बात प्रकट भी की थी। तो मुझे इस ब त की खुशी है कि आज हमारे पंडित जी मुख्य मंत्री बने हुए हैं।

मान्यवर, मैं सस्ते न्याय के बारे में भी कहना चाहता हूं कि सीलिंग की भूमि खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को जो ग्रामों में निवास करते हैं उन हरिजनों को दी जाय। लेकिन मान्यवर, यह नहीं हो रहा है। गलत पट्टे जिनके बन गये थे आज उनको कैंसिल नहीं किया जा रहा है और जिनके सही बन गये थे उनसे सीरदार बना देने के नाम पर घूस ली जा रही है हमारे यहां कच्चा बीघा चलता है ५ रुपये ५० रुपये बीघा तक पर पट्टे किये जा रहे हैं सीलिंग की जमीन के और यह सरकार अंधी है प्रशासक और कर्मचारी अंधे हैं। यह है सस्ता न्याय।

दूसरे जो रिश्वतखोरी बढ़ी हुई है उसको वे स्वतः जांच करावें उनको मौका मिला है विरोधी दल नहीं चाहेगा कि इस वक्त उनकी सरकार गिरे। वह चलायें उनको मौका मिला है, कुछ करके दिखावें। लेकिन दिखावेंगे क्या ? यह तो भूमिका है अगले चुनाव की जो रची जा रही है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने दुनियां भर के स्थान दिखा दिये जहां से ऋण लेंगे। देहात में एक मिसाल है कि उधार का खाना और फूंस का तापना क्षणिक होता है

फिर दरिद्र के दरिद्र । तो ऋण ले लेकर के देश का विकास करेंगे । पी० आर० डी० को विकास दल बनाने जा रहे हैं, यह बड़ी अजीब सी बात है । हम ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, गांव में घूमते हैं मुझे भी राजनीति के पापड़ बेलते हुए ३३ वर्ष हो गये । निवेदन करना चाहता हूं कि वे धोखे में न रहें । वह समय लद गया । सन् ७२ में चुनाव होगा तो पता चलेगा कि इंदिरा जी के नेतृत्व को जनता कितना पसन्द कर रही है । वही गति हो रही है कि "भई गति सांप छछूंदर केरी" । अगर हिम्मत हो तो बंगला देश को मान्यता दिलावें । सारे देश की जनता मांग कर रही है । लेकिन वहां कुर्सी हिल रही है । मान्यता दिया तो गयी, नहीं दिया तो गयी । फंस गयी बुरे जाल में, क्योंकि कागज की नाव कभी चलती नहीं ।

आज प्रदेश की जरूरत क्या है ? हमारे परिवहन मंत्री जी चले गये जो अब तक इस सरकार का प्रतिनिधित्व सदन में कर रहे थे । यातायात की जो दिक्कतें हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में है, जिस प्रकार से बसें ६-६ घंटे लेट छूटती हैं और जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है इस बजट में उसकी कहीं चर्चा नहीं है । मद्य निषेध के विषय में चर्चा नहीं है । शिक्षा के विषय में –

"विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम् ।

कहा गया है, मान्यवर, शिक्षा के विकास में क्या प्रगति है । शिक्षा के विकास में कुछ स्कूल खोलने का बड़े गर्व से जिक्र कर दिया गया है । आज शिक्षित वर्ग बेकार हो रहा है अशिक्षित तो आज सौ रुपये माहवारी में भी नहीं मिलता लेकिन शिक्षित मारा-मारा घूमता है । यह परीक्षा प्रणाली जिसमें छुरेबाजियां होती हैं अध्यापक और इनविजिलेटर मारे जाते हैं । अगर सम्वाददाता समाचार पत्रों में कहीं समाचार देते हैं तो विद्यार्थी उन पर भी छुरे दिखाते हैं यह शिक्षा कहां हमको ले जा रही ? इसमें सुधार का कोई कदम उठाया ? परीक्षा प्रणाली में सुधार की कोई चर्चा की होती, विकास की चर्चा की होती तो मैं समझता कि ये वास्तव में देश का कल्याण चाहते हैं । प्रदेश में प्रगतिशीलता चाहते हैं लेकिन वहां तो केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । (लाल बत्ती होने पर) आपने लाल बत्ती जला दी है और मैं आपसे डरता हूं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र रामजी लाल सहायक सन ५२ के एम०एल०ए०, बड़े गुप्ता जी के भक्तों में से थे और आदर्शवादी बनते हैं । मेरे यहां के डी०आई०ओ०एस० रामदास जिसकी कैरेक्टर रोल में भ्रष्ट एंट्री पड़ी हुई है बहराइच में थे, उनके खिलाफ बड़े चार्जेज थे । जनवरी, १९७१ में आदेश होता है तत्कालीन शिक्षा निदेशालय का कि इसको रिवर्ट करके राजकीय, दीक्षा कालेज, नरेंद्र नगर, का प्रिंसिपल बनाकर भेजा जाता है । वह वहां नहीं गया यहीं लाबीज में घूमता रहा । ६ महीने बीत गये और डिप्टी डायरेक्टर ने वहां के इंटर कालेज के प्रिंसिपल को चार्ज दिलवाया और वह काम करते रहे । आज सारे आदेश निरस्त करके उनको फिर डी०आई० ओ० एस० का चार्ज बहराइच में हीं दिला दिया, उस फाइल को देखा तक नहीं । इस प्रकार भ्रष्ट प्रशासन से शिक्षा में क्या प्रगति होगी और नवयुवकों का क्या सुधार होगा ? आज सरकार में कोई आस्था और विश्वास नहीं रह गया है । अब इस शब्दजाल में कोई फंसने वाला नहीं है ।

मैं अन्त में फिर इस बजट को एक बार प्रदेश को दीवालिया बनाने वाला बजट कह कर समाप्त करता हूं ।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की विधान सभा के सम्मुख सन् १९७१-७२ का सरकार का लेखा-जोखा प्रस्तुत है । हमें इसे ऐसी गति देनी है जिसमें प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो । यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । अगर यहां के किसानों की अच्छी हालत होगी तो देश मजबूत होगा । खेती के लिये ४–५ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे अच्छा और उन्नत-शाल बीज, सिंचाई के साधन, उर्वरक खाद, कीड़े मारने वाली दवा और अच्छा बाजार और बाजार तक पहुंचने के लिये अच्छा मार्ग ।

सिंचाई में यह देखा जाता है कि गरमी के दिनों में जब लू चलती है, जब फसल को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, नहरें खाली पड़ी होती हैं, पानी का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता । पंपिंग सैट और बिजली के नलकूप भी चल गये हैं लेकिन वहां भी गड़बड़ी चलती है । समय पर बिजली नहीं मिलती है और जो बिजली भी मिलती है वह इतनी महंगी है कि वह किसानों की क्षमता से परे है दूसरी ओर बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली सस्ती दी जाती है । किसानों को अगर सस्ती बिजली मिले तो उनकी उपज बहुत बढ़ सकती है।

सरकार की तरफ से भूमि बंधक बैंक खोले गये हैं जिसके अन्दर भूमि रख कर रुपया लिया जा सकता है । किसान उस रुपये से साधन जुटा कर अपना काम चला सकता है। लेकिन देखा यह जाता है कि जो अधिकारी या कर्मचारी किसानों को ऋण दिलाते हैं वे धन का बहुत बड़ा भाग खुद हड़प लेते हैं । बाराबंकी जिले में फतेहपुर एक ब्लाक है । वहां के भूमि बंधक बैंक के मैनेजर बहुत गड़बड़ी करते हैं । किसान किसी दूसरे इंजन को लेना चाहता है, उसको पेशगी भी दे चुका है लेकिन चैक किसी दूसरे डीलर के नाम से उसे दे दिया जाता है । इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला ग्राम सेवक भी करता है । मैनेजर साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी की गयी है लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ । सरकार मैनेजर को निलंबित करके जांच कराये और छानबीन करके उसको दंड दे । देखा यह जाता है कि जो अधिकारी गड़बड़ करता है उसका केवल ट्रांसफर कर दिया जाता है । केवल स्थानान्तरण ही काफी नहीं है दंड भी दिया जाना चाहिये ताकि आगे के लिये सुधार हो सके ।

किसानों को गल्ले का उचित दाम मिले इसके लिये सरकार ने क्रय केंद्र खोल रखे हैं । लेकिन एजेंट लोग बाजार से सस्ता गल्ला लेकर फरजी किसानों का नाम लिखकर गड़बड़ कर रहे हैं और किसानों से उनका गल्ला न लेकर उनको परेशान किया जाता है । नलकूपों पर आये दिन बिजली गायब रहती है । बिना पानी के फसलें सूख जाती हैं । शिकायत करने पर कोई नतीजा नहीं निकलता । वहां जो मीटर लगाये जाते हैं वे सरकारी होते हैं । कायदा यह है कि यदि वह मीटर किसान की गलती से जल जाता है तो उसका पैसा किसान को भरना पड़ता है । और अगर लाइन की खराबी से वह जला तो उसका खर्चा किसान से न लेकर विभाग को देना चाहिये । लेकिन हमारे बाराबंकी जिले में इस तरह के तमाम केस हैं कि उनसे पावर मीटर का पैसा ले लिया जाता है और दरख्वास्त देने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती । बाराबंकी जिले में हमारे ही क्षेत्र में निगुणा एक ब्लाक है जहां एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है । सरकार की ओर से कहा जाता है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं रखेंगे जिसका पांच मील की दूरी से सड़क का संबंध स्थापित न हो । लेकिन उस पूरे क्षेत्र में एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है। एक सड़क जिला परिषद् की थी जिसको अब पी०डब्लू०डी० ने ले लिया है । वहां के ब्लाक प्रमुख ने, स्वयं मैंने और उस क्षेत्र की जनता ने और बाराबंकी जिला परिषद् के अध्यक्ष ने सब से निवेदन किया लेकिन हमें निराश होना पड़ा । हमने सार्वजनिक निर्माण मंत्री से भी निवेदन किया लेकिन आजतक उसका कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नतीजा नहीं निकला । वहां कई बसें हैं जिनसे सरकार टैक्स के रूप में रुपया लेती है लेकिन उनके लिये सड़कें नहीं बनवाती, उन्हें परेशानी में डाला हुआ है ।

सहकारिता विभाग से बड़ी आशायें थीं कि यहां का किसान सुखी होगा लेकिन इतना गड़बड़ घोटाला उसमें चल रहा है, सरकारी कर्मचारी उसमें इतना असहयोग कर रहे हैं जो इन्तहा पर पहुंच गया है । हम सरकार से मांग करेंगे कि उसकी जांच-पड़ताल करा कर उचित कार्यवाही करे ।

इधर प्रशासन व्यवस्था जिस तरह से ढीली है, आये दिन किसी न किसी का कत्ल होता है, डकैती होती है, मां-बहनों की इज्जत लूटी जाती है लेकिन जब दरख्वास्त दी जाती है कि उसके लिये कोई कार्यवाही की जाय मगर अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है । प्रशासन व्यवस्था की हालत तो यह है कि सीतापुर जिले में ३-३ जिलाधिकारी भेज दिये गये । अगर कोई छोटा कर्मचारी होता तो सोचा जाता कि कहीं भूल से हो गया होगा, लेकिन जिलाधिकारी तो जिले में एक ही होता है और ३-३ वहां भेज दिये गये और जिस तरह से वहां रस्साकशी चली उससे प्रशासन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है ।

पुलिस हमारी रक्षा के लिये है लेकिन आये दिन हमारे जिले में तार काटे जाते हैं और अफीम की चोरबाजारी होती है । देखा यह जाता है कि जो उसको रोकने के लिये हैं वे खुद उसमें शामिल हैं । इससे बाराबंकी जिले में अफीम को ले कर रोज कत्ल होते हैं । अगर सरकार अफीम का कारोबार करने वालों को उचित मूल्य दे तो उसकी चोरबाजारी बन्द हो जाय । आज कलकत्ते में जाकर अफीम का भाव १२-१३ सौ रुपये किलो हो जाता है लेकिन यहां सरकार ३२-३४ रुपये का भाव किसान को देती है । अगर किसान को २–३ सौ रुपया भी मिल जाय तो यह गड़बड़ी भी मिट जाय और चोरबाजारी न हो । किसान को उचित पैसा मिले और जो यह अराजकता बढ़ती जा रही है वह भी है बढ़े ।

कई चीजों का सरकार ने सरकारीकरण कर दिया है, जैसे गन्ना मिल । लेकिन जबसे उनका सरकारीकरण हुआ है तब से उनकी हालत और खराब हो गयी है । गन्ने का करोड़ों रुपया जो किसानों को मिलना चाहिये वह आज बाकी है । अगर किसी किसान के ऊपर तकावी या मालगुजारी का पैसा बाकी रह जाता है तो फौरन उसके घर कुर्की होती है लेकिन आज इन मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और अगर कोई कार्यवाही भी होती है तो कानून इस तरह से कमजोर है कि उनका कुछ किया नहीं जा सकता है ।

हरिजन उत्थान की बड़ी लम्बी बात की जाती है कि उनके लिये ये सहूलियत दी जा रही हैं लेकिन अगर देखा जाय तो २४ साल पहले जब देश परतंत्र था जो हालत उस समय थी वही उनकी हालत चल रही है । न उनके पास रहने के लिये मकान है, न पीने के लिये पानी का इन्तजाम है और न पहनने के लिये कपड़े हैं । अगर इनकी हालत को सुधारना है तो इनके लिये यह काम किया जाय कि ग्रामसमाज के पास जो परती भूमि पड़ी हुई है वह उनको दिलाई जाय । गांवों में जो लोग पहले जमीन वाले थे उन्होंने उस जमीन को अपने पोते, बेटे, बहू, लड़की के नाम कराकर कब्जा कर लिया है । वह हरिजन, जिसको वह जमीन मिलनी चाहिये थी नहीं मिल रही है । सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आज यह लोग जो सामन्तशाही हैं, जिन्होंने यहां के हरिजनों को सदा से कुचला है, उनसे बेगार लेते हैं और उनके बेगार न करने पर अजीब ढंग से उनको परेशान करते हैं । कानून की धारा १०९, ११० के मातहत उनके साथ बहुत बुरा बरताव किया जाता है । अगर कोई गरीब किसान हरिजन सामन्तशाही के यहां काम करने नहीं जाता है तो पुलिस से मिलकर १०९ और ११० के मातहत उनको जेल भिजवाया जाता है । जो लोग उनको जेल भिजवाते हैं वही फिर बाद में आकर उनकी जमानत करते हैं । वही लोग फिर उन से सालभर तक उनसे काम लेते हैं । उनको

[श्री नत्थाराम रावत]

साल भर के लिये मुफ्त में नौकर मिल जाता है । इस प्रकार की यातना उनको दी जाती है । हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल होती है वह बहुत ही गलत तरीका है । अधिकांश छात्रवृत्ति का पैसा या तो वे अध्यापक जिनके जरिये से छात्रवृत्ति मिलती है वह खा जाते हैं या फिर दूसरे दलाल बिचोलिया जो कहते हैं कि हमने तुमको छात्रवृत्ति दिलाई है वह ले लेते हैं अगर हरिजनों का उत्थान करना है तो हर जिले के केंद्र पर हरिजनों के लिये छात्रावास बनवाये जायं । उनके पढ़ने के लिये मुफ्त किताब उनको दी जाय । साथ ही साथ उनके भोजन की व्यवस्था की जाय । जो यह इस तरह का आन्दोलन किया जाता है मुर्गी पालन के लिये, मछली पालन के लिये और सुअर पालन के लिये उससे उन का उत्थान नहीं होगा । इस प्रकार के कारोबार चलाकर उनके उत्थान की बात सोची जाती है इससे उनका लाभ नहीं होता है । मुर्गी, मछली और सुअर पालन के लिये जो उनको सहायता दी जाती है तो उसके फौरन बाद ही यह दिखा दिया जाता है कि यह रोग उनको लग गया, इतनी खरीदारी में गया और रोग से इतना नुकसान हो गया । हरिजन उम्मीदवार जब किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो उनकी लिखित परीक्षा तो हो जाती है और उसमें वह पास हो जाते हैं लेकिन जब वह इन्टरव्यू में जाते हैं तो उसमें हमेशा उनको अयोग्य कह कर बाहर कर दिया जाता है इसमें सुधार होना चाहिये । अगर हरिजनों का उत्थान करना है तो उनको जितना संरक्षण मिला हुआ है उस अनुपात से उनको स्थान दिया जाय । परती भूमि जो ग्राम समाज के पास है उससे उनको वह जमीन दिलाई जाय तभी उनका उत्थान होगा ।

कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है लेकिन यातायात विभाग में जितना गड़बड़ घुटाला है वह इन्तिहा से परे है । वर्कशाप में जो चीज लाखों की खरीदी जाती है उस में बहुत गड़बड़ होती है, दिखा दी जाती है खरीद लेकिन वास्तव में नहीं खरीदी जाती, उसका आधा भाग इधर उधर कर दिया जाता है । गाड़ियां ठीक से नहीं चलतीं, ड्राइवर स्टीयरिंग काटते-काटते परेशान हो जाते हैं, उन को कोई भत्ता नहीं दिया जाता । सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं बरसों से उनको कोई यूनिफार्म नहीं मिली है । सरकार का नियम है कि अगर कोई भी कर्मचारी ३ साल तक काम करे तो वह स्थायी हो जायगा लेकिन शरारत यह की जाती है कि जब किसी कर्मचारी के ३ साल पूरे होने को आते हैं तो उसको मजबूर कर के दो-चार दिन का उस की सर्विस में ब्रेक करा दिया जाता है और उसकी नौकरी उसके बाद नये सिरे से फिर शुरू कर दी जाती है इस तरह से जितने भी कर्मचारी हैं जो ३ साल तक बराबर काम कर चुके हैं उन को स्थायी किया जाय तभी हमारा प्रदेश मजबूत होगा और प्रदेश की जनता का कल्याण होगा ।

*श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी जब अपने बजट भाषण को पढ़ रहे थे तो मैंने उनके बजट भाषण को बहुत ध्यान से सुना और इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर भी उन्होंने माननीया इन्दिरा गांधी का जिक्र किया है और उनके प्रगतिशील होने और उनके नेतृत्व को बधाई दी है । इस समय श्रीमन्, मुझे एक दोहा याद आ गया :

"देख रहा फीरोज कल्पना वही हमारी होगी ।
जो नहीं एक की हुई, कभी न किसी की होगी ।।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उ.के नेतृत्व में जो प्रगतिशील बजट की दुहाई देने वाले हमारे माननीय वित्त मंत्री जिन्होंने इस बजट में बड़ी खूबी से हर चीज को दर्शाया है, बजट को देखने से मालूम होता है कि वास्तव में बहुत विकास होने वाला है। गांव में बिजली पहुंचेगी, गांव-गांव और खेत-खेत पर पानी पहुंचेगा, मजदूरों और मिल मालिकों के जो आपस के झगड़े हैं वे तय हो जायंगे। विधवाओं को सहायता मिलेगी, राजनीतिक आदमियों को पेंशन मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा यह सब कुछ उन्होंने इस में दर्शाया है। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक गड़रिये ने अपनी भेड़ों से कहा कि अब के जाड़ों में हम तुम सब के लिये ऊनी कोट बनवा देंगे। इसके उत्तर में भेड़ों ने गड़रिये से कहा कि हमारे लिये ऊनी कोट न बनवाना लेकिन हमारे बाल ही तन पर छोड़ दो तो हमारा जाड़ा कट जायगा। इन्दिरा गांधी के समाजवादी बजट में ३९८ करोड़ का घाटा दिखाया गया था, इस प्रदेश के बजट में भी ४८ करोड़ ८० लाख रुपये का घाटा दिखाया गया। यह घाटा कैसे पूरा होगा? मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बात को कोई माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचा दे कि इस लचर सरकार में, भ्रष्ट सरकार में और इस अयोग्य सरकार में समाजवाद आ नहीं सकता।

अभी हमारे एक साथी ने बड़ी दबी जुबान से हमारे सीतापुर का जिक्र किया है। हिम्मत नहीं है उनकी कि जरा जोरदार शब्दों में वे उसको इस आदरणीय सदन के सामने रख सकते। इनकी प्रशासन की ढिलाई, इनकी अयोग्यता का प्रमाण मैं, मान्यवर, देता हूं। सुना तो यह है कि शायद उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में दो-दो डिप्टी कमिश्नरों ने काम किया है लेकिन वह बात बहुत अधिकृत नहीं कह सकता। अपने सीतापुर जिले की बात बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं। सीतापुर जिले में २८ या २९ जून को एक जिलाधीश महोदय चार्ज देकर गये। उनकी जगह पर एक दूसरे जिलाधीश महोदय आये। सुबह उन्होंने चार्ज लिया। रात के करीब ८ बजे दूसरे जिलाधीश पहुंच गये एक दिन, दो दिन नहीं, दो चार छः दिन नहीं लगभग ८-१० दिन दो जिलाधीशों का प्रशासन सीतापुर जिले में रहा। एक जिलाधीश खजाने का काम देखते थे और दूसरे जिलाधीश जिले का प्रशासन करते थे। सारे जिले में आम चर्चा है कि एक जिलाधीश महोदय को तो मुख्य सचिव ने भेजा था और दूसरे जिलाधीश महोदय को कोई बहू जी का दफ्तर है उससे उनका तबादला हुआ था। कहां है बहू जी का दरबार यह मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे जिले में दस दिन बराबर यही चर्चा होती रही है कि एक जिलाधीश को तो मुख्य सचिव ने भेजा और दूसरे जिलाधीश बहू जी के कार्यालय से तबादला होकर आया है। आठ दस दिन बराबर दो जिलाधीश सीतापुर में रहने के बाद एक जिलाधीश चले गये। मान्यवर, नहीं कह सकता कि बहू जी के कार्यालय के भेजे हुये जिलाधीश वहां पर हैं या मुख्य सचिव के भेजे हुये वहां हैं लेकिन अब एक जिलाधीश हैं। आपकी ढिलाई का इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है? चार-चार पार्टियों की सरकार यहां रही है . . .

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

एक व्यवस्था चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। जो शख्स विधान सभा के सदस्य नहीं है उसके प्रति इस प्रकार बहू जी का नाम लेकर या और किसी का नाम लेकर कहना अपमान है। इस पर मैं चाहता हूं आप निर्णय दें कि यह गलत है या सही है।

श्री उपाध्यक्ष—

कौन सी बात जिस पर आपको आपत्ति है?

श्री गंगा प्रसाद—

बहू जी, मुख्य सचिव आदि यहां के सदस्य नहीं हैं। इस तरह किसी को बदनाम करना अशोभनीय है। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मालूम नहीं किस बहू को कह रहे हैं ? बहुत सी बहुएं हैं । कोई नाम लेकर थोड़े ही कहा है ।

श्री उमेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)--

यह बहू जी के नाम की चर्चा आने पर माननीय सदस्य ने आपत्ति की है । मेरा ख्याल है कि बहू जी के दरबार के बारे में माननीय सदस्य को मालूम है । यदि ऐसा है तो कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल--

माननीय सदस्य ही बता दें कि वे बहू कौन हैं जिसका नाम उन्होंने लिया है । यह स्पष्टीकरण हम उनसे ही चाहते हैं ।

श्री अवधेश कुमार--

तो मान्यवर....

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, मैंने आपकी व्यवस्था मांगी है कि यह बतायें कि कौन सी बहू जी है जो इस सदन की सदस्या नहीं हैं, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिये ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, अभी बहू जी का सवाल यहां उठा । श्री गंगा प्रसाद जी ने कहा कि वह सदन की सदस्या नहीं हैं । इससे सिद्ध होता है कि माननीय सदस्य को बहू जी का दरबार मालूम है । वह प्रकाश डाल दें ताकि हम लोग भी, यदि ट्रांसफर कराना हो तो वहां जा सकें ?

श्री बांकेलाल--

माननीय सदस्य बहुत हल्ला मचा रहे हैं । वह यह जान लें कि उनकी बहू नहीं है, वह पूरे समाज की बहू हैं, अगर कहीं हैं तो.... ।

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप किया है जो इस सदन की सदस्या नहीं हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि किस आधार पर सदन के किसी गैर-सदस्य को उन्होंने बहू जी या भाई जी कह कर पुकारा कि दरबार लगता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं विरोधी दल को किसी सवाल का जबाव देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता । इस मामले को आप क्यों बढ़ाते हैं ? किसी के नाम से आक्षेप नहीं हुआ है । किसी बहू जी का उन्होंने हवाला दिया है तो आप खुद सोचिये कि क्यों ऐसा हुआ ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है । उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा । मैं उनको नाम लेने की इजाजत नहीं दूंगा । कोई ऐसा नाम लिया जाता है जो किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता तो

इसमें कौन सी ऐसी बात हो गयी जिसे आप आक्षेप समझते हैं ? अगर इसके पीछे कोई और चीज हो तो मैं उसको नहीं जानता और न सदन जानता है।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करूंगा कि जो बजट हमारे सम्मुख है और जिसको समाजवादी बजट कहा जाता है, आज इससे बड़ा पूंजीपतियों की सहायता का बजट और कोई नहीं हो सकता। माननीय वित्त मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मेरी आवाज उन तक पहुंचा दे तो मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि उनको साहस नहीं हुआ कि वह इस बजट में जमीन की सीमा निर्धारित करते। खाली जनता को बहकाने और बहलाने के लिये उन्होंने शहरी सम्पत्ति की सीमा पांच लाख रुपये इसमें घोषित कर दी। लेकिन एक आदमी के पास कितनी जमीन रहेगी इसकी सीमा बांधने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, और हिम्मत पड़ती भी कैसे, जो बड़े-बड़े राजा-महाराजा बैठे हुये हैं जिनके पास हजार-हजार और १५–१५ सौ बीघा जमीन है, जो लोग उधर केवल इसलिये हैं कि उनकी जमीनें सुरक्षित रहेंगी, जिस दिन सीमा बंध जायंगी उस दिन उधर से इधर आ जायंगे। यह हिम्मत उनमें नहीं है कि वह सीमा बांध सकें। मैंने सारा बजट पढ़ा है और कहीं पर पर भी इस बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने दाम बांधने की नीति नहीं अपनायी है। जब से इन्दिरा जी का समाजवाद आया है तब से मोटे कपड़े का दाम दूना हो गया है। जिस जोड़े धोती की कीमत १२ रुपये थी और जिसको गरीब आदमी पहनता था और देहात का रहने वाला किसान और मजदूर पहनता था, इन्दिरा जी के समाजवाद आते ही उसके दाम १७ रु० और २० रु० प्रति जोड़ा हो गये हैं। उनके समाजवाद के पहले शकर के दाम १.६० रु० प्रति किलोग्राम थे परन्तु अब उसके दाम दो रुपये और ढाई रुपये प्रति किलोग्राम हो गये हैं। मिट्टी का तेल आठ आने और दस आने प्रति बोतल मिलता था जो अब डेढ़ और २ रुपये प्रति बोतल मिलता है।

अभी उधर के बैठने वाले एक सदस्य ने कहा था। मैं उन से बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जरा आप अपने गरेबां में मुंह डाल कर तो देखें वित्त मंत्री जी ने अपने बजट को समाजवादी बजट कहा है परन्तु वे अपने इस बजट में दाम बांधन की नीति भी नहीं निर्धारित करते हैं। आज से २० वर्ष पहले स्वर्गीय डा० लोहिया जी न यही कहा था कि कल और कारखानों में बनने वाली चीजें बाजार के अन्दर सवाये से ज्याद दाम पर नहीं बिकनी चाहिये। आज जो मिट्टी का तेल कल और कारखानों में ५ व ७ पैसे प्रति बोतल तैयार होता है बाजार में डेढ़ रुपये और २ रुपये प्रति बोतल के हिसाब से बिकता है। जो कपड़ा कल-कारखानों में ९ आने और १० आने प्रति गज तैयार होता है बाजार में डेढ़ रुपये और दो रुपये प्रति गज के हिसाब से मिल रहा है। अगर आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हों तो एक निश्चित दाम नीति अपनाओ और दामों को बाधो। अगर आपने दाम बांध दिये तो पूंजीपति इलेक्शन में जो करोड़ों और लाखों रुपया देते हैं और रुपये की थैलियों के जो दौर-दौरे होते हैं वह कहां से हो पायेगा ? दाम बांधने की नीति को कौन करायेगा ? पूंजीपतियों के दम के ऊपर आप चुनाव में २–३ लाख रुपया खर्च करते हैं। कोई उम्मीदवार यह नहीं कह सकता है कि उसने इससे कम रुपया खर्च किया है। मैं अपने जिले सीतापुर की बात कहता हूं। वहां पर ८ लाख और ७ लाख रुपये से कम खर्च किसी ने भी नहीं किया है। कोई बताये कि इससे कम खर्च हुआ है। इलेक्शन दफ्तर में तो वहीं आंकड़े दिये जायंगे जैसी कि चोरी सरकार ने आज तक दिखायी है।

इस बजट के अन्दर विधवाओं को पैसा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है क्योंकि इससे गरीबी दूर होगी और हर जिले में कुछ सड़कों के निर्माण के लिये भी पैसा दिया गया है। यह इसलिये किया गया है ताकि बेरोजगारी दूर हो। मान्यवर, आप जानते हैं इस लखनऊ के इतिहास में आज से १०० वर्ष पहले एक बादशाह हुआ था जिसका नाम आसफउद्दौला

[श्री अवधेश कुमार]

था। आसफउद्दौला बड़े ही सामन्तशाही थे जितनी उसने खैरात की है शायद ही किसी ने की हो। दिन में उनका मकबरा बनता था और रात में पर्दानशीन गरीब औरतें आ करके उस मकबरे को गिराती थीं और उनको वह दान देता था। मान्यवर, लखनऊ के इतिहास में और नवाबों के इतिहास में है कि वाजिद अली के यहां ३६५ बेगमात थीं। उनको वह आश्रय देता था। इतना होने पर भी गरीबी नहीं मिट पायी। हमारी सरकार बेवाओं को पैसा देकर के सड़कों का कुछ निर्माण करा कर गरीबी मिटायेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से समाजवाद नहीं आयेगा। निश्चित योजनायें उद्योग धंधों के सम्बन्ध में बननी चाहिये तभी इस प्रदेश की उन्नति हो सकती है। मान्यवर, आपने लाल बत्ती दिखा दी। मैं बहुत कम बोलता हूं, आप दो मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक मिनट।

श्री अवधेश कुमार—

जब संविद सरकार थी उस समय मेरे क्षेत्र मिसरिख में एक तहसीलदार महोदय थे उन्होंने एक फैसले में दो जजमेन्ट दिये। उनके पास एक मुकदमा गया जिसमें गांव समाज की जमीन को किसी ने अनधिकृत रूप से जोत रक्खा था। इस पर उन्होंने ५ या ६०० रुपये जुर्माना कर दिया। उसके बाद वह आदमी उनसे मिला। उसने कहा कि इसमें आपको क्या मिला। आप अगर हमारा जुर्माना खत्म कर दें तो मैं आपको खुश कर दूंगा। उन्होंने दूसरा फैसला दे दिया कि इसके ऊपर कोई जुर्म अहद नहीं होता है, मैं इसको बरी करता हूं। दोनों फैसले जिलाधीश को मिल गये। मैंने उन फैसलों की कापी तत्कालीन मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह को थी थी। उसमें उन्होंने एक्शन लिया था और यह एक्शन हुआ कि लेखपाल सस्पेन्ड हो गया उसी के ऊपर सारा भार रक्खा गया कि उसने अपनी रिपोर्ट गलत दी। तहसीलदार सस्पेन्ड नहीं हुआ, उन्होंने उसको सर्तकता आयोग में दे दिया। अब जब से हमारी यह कल्याणकारी सरकार आई थी तो उसने उस तहसीलदार, श्री टी० एन० शुक्ला का तबादला झांसी किया। तो उसने कहा कि हम नहीं जायेंगे जब तक कि राजस्व मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा जी हैं। अब उनका तबादला गोरखपुर हुआ है। तो गोरखपुर के बारे में मालूम हुआ है कि वह कहते हैं कि कमलापति त्रिपाठी की सरकार आ रही है। वह त्रिपाठी हैं मैं शुक्ला हूं, गोरखपुर भी नहीं जाऊंगा। उसके बाद में उनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर में हुई है। सतर्कता आयोग में उनका केस चल रहा है। जांच होना बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसा कि त्रिपाठी जी, जनतंत्र के नेता ने कहा था कि चतुर्वेदी जी होते तो शायद न्याय मिल जाता, परन्तु अब शर्मा जी सतियां कांड वाले आये हैं, न्याय मिलना मुश्किल है। तो मुख्य मंत्री जी के पास यह वास्तविकता पहुंच जाती कि यदि इस भ्रष्ट तहसीलदार को नौकरी में रक्खा तो इससे इस सरकार का भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जावेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री राजितराम पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

दल बदलू।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, यह आपकी कृपा है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक सदस्य ने दल बदलू कहा, तो मैं दल बदलू जरूर हूं लेकिन विचार बदलू नहीं हूं। जिस तरह से संसोपा वाले विचार बदलू हैं।

श्री बांकेलाल—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य इसका उत्तर देंगे कि मान सिंह अकबर के दरबार में गया और शान्ति प्राप्त की और फूल की शय्या पर सोया लेकिन राणा प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा उसको नहीं मिली। इसलिये दल बदलू कहने में कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था की बात इसलिये उठी कि दल बदलू शब्द से इन्होंने शुरू किया है।

श्री राजितराम पांडेय—

मैं जवाब दे रहा हूं। इंदिरा गांधी ने समाजवाद का नारा दिया। इंदिरा गांधी का नाम हमारे दोस्तों ने बजट पर बोलते हुये कई बार लिया। सन् ४७ में देश आजाद हुआ और उसके बाद देश के बड़े-बड़े रहनुमा रहे हैं और वह सभी शहर के लोग रहे हैं जिन्होंने देहात की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया चाहे वह सम्पूर्णानन्द रहे हों, या कमलापति त्रिपाठी या पं० जवाहरलाल नेहरू। बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कहा है वह खूबी इंदिरा गांधी के अन्दर आयी। अखबारों में आप पढ़ते हैं, देहात की तरफ किसी ने तवज्जह नहीं दी। वाहें जमींदारी तोड़ी, राजाओं को हटाया लेकिन पूंजीपतियों की तरफ ध्यान नहीं गया और शहरों को बढ़ावा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने समाजवाद का बहुत बड़ा नारा दिया। मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने निजलिंगप्पा सरकार को ठुकराया और कहा कि तुम्हारा सिद्धान्त गलत है, तुमने समाजवाद के रास्ते में रोड़ा अटकाया और तुम्हारे द्वारा समाजवाद नहीं आ सकता। उन्होंने समाजवाद का एक मिसाल रखा। हमारे भाई बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन जब चुनाव आया रेड्डी और वी० वी० गिरि का तो हमारे दोस्तों ने कहा कि गिरी साहब को हराया जाय। लेकिन इन्दिरा जी ने समझा कि अगर समाजवाद आ सकता है तो गिरि के जरिये आ सकता है। इसलिये सब ने सपोर्ट किया वी० वी० गिरि को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप डा० लोहिया के लड़के हैं तो मैं भी उनको जिन्दाबाद कहता हूं। उन्होंने कहा कि समाजवाद कैसे आयेगा, उसके लिये कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। यह आपके सामने निजलिंगप्पा की सरकार बैठी हुई है, वह समाजवाद में रोड़ा अटकाती थी। लेकिन इन्दिरा जी ने कहा मैं तुम्हें ठुकराती हूं। डा० लोहिया ने कहा प्रिवी-पर्स खत्म होनी चाहिये। इसी वजह से आचार्य नरेन्द्र देव हट गये, जयप्रकाश हट गये और कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई। लेकिन इन्दिरा जी ने घोषणा की कि समाजवाद लायेंगे, शहर की सम्पत्ति की सीलिंग करेंगे। अगर सीलिंग लग जाती अरबन प्रापर्टी पर तो समाजवाद के रास्ते में जो रोड़े हैं वह हट जायंगे। हमारे समाजवाद की सरकार से डा० लोहिया ने कहा कि किसानों पर कम से कम दो रुपया माफ कर दो। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के हमदर्द थे डा० लोहिया की बात मानने को तैयार नहीं हुये। चौधरी चरण सिंह और कमलापति त्रिपाठी की सरकार बनी और जब समाजवाद ने मजबूर किया तो तीन एकड़ तक माफ करने के लिये इसी सदन में कहा। लेकिन जब थोड़ा और मजबूर हुये तो यही चौधरी चरण सिंह और संविद सरकार सवा छः एकड़ तक आ गयी। डा० लोहिया ने कहा दो रुपया माफ कर दो लेकिन नहीं किया, और जब सरकार बदली तो सवा छः एकड़ तक हुआ। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि अगर इंदिरा गांधी ने अरबन स्कीम पास कर ली तो समाजवाद के रास्ते में जो रोड़ा है वह खत्म हो जायेगा और ६ एकड़ की तरह ५ लाख की सीलिंग भी होगी गरीबों को राहत मिलेगी। (व्यवधान) इन्द्रा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, समाजवाद की ओर यह भी एक कदम है।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

हमारे दोस्त, हर वाक्य में इन्द्रा गांधी और डाक्टर लोहिया का नाम ले रहे हैं, दोनों में असली समाजवादी कौन है ?

श्री राजितराम पांडेय—

डाक्टर लोहिया तो इन्द्रा गांधी के घर में पले हैं। (व्यवधान) आपको क्या मालूम है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अभी माननीय राजितराम पांडेय ने कहा कि डाक्टर लोहिया इन्द्रा गांधी के घर पर पले हैं, तो मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि इन्द्रा गांधी या उनके बाप का डाक्टर लोहिया के ऊपर कभी कोई अहसान नहीं रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई भी बड़ा आदमी आप नहीं बनता है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इनसे कहिये कि बजट पर बोलें।

श्री बांकेलाल—

माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं, उनको बजट पर बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा कर (श्री राजितराम पांडेय से) ऐसा नाम न लें जिससे सदन में गर्मी आये। इन्द्रा जी का नाम तो आया है बजट में, लेकिन बार-बार डाक्टर लोहिया का नाम न लें।

श्री राजितराम पांडेय—

मैं बजट पर आता हूं। इस बजट में बताया गया है कि ४८ करोड़ का घाटा है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज ९०० करोड़ रुपये सारे हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों पर बकाया है। इन्द्रा गांधी को यह सरकार लिखे कि उस रुपये को सख्ती से वसूल किया जाय।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में २० करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है जिसे यदि सख्ती से वसूल किया जाय तो यह घाटा आसानी से पूरा हो सकता है।

मान्यवर, आजादी के पहले भी कुछ ऐसे जिले थे जिन्हें बरतानिया के जमाने में भी विशेष सुविधायें मिली हुई थीं। आजादी के बाद भी हमने देखा कि उन्हीं जिलों को विशेष सुविधायें मिलीं और हमारे पूर्वी जिले जो हैं जैसे गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, बनारस, आजमगढ़, और इलाहाबाद, वगैरह। इलाहाबाद में आज भी इंसान खाने के लिए तड़पता है, वहां सिंचाई का कोई साधन मुहैया नहीं है। इलाहाबाद में यदि थोड़ा पानी का इंतजाम आपने किया होता तो स्थिति वहां बदल जाती। वहां की करछना और भेजा तहसीलें जो बुन्देलखन्ड की तरफ हैं, बिलकुल सिंचाई से महरूम हैं। इलाहाबाद में इतनी गरीबी है, जिसकी कोई हद नहीं है। वहां पर शिक्षा की हालत भी बड़ी खराब है, चाहे जो सरकार रही हो उसने उस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया है। चरणसिंहजी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को तोड़ा था तो

थोड़ी उम्मीद बढ़ी थी। प्राइमरी शिक्षा की हालत तो गांव में बद से बदतर है। उन स्कूलों में बैठने के लिए टाट भी उपलब्ध नहीं है। वहां पर बैठने के लिए गांव के लड़के खुद अपने बोरे लेकर जाते हैं और बहुत से लड़के जमीन पर बैठते हैं। श्री रामजीलाल सहायक से कहूंगा कि उनको इस बारे में सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कीजिए। आज इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टचार है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स खोले गये, जितने भी स्कूल्स मैनेजर्स हैं उनके खिलाफ आप एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएं। ये मैनेजर लोग स्कूल का सारा खर्च सरकार के पैसे से चलाते हैं और साथ ही अपनी कोठी भी बनवाते हैं। एक भी पैसा इस पर उनको खर्च नहीं करना पड़ता है। वे एक दूकान शिक्षा के नाम पर खोले हुए हैं। आपको शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अवश्य करना चाहिए। जब तक मुल्क में तालीम नहीं होगी तब तक मुल्क की तरक्की नहीं होगी। मुल्क की तरक्की के लिये शिक्षा फ्री होनी चाहिए। जहां आप उर्दू आदि पर इतना खर्च करने जा रहे हैं, वहां कम से कम आप हाईस्कूल तक की शिक्षा फ्री कर दें।

चकबन्दी और पुलिस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। चाहे जो सरकार रही हो, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया है। चारों तरफ सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस सचिवालय में सिवाय ट्रांसफर्स और तरक्की के कोई काम नहीं हो रहा है। दो साल से लगातार, जो भी सरकार रही, उसने इस तरह का काम किया है। चकबन्दी में बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारे जिले में एक श्री के० एल० राय केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री रहे हैं, वहां पंडित बंशीधर ने एक पुल का शिलान्यास किया था, किन्तु वह पुल जो दुर्गागंज रोड पर है, अभी तक नहीं बनाया गया है। जी० टी० रोड के बगल में हंडिया तहसील के तीन मील उत्तर और तीन मील दक्खिन में पानी का कोई साधन नहीं है। वहां पर सरकारी नलकूप लगाए जाएं। वहां पर पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जी० टी० रोड के उत्तर और दक्खिन में तीन मील के अन्दर राजकीय नलकूप लगाए जाएं। इन सब बातों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के सामान्य विवाद पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, हमारे वित्त मन्त्री जी ने बजट सम्बन्धी अपना भाषण तो ३२–३३ पेजों में दिया लेकिन इस बजट में ३२ पैसा भी किसी कर्मचारी को नहीं दिया, किसी अधिकारी को नहीं दिया और न किसी गरीब को ही दिया। जब कि कहा गया है कि यह गरीबों का बजट है। इस बजट पर बोलते हुए हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इस बजट भाषण में इन्दिरा जी का नाम आया है लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम एक बार भी नहीं आया है। यह बात सही है। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों आता? ये तो महात्मा गांधी वाले कांग्रेस में विश्वास ही नहीं करते, ये तो इन्दिरा गांधी वाले कांग्रेस के अन्दर हैं। महात्मा गांधी को तो ये मान्यता ही नहीं देते, इसीलिये बजट में महात्मा जी का नाम नहीं आया है। इन्दिराजी का नाम उनको लेना चाहिये था और उन्होंने उनका नाम लिया है। बजट के सम्बन्ध में यह बात कही गई है कि यह गरीबों की गरीबी को दूर करने वाला बजट है। उनके बजट भाषण को सुन कर मैं तो यही समझने लगा था कि किसी नेता ने किसी पब्लिक मीटिंग में जो चुनाव वगैरह सम्बन्धी हुई हो, उसी के भाषण को रेकार्ड कर लिया गया है और यहां पर टेप रेकार्डर लगा कर उसी को सुना दिया गया है। क्योंकि इस बजट में कहीं पर किसी को भी एक पैसे की रियायत नहीं की गई है। कहीं पर उर्दू बोर्ड बनाने की बात है, कहीं पर और कुछ बात है लेकिन किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी या किसी गरीब मजदूर या खेतिहर को कुछ भी नहीं मिला है। कहीं पर किसी को कोई इंडस्ट्री नहीं मिली, न यहां पर कोई इंडस्ट्री लगी ही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

कृषि के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया कि हरित क्रांति हो गई है जिससे कृषि की उपज बहुत बढ़ गई है। यह सही है कि हरित क्रांति हुई है लेकिन आपने कभी सोचा भी है कि इसमें लागत कितनी ज्यादा है? फर्टिलाइजर में कितना पैसा खर्च किसान को करना पड़ता है, लेकिन उसके लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है, । सम्पन्न लोग ही फर्टिलाइजर आदि का प्रबन्ध कर सकते हैं, गरीब किसान उसका कोई लाभ नहीं उठा पाता है। हाई ईल्ड वैराइटी के सम्बन्ध में हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शेर सिंह ने १६ जुलाई, ७१ को एक गोष्ठी में इस सम्बन्ध में जो सन्देश व्यक्त किया है, उसकी दो तीन लाइनें मैं आपकी इजाजत से हिन्दुस्तान टाइम्स से पढ़ देता हूं--

Some doubts about high-yield varieties

The StateMinister, for Agriculture, Mr. Sher Singh doubted today whether it was wise to invest money to promote the high-yielding varieties of food grains in India.

The damage by pests and disease to certain high-yielding varieties was causing concern. "I feel that some of the high yielding varieties which require the backing of heavy doses of irrigation, fertilisers and pesticides may not be the answer to the immediate needs of the millions of small farmers in the country."

इस तरह से एक तरफ तो सेंट्रल मिनिस्टर इसके बारे में डाउटफुल हैं और दूसरी तरफ हमने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जो हाई ईल्ड वैराइटीज हम पैदा करेंगे उसका सही तौर पर उचित मूल्य मिल सकेगा। क्योंकि हाई ईल्ड वैराइटीज में किसानों को कृषि की सिंचाई करनी होती है, फर्टिलाइजर देना होता है, निरौनी करनी होती है और रिटर्न उसको जो मिलेगा वह ६० रुपये से ७० रुपये क्विंटल तक होगा जो किसी भी हालत में उचित फायदा नहीं है। इसके लिये तो आपको चाहिये कि चाहे मंडी कमेटी से किसानों का अनाज खरीदा गया हो या किसी भी एजेंसी से खरीदा गया हो एक कमेटी बना कर इसकी जांच करावें कि गरीब किसानों को किस तरह से लूटा गया है। किसान तो हमेशा ही कच्चे स्थान पर रहता है, कच्ची बस्ती में रहत है, समाजवाद की बात आप करते हैं लेकिन वहां भी सम्पन्न लोग ही पक्के पक्के मकान बना कर रहते हैं, सम्पन्न लोग ही पक्की दूकानें बनवाते हैं। इस तरह से बड़े आदमियों के लिये सभी रास्ते खुले हुए हैं। मैं सन् ६२ से बराबर विधान सभा का सदस्य हूं और बराबर समाजवाद की बातें कही जाती रही हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह समाजवाद रुक कहां गया है। हम सभी समाजवाद के हामी हैं और उसका स्वागत करते हैं। श्रीमन्, आप भी सबसे बड़े समाजवादी हैं और देहात में रहने वाले किसानों की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं कि जाड़े के मौसाम में बेचारे गरीब किसान आग जला कर चिथड़ों में लिपटे रहते हैं। जाड़ों में तपस्या करता है, अपने बच्चों को चीथड़ों में लपेट कर गुजर करता है। २४ साल में यह समाजवाद आया है। अब तो उनके साथ रोड़ा अटकाने वाले भी नहीं हैं, अब उनसे माननीय चन्द्रभानु गुप्ता अलग हो गये हैं। अब समाजवाद आये, जल्द से जल्द समाजवाद आ जाये। समाजवादी हिन्दुस्तान में बहुत से होंगे लेकिन सबसे बड़ा समाजवादी परमेश्वर है। उसने जो चीज बनाई है, हवा, पानी, जमीन, धूप, चाहे हरिजन हो या उच्च जाति का हो, सब को बराबर देता है। वह जरूर समाजवादी है उसने प्राकृतिक वस्तु में सब के लिए बराबर का हिस्सा किया है।

अब मैं मा ल विभाग के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। इस वर्ष असमय वर्षा हुई और बाढ़ें आयीं। राजस्व मन्त्री ने वक्तव्य दिया कि वसूली बन्द कर दी गई है। लेकिन हमारी तहसील में तीन लाख रुपये से ज्यादा चकबन्दी का खर्चा वसूल हो रहा है। राजस्व मन्त्री से मैंने निवेदन किया, उन्होंने वादा भी किया है। दूसरे इतनी परेशानी है, इतनी मुसीबत है सारे प्रदेश में, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। कुछ लोग

बेचारे गये, चल भी गए, लेकिन ऐसे केवल ५ परसेंट लोग हैं। ९५ प्रतिशत लोग गांवों में नहीं गये। केवल वहां तक गये जहां तक जीप जा सकती है। इसलिए राजस्व मन्त्री जी एक ऐसा आर्डर दें कि सब अधिकारी तहसील के हेडक्वार्टर पर जायं और अपने क्षेत्र में जा कर काश्तकार की दशा देखें। काश्तकारों की दशा लेखपाल की रिपोर्ट पर निर्भर करती है, उससे सही रिपोर्ट नहीं मिल सकती। इसलिए यह पाबन्दी लगा दी जाय, कि एक महीने में परगनाधीश पांच गांवों में जरूर जायगा, तहसीलदार दस गांवों में जायगा और जिला मजिस्ट्रेट कम से कम एक गांव में जरूर जायगा।

वन विभाग के मन्त्री राजा साहब हैं। सौभाग्य की बात है। अब तक वन विभाग बड़ा अपेक्षित रहा है। कोई भी सरकार आई। वन उस मन्त्री को दिया जाता है जो बेकार समझा जाता है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वन एक निधि है। इसमें करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है। राजा साहब एक कमेटी बना दें एक्पर्ट्स की और सारे प्रदेश का अध्ययन करवाएं। इसमें करोड़ों रुपये का फायदा हो जायगा। जानवरों से राजा साहब को बहुत प्रेम है। लेकिन कंजरवेटर साहब की वजह से चूंकि एक्सपर्ट कंजरवेटर है, कुछ कर नहीं पाते। बरेली में व्यापारी चिड़िमारों से चिड़ियां पकड़वा कर, एक अमेरिका के आर्डर पर, कलकत्ता भेज रहा है। तीन रोज हुए व्यापारी बरेली आया था। उसने दस हजार रुपया चिड़िया पकड़ने के लिये चिड़ीमारों को बांटा है। चिड़ीमारों ने चिड़ियां पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर वन मन्त्री अभी रेड करवाएं तो चार हजार चिड़ियां मिलेंगी।

(लाल बत्ती होने पर) आप कल समय दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

कल पांच मिनट दे दूंगा।

अंजुमने अनहार की मांगों के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है। माननीय अनन्तराम जायसवाल, माननीय रूपनाथ जी यादव, अंजुमने अनहार, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, की मांगों के बारे में १२ जुलाई, १९७१ से विधान सभा के सामने श्री जगदीश प्रसाद स्वामी का आमरण अनशन, २२ तारीख को वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुआ है।

श्री चन्द्रभानु शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप सुन लीजिये। तब इसके बाद कहिए।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत कुल ७ सूचनायें प्राप्त हुयीं। एक में श्री चन्द्रभान शर्मा द्वारा मुजफ्फरनगर से लखनऊ को आने वाली बस को डाकुओं द्वारा घेरा जाना तथा गोली चलाया जाना है। यह ५१ का प्रश्न नहीं बनता। इस पर अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य कर लें।

[श्री उपाध्यक्ष]

दूसरी में माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने मथुरा राजकीय अस्पताल में एक भर्ती युवती के साथ अस्पताल कर्मचारियों द्वारा बलात्कार का जिक्र किया है। इसे वक्तव्य के लिये २६ जुलाई, १९७१ के लिये स्वीकार किया गया है।

तीसरी में माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने कानपुर और बरेली में चिड़ीमारों द्वारा चिड़ियों का तस्कर व्यापार हेतु पकड़े जाने का जिक्र किया है। यह अस्वीकृत हो गई है। इसके बाद में प्रश्न किये जा सकते हैं। चौथी में दलसिंगार यादव तथा हरिवंश सहाय ने तहसील सगड़ी (आजमगढ़) में घाघरा नदी में भीषण बाढ़ की चर्चा की है। इसी प्रकार एक में श्री कल्पनाथ सिंह ने गोरखपुर जिले में घाघरा व राप्ती के बाढ़ से मलौनी बांध, कोईलीखाल बांध तथा भरा बांध को खतरे का जिक्र किया है। २३ जुलाई, १९७१ को जब बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य दिया जायगा तो ये सभी उसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं।

पांचवी में रूपनाथ सिंह यादव ने शरणार्थी शिविर इरादतगंज, इलाहाबाद, में बंगला देश से आये हुये शरणार्थी के रख रखाव में भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवस्था का जिक्र किया है। इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। इस पर माननीय सदस्य प्रश्न कर लें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

देश ने बंगला देश को मान्यता प्रदान नहीं की। अब जो शरणार्थी वहां से आये हुए हैं उनको दवा, पीने का पानी, खाना, कपड़ा, आदि भी नहीं मिल रहा है। सवाल करने से समस्या का हल नहीं होगा, मुख्य मन्त्री जी स्वयं मौके पर जा कर स्थित का अवलोकन कर लें। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। सरकार उपेक्षा व लापरवाही बरत रही है। लिहाजा मुख्य मन्त्री का इस पर वक्तव्य होना चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष—

२७ तारीख तक अन्य वक्तव्य होंगे। जब आपके प्रश्न का उत्तर आयेगा तो २८, २९, तक इस पर वक्तव्य हो सकेगा। अल्पसूचित प्रश्न कर लीजिये। बहस के दौरान अगर यह समझा गया कि यह विशेष महत्व का है और इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये तो वह भी सोचा जायगा। वक्तव्य के लिये कहेंगे तो और आगे २९, ३० तक हो सकेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

सवालों से मसला हल नहीं होगा। यह बड़े महत्व का है। आज के नेशनल हेराल्ड में ही निकला है कि जो पानी दिया जा रहा है वह हाथ धोने के काबिल भी नहीं है और उसे पीने के लिये दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया है। आपकी भावनायें उन तक पहुंचा दूंगा। आप भी उनसे बातचीत कर लें।

सातवीं सूचना श्री अनन्तराम जायसवाल ने दी है राज्य के सूचना विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मान्यता प्रेस समिति का भंग किया जाना तथा यू० पी० जरनलिस्ट एसोसियेशन का प्रतिनिधित्व समाप्त करने का निर्णय। यह नियम ५१ के अन्तर्गत २७ तारीख की शाम के लिये स्वीकृत हुआ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, इस महीने की १४ तारीख को माननीय श्री चन्द्रभान शर्मा ने नियम ५२ में प्रातः ही एक नोटिस दिया था सचिव महोदय को, उसके सम्बन्ध में जानना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास जो हैं वे नियम ५१ और नियम ५६ के नोटिस हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, उन्होंने १४ तारीख को दिया था। आज सुबह भी अध्यक्ष महोदय से उसके बारे में चर्चा हुई थी किन्तु १४ तारीख भी गई, १५ तारीख भी चली गई, १६ तारीख भी चली गई और आज १९ तारीख हो गई है किन्तु न तो माननीय अध्यक्ष महोदय के मुखारविन्द से और न आपके ही मुखारविन्द से यह चर्चा की गई कि उसे आपने स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार कर दिया है। जबकि जायसवाल जी के उसी विषय को आपने आज स्वीकार कर लिया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह मेरे सामने तो नहीं है। उस पर अभी अध्यक्ष महोदय के आदेश नहीं हुये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, वह सचिव महोदय को दिया गया था तो उन्होंने आपको दिया या नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसे अध्यक्ष महोदय को दिखायेंगे.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैंने १४ तारीख को पौने दस बजे वह दिया था और आज तीन रोज से मैं बराबर उसके विषय में कहता आ रहा हूं कि उस पर क्या हुआ...

श्री उपाध्यक्ष—

(माननीय मुख्य मन्त्री से) आप इस सम्बन्ध में कुछ बतला सकते हैं कि सीतापुर जिले में जो जिलाधिकारी देर तक काम करते रहे..उसके सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अभी इस सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कह सकता हूं।

ग्राम सिकन्दरपुर, जिला बस्ती, में श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा बन्दूक से श्री राम जनम की हत्या किये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप-मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक ८ जुलाई, १९७१ को रामजनम के पिता ने थाना परसरामपुर में सूचना दी कि उसके लड़के को मछली के शिकार पर द्वारिका बनिया, ग्राम सिकन्दरपुर ने गोली मार कर हत्या कर दी।

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

इससे पूर्व दिनांक ७ जुलाई, १९७१ को द्वारिका प्रसाद, पुत्र कन्हैयालाल, ग्राम सिकन्दरपुर ने थाने पर लिखित सूचना दी कि अभियुक्त राम जनम ने अपने साथी फेरई लोनियां के साथ देशी पिस्तौल व बल्लम से लैस प्रार्थी के घर में घुस कर पत्नी के जेवर छीनने का प्रयास किया। उनके आक्रमण से बचने के लिए आत्मरक्षा में प्रार्थी ने बन्दूक से फायर किया जिससे राम जनम वहीं गिर गया और फिरई भाग गया।

उक्त दोनों शिकायतों पर एक मुकदमा धारा ३०७ ४५२/३९४ भा० द० वि० के अन्तर्गत द्वारिका की शिकायत पर तथा दूसरा अभियोग धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत श्री रामसुहावन मिश्र की सूचना पर कायम किये गये और उनकी विवेचना आरम्भ की गई। क्षेत्रीय अधिकारी ने दिनांक ८ जुलाई, १९७१ को घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया। इन दोनों अभियोगों के सम्बन्ध में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। अब तक की गई विवेचना से मृतक के पिता की सूचना पर कायम किया गया अभियोग असत्य तथा श्री द्वारिका प्रसाद की सूचना पर कायम किया गया अभियोग सत्य प्रतीत होता है। जांच के दौरान श्री द्वारिका प्रसाद के घर पर एक कारतूस का खोखा मिला जो मतक की देशी पिस्तौल से फायर किया गया प्रतीत होता है। जांच से यह भी विदित हुआ कि मृतक श्री राम जनम-नन्दा दल का कुख्यात एवं सक्रिय दस्यु था और बस्ती गोंडा एवं बहराइच जिलों के कुछ अपराधों में अपने साथी फेरई लोनियां के साथ शामिल था तथा पुलिस उसकी तलाश में थी।

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह दिनांक ७ जुलाई, १९७१ को साढ़े नौ बजे दिन की घटना है?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

यह घटना ७ तारीख के प्रातःकाल की है।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको कोई ऐसा टेलीग्राम मिला है कि पुलिस इस केस में पक्षपात कर रही है।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी हां, दो तार सरकार को प्राप्त हुए।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक किस तारीख को किस समय गए?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

घटनास्थल पर उप पुलिस अधीक्षक गये थे दिनांक ८ जुलाई, १९७१ को।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर आज तक नहीं गए?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैंने तो नहीं कहा कि पुलिस अधीक्षक गये, मैंने कहा कि उप पुलिस अधीक्षक गये थे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह घटना थाने से कितनी दूर हुई, थाने से रिपोर्ट कब की गयी और सबसे पहला पुलिस आफिसर वहां कितने बजे पहुंचा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

घटना सुबह ७ बजे की है और उसी दिन करीब ११ बजे थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी। उसी के बाद जांच प्रारंभ हो गयी।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने पूछा था कि थाने का वहां से कितना फासला है और पुलिस आफिसर कब वहां पहुंचा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं मंगायी जाती कि उसकी थाने से कितनी दूरी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राम जनम किन-किन अपराधों में वान्टेड था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

नन्दा डाकू का एक दल है उसका यह एक बहुत बड़ा डकैत है, फेरई इसके साथ में था। गोंडा, बहराइच, बस्ती आदि जिलों में इस दल ने आतंक मचा रखा था। इस गैंग के विरुद्ध थाना परसरामपुर में धारा ७४, ७९ तथा ३९५/ ९७ में अपराध दर्ज है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

वक्तव्य को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि पुलिस और मृतक की कुछ रंजिश थी और पुलिस ने मिल कर उस आदमी की हत्या करायी है और इस गैंग का बहाना लिया है। क्योंकि सुबह ७ बजे कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता। इन बातों को देखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सी० आई० डी० के किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो सीधा सादा सा मुकदमा है। उसकी इंक्वायरी भी हुई और उसकी रिपोर्ट भी आई है। वह तो डाकुओं का माना हुआ दल है। यह तो माननीय सदस्य ने अपनी किसी धारणा के आधार पर यह कल्पना कर ली कि मालूम होता है कि पुलिस इसमें मिली हुई है क्योंकि उसकी राम जनम से कुछ पहले की रंजिश थी। बिना किसी सबूत के उन्होंने एक चित्र खड़ा कर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

पांडेय जी का एक पत्र आया है जिसमें लिखा हुआ है कि जिस दल ने राम जनम की हत्या की है वह दल वहां गोल बना कर बराबर घूम रहा है और उसमें यह भी लिखा है कि पांडेय जी जिन्होंने इस प्रश्न को विधान सभा में पूछा है, उनको भी गोली मार दी जायेगी। यह बहुत भयानक चीज है। माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात का भी आश्वासन चाहूंगा कि जो घटना है इसको देखते हुए अगर इस आशय की बात है तो क्या इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करायेंगे और साथ ही साथ जो दल ने आतंक फैला रखा है उसकी भी रोकथाम करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह पत्र मेरे पास भेज दें ताकि समुचित व्यवस्था इसकी की जा सके तत्काल।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जो कारतूस का एक खोल वहां पर मिला और यह कहा गया इस सूचना के अन्दर कि वह उस देशी पिस्तौल से चलायी गयी प्रतीत होती है जिसका कि मृतक् ने प्रयोग किया होगा, तो क्या वह देशी पिस्तौल पकड़ी गयी और उसकी एक्सपर्ट से जांच करायी गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

वह देशी पिस्तौल पकड़ी गयी और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी जांच करायी जायेगी ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

मुख्य मंत्री जी ने यह सूचना दी कि जो आदमी मरा है वह एक साथी और लेकर आया था हथियारों से लैस होकर । तो जिस आदमी ने हत्या की है क्या उसकी तरफ के किसी आदमी को कोई घाव या चोट लगी है उन बदमाशों से ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जो द्वारका है, जिसके यहां यह डकैत गया था, उसकी पत्नी के साधारण बल्लम की चोट लगी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह भी सूचना मिली है द्वारका और पुलिस, दोनों में बहुत मधुर संबंध हैं और इन लोगों ने मिलकर राम जनम को मरवा डाला है ?

श्री रामकृष्ण द्विवदी---

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

जब राम जनम के पिता ने एक रिपोर्ट दफा ३०२ में की है और उसमें द्वारिका ने भी यह तसलीम किया है कि हमने उसको गोली से मार दिया है तो द्वारिका को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? क्या सफाई और फैसला सब पुलिस के अधिकार में था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

उप पुलिस अधीक्षक ने जांच की जो कि एक बड़े उत्तरदायी व्यक्ति हैं और इस तरह की कोई बात नहीं पायी जा रही है जिससे यह प्रतीत हो कि कोई उस तरह से मारा है, आत्मरक्षा में मारा है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

जो ८ जुलाई, ७१ को थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी है वह किस दिन और किस समय की घटना की है और यह रिपोर्ट क्या हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जैसा कि मैंने निवेदन किया, दो रिपोर्ट्स हैं....

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैं उस रिपोर्ट की बात पूछ रहा हूं जो ८ जुलाई को लिखायी गयी । वह किस दिन की है और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, ८ जुलाई की रिपोर्ट यह है—

दिनांक घटना—७ जुलाई, १९७१ समय सुबह ।

दिनांक सूचना—८ जुलाई, १९७१ समय ८ ए० एम० ।

घटनास्थल—ग्राम सिकन्दरपुर ७ मील दक्षिण ।

नाम वादी—श्री राम सुहावन, पु० राजा राम स० जाफरापुर थाना नवाबगंज, जिला गोंडा ।

बनाम—द्वारका बनिया, स० सिकन्दरपुर, पी० एस० परसरामपुर, जिला बस्ती ।

नाम इनवेस्टीगेटिंग आफिसर—श्री के० सी० बिहारी, थाना परसरामपुर, जिला बस्ती ।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

श्रीमान थानाधीश महोदय, थाना परसरामपुर जिला बस्ती, सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी का लड़का राम जनम आज दिनांक ७ जुलाई, १९७१ को सुबह सिकन्दरपुर ताल पर मछली के शिकार में गया था । बाजार में द्वारका बनिया सा० सिकन्दरपुर ने बन्दूक लेकर मेरे लड़के को गोली मार दिया । मैं घर पर नहीं था । मालूम होने पर मैं आया और रिपोर्ट सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूं ।

प्रार्थी, राम सुहावन स० जाफरापुर थाना नवाबगंज, जिला गोंडा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय ३०२ की रिपोर्ट दर्ज हो गई और ३०२ का मुकदमा कायम हो गया तो उस समय उस आदमी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

यह तो कामन सेन्स की बात है । आत्म रक्षा में गोली चलाने की रिपोर्ट एक दिन पहले उसने लिखा दी थी ७ तारीख को ही । माननीय सदस्य यह बात ८ तारीख की कह रहे हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने पहले ही सूचना दे दी थी जो सही पाई गई ।

श्री रियासत हुसैन—

एक आदमी ने दो रिपोर्ट लिखाई थीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी बाडी को ७ तारीख की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया या ८ तारीख की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इतनी डिटेल में वहां से रिपोर्ट नहीं आती है कि वहां से बाडी को कब उठाया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा निवेदन यह है और मुझे केवल एक बात का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें कि जब ३०२ का मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो जितनी सूचना हमारे पास है और जो-जो वाक्यात हुए उनको पढ़ दिया गया । उस रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि राम जनम और फेरई लोनिया द्वारिका के घर में गये । वहां पर उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पर हमला किया और वह किसी तरह से बच गया। फिर वह बन्दूक लेकर उन दोनों से बचकर बाहर भागा। इनके हाथ में बल्लम थी और उसके हाथ में बन्दूक थी। द्वारिका जाकर एक खेत में छिप गया और आड़ से द्वारिका ने अपनी बन्दूक से गोली चला दी जो रामजनम को लग गई। उस गोली से वह वहीं खेत में गिर पड़ा। उसकी रिपोर्ट उसी दिन ७ तारीख को ११ बजे उसने लिखा दी। ८ तारीख को दूसरी रिपोर्ट लिखाई गई, यही घटना है। वह कहते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई तो इसकी रिपोर्ट मंगा ली जायेगी। वह संभवतः इसलिए नहीं की गई होगी कि उसके खिलाफ और बहुत सी शिकायतें थीं इस कारण भी, द्वारिका ने, तफ्तीश में मालूम हुआ कि बचाव में गोली चलाई अपनी आत्मरक्षा में। इसीलिए गिरफ्तारी नहीं की गई संभवतः।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल घटना स्थल पर गया था माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि घटना यह है कि साढ़े ९ बजे दिन में रामजनम एक मछली के लिए पुलिस वालों और राम जनम में झगड़ा हुआ। द्वारिका और उनके सहयोग से एक नाऊ के दरवाजे पर गोली मार दिया.....

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना आप लिखित उनके पास भेज दें, यह समय सूचना देने के लिए नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

वहां की ५ हजार की जनसंख्या है और गांव के बीच में द्वारिका का मकान है और यह साढ़े ९ बजे की घटना है, इसको सही मानकर क्या मुख्य मंत्री जी इस मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने एक प्रश्न किया था उस पर पुलिस की रिपोर्ट मंगा ली गई और वह आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपकी कोई निश्चित जानकारी है तो आप उससे हमें सूचित कर दें, विस्तार से वह अवश्य दे दें उसकी जांच भी करा लेंगे। यह तो पुलिस की तफतीस की रिपोर्ट थी। जिन-जिन बातों को आप समझते हैं और जिनकी आपको जानकारी हासिल हुई है और आप समझते हैं कि उनकी जांच होनी चाहिये, वह आप लिखकर देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश करूंगा कि एक आदमी का कत्ल हुआ और उसकी दो अलग-अलग रिपोर्टें लिखाई गईं, ७ तारीख को और ८ तारीख को। रिपोर्ट करने वाला एक ही आदमी था, वाकयात अलग-अलग दिखाए गए, पहले दिन साढ़े ९ बजे और अगले दिन सुबह को। एक आदमी के बारे में दो भिन्न-भिन्न रिपोर्ट हैं, वह उसको गिरफ्तार करा सकते थे। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम गहराई में नहीं जाते। जब एक ही आदमी के संबंध में दो भिन्न-भिन्न रिपोर्ट हैं तो गहराई में जाने की आवश्यकता क्यों नहीं थी ? जो उत्तर दिया है उससे क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप आरगूमेन्ट कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि उनको पुलिस ने जो सूचना दी है वही वह उत्तर में देंगे, आप क्रास एग्जामिन कर रहे हैं, इस तरह से करते हैं कि मालूम होता है कि विटनेस सेल में खड़े हैं। मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि अगर कोई नई सूचना उनके पास है तो वह देंगे तो उस पर भी इन्क्वायरी वह करा लेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसको उन्होंने सदन के सम्मुख रख दिया और यदि कोई जानकारी माननीय सदस्य देंगे तो वह उसकी जानकारी करा लेंगे। मुख्य मंत्री जी के विचारों की ताईद करते हुए आपने कहा कि प्रश्न उठता है तो पुलिस की रिपोर्ट मंगा कर रख दी जाती है और कोई तथ्य को छिपाने की कोशिश उधर से नहीं है। अगर केवल एफ० आई० आर० को ही जानने का शौक होता तो वह तो वहीं मिल जाती, वह तो पब्लिक डाकुमेन्ट है, लेकिन इस सदन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो यह समझा जाता है कि ऐसे प्रश्नों पर सरकार गहराई से जायेगी, जिलाधीश से रिपोर्ट मंगायेंगे और सच्ची बात यहां रखेंगे। अगर खाली एफ० आई० आर० का शौक होता तो वहां थाने से वह मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

इसको हम अविलम्बनीय महत्व का कहते हैं इसलिए उनको समय थोड़ा देते हैं। पूरा समय नहीं देते हैं। इस वास्ते कि मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी आ जाय। अगर आपको ज्यादा मालूमात हों तो दे दीजिए उस पर जांच करा लेंगे क्योंकि आप चाहते हैं जल्दी हो, अविलम्बनीय महत्व का विषय है।

श्री रियासत हुसेन—

मृतक को पोस्ट मार्टम के लिए ७ में या ८ में भेजा गया, कृपा करके यह बतला दें।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उसका पोस्ट मार्टम हुआ है आठ तारीख को।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, गोली किस अंग पर लगी है पीठ पर या पेट पर ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आ सकी है। श्रीमन्, इसमें डैथ का काज लिखा है, "ड्यू टु कामा एन्ड एन्टी मार्टम इन्जरीज"।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

गोली कहां लगी है यह पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में रहता है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

कहिए तो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं—

Ante Mortem Injuries

(1) Gunshot wound of enterence twelve in numbers in an area of 7Cm.×6 Cm. Eleven of them arranged wound a central whole of 3 Cm.×5 Cm. All the eleven are 2 mm× 2 mm. All the twelve are skull cavity deep and situated in left temple joint in front of upper part of left ear. They are 5 Cm. behind the outer canthus of left eye.....

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

जब यह जवाब दिया कि दो रिपोर्टें हैं एक ही नाम से आई हैं। एक ही आदमी का मर्डर हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की रूलिंग है कि उसी वक्त एरेस्ट होगा और नाम आने के बाद भी एफ० आई० आर० में आ गया तो वे क्यों नहीं पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि इतना समय नहीं मिलता जो पूरी रिपोर्ट आये और रिपोर्ट पर जिरह करें और हर चीज की इन्क्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। दफा ५१ में यह चीज आती है। उसकी सूचना तत्काल दे दी जाय। घटना क्या हुयी, उसमें जो पुलिस की रिपोर्ट है वह आपके सामने दे दी। माननीय सदस्य यदि और सूचना चाहते हैं तो वे बता दें हम उसका भी जवाब दे देंगे। आप बता दीजिए कि क्या क्या बात हुई है। पोस्ट मार्टम की जो रिपोर्ट है वह मौजूद है। इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि बन्दूक की गोली लगी है। जहां तक मुझे मालूम है वह एब्डामेन में लगी है और तीन गोलियां लगी हैं। इसके अलावा और कोई बात जानना चाहते हैं तो बता दें उसका भी पता लगा लेंगे।

श्री सुखपाल पांडेय—

एक गोली माथे पर मारी है, रिपोर्ट देखेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा....

श्री अध्यक्ष—

आप लिखित भेज दें।

अब यह हरिद्वार आयुर्वेदिक कालेज....

श्री सुखपाल पांडेय—

श्रीमन्, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आदमी मारा गया। उसकी तफतीश इंसान की तरह से होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष—

मैं यहां अदालत नहीं बनाना चाहता हूं। आप बैठिए। इसका समय हो गया। अब यह हरिद्वार आयुर्वेदिक....

श्री सुखपाल पांडेय—

श्रीमन्, आप इसमें चर्चा की इजाजत दे दें। वहां के एस० पी०, डी० एस० पी० सब मिलकर यह कराते हैं। इससे बड़ा आतंक है। माननीय मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी भेजी है उससे स्पष्ट हो जायगा कि मैं भी असुरक्षित हूं। (व्यवधान) वहां बदमाशों का गैंग है...

हरिद्वार आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें। अब मैं नम्बर १७ ले रहा हूं। हरिद्वार आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों द्वारा बोर्ड की परीक्षा का बहिष्कार किए जाने के संबंध में श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री श्री राम करन सिंह द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

९ जुलाई, १९७१ से भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं प्रारंभ हुईं। यूनानी कालेजों के परिक्षार्थी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। यह सूचना मिली है कि आयुर्वेदिक कालेजों के कोई भी परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं।

परीक्षार्थी यह चाहते हैं कि अब उनकी सब परीक्षाएं कानपुर विश्वविद्यालय हो ले। शासन की स्वयं ऐसी ही मंशा थी। इसी उद्देश्य से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७१ जारी किया गया था। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अध्यादेश के अन्तर्गत परिनियम, आर्डिनेन्सेस व रेगुलेशन्स आदि बनाने हैं इसके बाद भी संबद्धता की औपचारिकता में कुछ न्यूनतम समय लगेगा। इसी के बाद परीक्षाएं संपन्न हो सकेंगी। फिर भी यह सभी कार्य बड़ी तीव्रता से किया जा रहा है। सरकार स्वयं इस संबंध में जागरूक है और इसी उद्देश्य से ९ जुलाई, १९७१ को कानपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति व रजिस्ट्रार से बातचीत की गई। उपकुलपति का भी यह विचार था कि संबद्धता की औपचारिकताएं पूरा करने में समय लगेगा और किसी तरह से भी विश्वविद्यालय नवम्बर/दिसम्बर, १९७१ से पूर्व परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकेगा। फिर भी यह प्रयास किया जायेगा कि यह अवधि घट सके।

जहां तक प्रथम चार वर्षों के परीक्षार्थियों का संबंध है, इसमें उन्हें कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि यह लोग भारतीय चिकित्सा परिषद् की परीक्षा में भाग लें। इस वर्ष के अन्त तक यह कोशिश होगी कि अगली परीक्षाएं विश्वविद्यालय लें। समस्या केवल २६५ विद्यार्थियों की है, जिन्हें अंतिम परीक्षा देनी है। इन विद्यार्थियों की परीक्षा स्थगित करने के लिए परिषद् से कहा गया है।

यहां यह भी कह दिया जाय कि इन सभी परीक्षार्थियों ने भारतीय चिकित्सा परिषद् की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आवेदन-पत्र भरे और शुल्क भी जमा किया। कुछ लोगों ने तो विलम्ब-शुल्क देकर भी आवेदन-पत्र भरे थे। इसी के अनुसार परिषद् ने परीक्षाओं की व्यवस्था की।

अन्य परीक्षायें स्थगित करने में एक कठिनाई यह थी कि कई विद्यार्थी जिन्हें पूरक परीक्षा में बैठना था और जिसके लिए समय के अवधि की एक सीमा है वह परीक्षा स्थगित होने के इस लाभ से वंचित हो जाते।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ जुलाई, १९७१ से होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं पर सरकार ने जो रोक लगाई है तथा उसे स्थगित किया है, उसका आधार क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

श्रीमन्, बहुत दिनों से आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की यह मांग रही है कि उनकी परीक्षा किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध की जाय, उनकी डिग्री विश्वविद्यालय के साथ हो। इसीलिए इस बार ९ जुलाई से जब परीक्षा आरंभ हुई, विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी। सरकार की तरफ से यह निश्चय किया जा चुका है और उसके सिलसिले में अध्यादेश भी जारी हुआ कि कानपुर विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश के जो आयुर्वेदिक कालेज हैं उनको संबद्ध कर दिया जाय और उसी सिलसिले में आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। अभी तक आयुर्वेदिक की परीक्षाएं भारतीय चिकित्सा परिषद् के द्वारा संचालित होती रही हैं और इस बार भी जुलाई से आरम्भ की गयीं। हड़ताल की स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात्, इस प्रश्न पर पुनः विचार किया गया और यह उचित समझा गया कि जो ५वें वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाः स्थगित कर दी जाएं और उनकी जो इतने दिनों की विश्वविद्यालय की डिग्री की मांग रही है उसको प्रदान किया जाय। उसको ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए परिषद् को कहा गया है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

२६५ विद्यार्थियों की परीक्षा स्थगित की जा रही है और शेष की नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि समय का कोई अन्तर नहीं पड़ता है। तो विश्वविद्यालय से उनकी परीक्षा कराने में उनको क्या कठिनाई है ? इन २६५ विद्यार्थियों के अतिरिक्त जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा लेने में क्या कठिनाई है और विश्वविद्यालय से उनकी परीक्षा क्यों नहीं ली जा रही है ?

डाक्टर राजद्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न केवल इस बात का है कि अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को, जिन्हें कि विश्वविद्यालय की डिग्री मिल रही है, यह सहूलियत दी जा रही है। अन्य परीक्षाएं स्थगित नहीं की गई हैं क्योंकि यह समझा गया था कि जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनका समय नष्ट न हो और समय के अनुसार वे परीक्षाएं दें। दूसरे कुछ पूरक परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी भी होते हैं। उनके लिए साल का सवाल होता है। अगर सारी परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि ६ महीने के लिए एकेडेमिक ईयर को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार यह नहीं चाहती है कि आयुर्वेद के विद्यार्थियों को निराश किया जाये। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि अगर वे परीक्षा दे भी देते हैं तो उनका कोई नुक्सान न होने पाये।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि परीक्षा रोकने के बारे में इंडियन मेडिसिन बोर्ड का क्या जवाब आया है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इंडियन मेडिसिन बोर्ड से कहा गया है और उन्होंने इसके लिये कोई इन्कार नहीं किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

स्वास्थ्य मन्त्री जी के ध्यान में यह बात है कि विद्यार्थियों का यह आन्दोलन पिछले कई सालों से चल रहा है और यह आन्दोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि उनको विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। अगर वे इस आन्दोलन को समाप्त कराना चाहते हैं तो उस ६ महीने की अवधि को, जिसके बारे में अभी कहा गया, घटाएं और इसी सम्बन्ध में अभी यह भी कहा गया कि परीक्षा नवम्बर तक हो सकती है। इस झगड़े को मिटाने के लिए आप इस परीक्षा को विश्वविद्यालय से करा लें।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अगर माननीय सदस्य मेरी मदद करें तो विद्यार्थियों की हड़ताल समाप्त हो सकती है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, उस पर पुनः सरकार विचार करेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है। क्या वे ५–६ महीने के विलम्ब को स्पष्ट करेंगी। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने आयुर्वेदिक कालेजों को मान्यता दे रखी है और उनका एक स्टैन्डर्ड था। उसी के अनुसार कानपुर विश्वविद्यालय तैयार हो गया कि इन आयुर्वेदिक कालेजों को अपने से सम्बद्ध करके परीक्षा लेगा और उसी आधार पर अध्यादेश पास हुआ। तो यह ६ महीने का विलम्ब किस बारे में लगेगा ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

यह जो औपचारिकतायें होती हैं उसके कारण विलम्ब हुआ, जैसा कि पैनेल बनता है, एफीलिएशन होता, नार्म्स बनाये जाते हैं, कानपुर विश्वविद्यालय के जो कालेजेज हैं उन्हें सम्बद्ध करना था, इसमें कम से कम जो समय लग सकता है उतना ही लिया जा रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

भारतीय चिकित्सा पद्धति ने आयुर्वेदिक कालेजों को मान्यता दी है। इसको कानपुर विश्वविद्यालय तय कर चुका है कि वह इसको सम्बद्ध कर लेगा। विभागीय नैगलीजेंस के कारण विलम्ब हो रहा है। अगर विभाग ऐसा न करे तो देर की कोई भी गुन्जाइश नहीं है।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, मैंने कानपुर के उप-कुलपति महोदय से बातचीत की थी और उन्हें ९ तारीख को बुलाया था। उनसे मैंने करीब घंटे-डेढ़ घंटे बात की थी और विचार विनिमय किया था। वह पहले से ही इस बात में शक जाहिर कर रहे थे कि नवम्बर-दिसम्बर से पहले परीक्षा करा सकते हैं। बहुत विस्तार से बात करने के बाद यह निर्णय हुआ कि आखिरी वर्ष के विद्यार्थियों से परीक्षा स्थगित करने के लिये परिषद् से कहा जाय क्योंकि यह वास्तविक व्यवहारिक शासन के लिये कठिनाई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलायेंगी कि प्रश्न के औचित्य को वह स्वीकार करती हैं और इसी कारण अध्यादेश जारी किया गया, तो जब अध्यादेश जारी कर दिया गया और ९ जुलाई को जब परीक्षा होने वाली थी, तो उस दिन इतनी देर से बातचीत करने का क्या कारण था ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

जून में अध्यादेश जारी किया गया था, उसके बाद जो कार्यवाही होनी थी वह की गई। ९ तारीख को यह बात लाई गई कि वह हड़ताल कर रहे हैं तो उस समय मैंने यह जांच की कि इतनी देरी क्यों हो रही है। मैं इस मामले में जल्दी नहीं कर सकती हूं। मैं खुद नहीं चाहती तथा विभाग भी नहीं चाहता कि देरी हो। सरकार की ओर से जब एक चीज स्वीकार कर ली गई तो फिर विद्यार्थी हड़ताल करें, इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये थी। मुझे चिन्ता थी इसलिये उपकुलपति महोदय से उनको बुलाकर बातचीत की और मैं सन्तुष्ट हूं कि यह काम तीन-चार महीने से पहले नहीं हो सकता है, इसलिये आखिरी वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षायें स्थगित की गईं और कोई रास्ता नहीं था।

श्री राम करन सिंह—

मैं यह जानना चाहूंगा कि इंडियन मेडीसिन बोर्ड एक आटोनामस बाडी है और यह ऐक्ट सन् ३९ में बना है। तो यह आटोनामस बाडी जो है, उसका रजिस्ट्रार मन्त्री के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मैं निवेदन कर रही हूं कि ऐसी बात नहीं है। मैं तो स्वयं इसको देख रही हूं कि इसमें शासन के आदेशों का पालन हो। रजिस्ट्रार के आदेश न मानने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं निवेदन कर रहा था कि अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि विरोधी दल हमें सहयोग दे। तो विरोधी दल का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन इस सदन में दे दें कि एक निश्चित तिथि के अन्दर विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं को करा लेगा।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने जैसा आरम्भ में कहा था कि इस वक्त विचार था केवल अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिये, लेकिन अगर हमारे माननीय सदस्य जैसा कि वे कह रहे हैं और वह यह चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया ही जाय तो मैं केवल इतना कह सकती हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति समझी गई कि इन विद्यार्थियों की भी परीक्षा बाद में ली जाय, तो विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप विचार करके और लोगों का सहयोग लेकर खत्म कर सकें तो खत्म हो जाय।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अभी माननीय मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसका स्वागत करते हुए क्या मन्त्री जी यह और बताने की कृपा करेंगे कि अपने गुड आफिसेज का उपयोग करके परिषद् द्वारा परीक्षा को स्थगित रखने का प्रयास करेंगी।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अभी तक गुड आफिसेज का ही उपयोग किया जा रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगी कि सदन इतमीनान कर ले कि अन्तिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करने का प्रस्ताव चिकित्सा परिषद् ने मान लिया है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

चिकित्सा परिषद् ने इंकार नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि वह इतनी ताकत रखती हैं कि मनवा लेंगी।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मुझे भी करना है। यह जो अध्यादेश जारी किया, जून में किया। इसने विद्यार्थियों में आशा का संचार कर दिया कि यह परीक्षा विश्वविद्यालय से होगी। इसलिए आन्दोलन का कारण यह अध्यादेश ही है। ९ जुलाई से जो आन्दोलन हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी है। विद्यार्थी तो तैयार हैं और दो तीन महीने इंतजार कर लेंगे। इसलिए मन्त्री महोदय घोषणा कर दें कि इनकी भी परीक्षा साथ ही हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

वे इन्तजार करने को तैयार हैं ?

श्री मोहन लाल कपूर—

जी, हां।

श्री गोविन्द सिंह--

क्या चिकित्सा परिषद् का इंकार न करने को हम समझ लें कि चिकित्सा परिषद् ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री मोहन लाल कपूर--

वे विद्यार्थी स्वास्थ्य मन्त्री से मिल भी लिये हैं। विद्यार्थी तैयार हैं तो उनकी भी परीक्षा तीन महीने में ले लें। इसकी घोषणा करवा दें।

श्री अध्यक्ष--

कमिट करना मुश्किल हो जाता है जब तक तक कि पूछ न लें। वह तैयार दिखाई देती हैं।

श्री गोविन्द सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि परिषद् ने परीक्षा स्थगित करने में कोई कठिनाई तो नहीं बतलायी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

चिकित्सा परिषद् ने कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान दिलाया है, लेकिन शासन की तरफ से कोई रास्ता निकाला जायगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
१९ जुलाई, १९७१।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५० पर)

तालिका

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के शिष्ट मंडल द्वारा १४ अप्रैल, १९७१ को मुख्य मन्त्री जी को प्रस्तुत स्मृति-पत्र में वर्णित मांगें एवं उनकी वर्तमान स्थिति।

प्रमुख मांगें	वर्तमान स्थिति
१—प्राथमिक शिक्षकों को १५० रु० से ३०० रु० का ग्रेड तथा केन्द्रीय दर से महंगाई भत्ता अविलम्ब दिया जाये।	१—प्राथमिक अध्यापकों के वेतन-क्रम एवं महंगाई भत्ते की दरें क्रमशः १-२-७१ तथा १-१-७१ से पुनरीक्षित की गई हैं तथा १-४-७१ से उनको अन्तरिम सहायता भी स्वीकृत की गई है। चूंकि इन अध्यापकों के वेतन आदि का विषय अब वेतन आयोग के समक्ष है, अतः उसकी संस्तुति प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।
२—(अ) महानगर एवं नगर में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को नगर एवं आवास भत्ता दिया जाये। सेवा नियमावली जो ११ वर्ष से लटकी हुई है, उसे अविलम्ब लागू किया जाये।	२—(अ) नगर एवं आवास भत्ते की सुविधा पर भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर विचार हो सकेगा। नगर महापालिका शिक्षा सेवा नियमावली का अन्तिम रूप विदीक्षित हो चुका है तथा आशा है कि यह शीघ्र ही प्रवर्तित की जायगी।
(ब) शासन आदेश संख्या-घ/२४९७/१५-३४०-७०, दिनांक २९ मार्च, १९७१ पैराग्राफ ४ से निम्न पंक्ति हटा दी जाये क्योंकि इससे अध्यापकों को महान क्षति है। "यदि अध्यापकों का महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त भत्ता अपने श्रोत से देती रहे।"	(ब) मामला विचाराधीन है। पृष्ठांकन संख्या—घ/३४७७(१) १५-३४०/७०, दिनांक २२ मई, १९७१ द्वारा यह आदेश दिये जा चुके हैं कि अध्यापक/अध्यापिकाओं के मंहगाई भत्ते में उस समय तक कोई कटौती न की जाय जब तक शासन के आदेश प्राप्त न हो जायं।
(स) आदेश संख्या—घ/ १०२६/१५-३४०/७० दिनांक २९ मार्च, १९७१ के संशोधित वेतन-क्रम की त्रुटियां अविलम्ब दूर की जायें। जैसे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक का प्रारम्भिक ग्रेड समान होना। अधिक सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षकों को सिर्फ एक रुपये का लाभ होना।	(स) मामला विचाराधीन है।
३—पहाड़ी एवं सीमावर्ती जिलों के प्राथमिक शिक्षकों को सीमा भत्ता और विशेष भत्ता निरन्तर दिया जाये।	३—उत्तराखंड के जिलों में कार्य कर रहे अध्यापकों को सीमान्त विशेष वेतन दिये जाने के आदेश पहले से ही हैं।

४—प्राथमिक शिक्षकों को भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अथवा अन्य शिक्षा सम्बन्धी कमेटियों में प्रतिनिधित्व दिया जाय ताकि सरकार में योगदान अथवा अपनी समस्या अधिकारिक रूप से रखी जा सके।	४—शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने का विषय राज्य शासन के कार्यक्षेत्र के बाहर है।
५—प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों से मुक्त कर, उसकी उचित व्यवस्था कोठारी आयोग के सुझाव के अनुसार किया जावे।	५—प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था शासन की वर्तमान नीति के अनुरूप ही है।
अन्य मांगें	**वर्तमान स्थिति**
१—सरकारी आदेश के बावजूद भी कुछ जिलों में वेतन नियमित समय से नहीं मिल रहा है। जैसे नैनीताल, चमोली, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर।	१—जिन जिलों में वेतन मिलने में विलम्ब होता है उसका मुख्य कारण स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति है। इसके समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
२—प्राथमिक शिक्षकों के प्राविडेंट फंड सी० टी० डी० एरियर धन के भुगतान तथा राजनीतिक उत्पीड़न को अविलम्ब बन्द किया जाय।	२—इस प्रकार के विशेष मामलों की सूचना मिलने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
३—योजना के अन्तर्गत खुले जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की नियुक्ति परिषद् के सेवारत अध्यापकों में से की जाये।	३—सामान्यतः यही पद्धति अपनाई जाती है। किन्तु यदि सेवारत अध्यापकों में से निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थी नहीं मिलते तो बाहर से नियुक्त करना पड़ता है।
(ब) सन् ६८ के योजना के जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ७५ से २०० का ग्रेड दिया जा रहा है। उन्हें इस समय प्राइमरी के सहायक अध्यापक से भी कम वेतन मिलता है। परिषद् के जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक का ग्रेड दिये जायं।	(ब) मामला विचाराधीन है।
४—हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्राप्त उपाधियों के शिक्षकों को भी लाभान्वित किया जाय।	४—यह मांग अस्पष्ट है।
५—स्कूल में कार्यरत चौकीदार जो केवल ३५ रु० मात्र पाते हैं अविलम्ब जीवन-यापन योग्य वेतन दिया जाये।	५—स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन का मामला भी वेतन आयोग को सिपर्द किया गया है। आयोग की रिपोर्ट आने पर विचार हो सकेगा।
६—सन् १९६४ के पूर्व अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन दे कर जीवन यापन की सुविधा प्रदान की जाये।	६—इस पर विचार किया गया था किन्तु इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर।)

सारिणी

कर्मचारियों की मांगें तथा उन पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

१—अगस्त, १९७० में हुई हड़ताल के दण्डित कर्मचारियों की काम पर वापसी।

अगस्त, १९७० में हुई हड़ताल में परिषद् की विभिन्न इकाइयों के १,१५७ कर्मचारी सेवा विमुक्त कर दिये गये थे। इनमें से १,१४८ पुनः सेवा में लिए जा चुके हैं तथा शेष ९ कर्मचारियों को नहीं लिया गया है। इस समय केवल २ कर्मचारी निलम्बित हैं।

२—केन्द्रीय वेतन मण्डल द्वारा अनुशंसित वेतन-क्रमों को कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलकर तुरन्त लागू किया जाय।

केन्द्रीय वेतन मण्डल द्वारा अनुशंसित वेतन-क्रम परिषद् के कर्मचारियों पर लागू करने के आदेश, कर्मचारी प्रतिनिधियों से विमर्श करने के उपरान्त परिषद् के आदेश दिनांक ३ जून, १९७१ व २५ जून, १९७१ द्वारा जारी किये जा चुके हैं। दिनांक ३ जून, १९७१ के परिषद् के आदेश में विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों का उल्लेख है और दिनांक २६ जून, १९७१ के आदेश में फिटमेन्ट का जिक्र है।

३—तीन वर्ष से कार्यरत वर्कचार्ज सुपरवाइजरों एवं अन्य कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना—

यह विषय परिषद् के सक्रिय विचाराधीन है तथा इस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

४—कम्पेनसेटरी एलाउन्स तथा अन्य सुविधाओं की कटौती के आदेश वापस लिए जायं—

उन कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति दिनांक १ सितम्बर, १९७० के पश्चात् हुई है, को किराया मुक्त आवास के स्थान पर प्राप्य मकान किराया भत्ता परिषद् द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा के सदस्यों को प्राप्त प्रतिकर भत्ता दिनांक २७ अक्तूबर, १९७० के पश्चात् नियुक्त हुये सदस्यों के लिए समाप्त कर दिया गया है।

५—अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए—

इस प्रसंग में परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

६—वरदराजन समिति द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाये—

वरदराजन समिति द्वारा विचार की गई कुल १२० मांगों में से ७१ मांगों के विषय में आदेश जारी हो चुके हैं। ४२ मांगें अस्वीकार कर दी गईं और ६ मांगें परिषद् के परीक्षाधीन हैं। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व लाइसेंसधारियों के कर्मचारियों को सेवा निरन्तरता दिये जाने संबंधी मांग के बारे में निर्णय लिया जा चुका है, और औपचारिक आदेश परिषद् द्वारा जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७३ पर।)

केन्द्रीय जेल फतेहगढ़ से वन्दी भागने की घटना से संबंधित जेल कर्मचारियों के नाम तथा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण

जेल कर्मचारियों की तालिका	आरोपों का विवरण
१—श्री प्रेम मोहन कंचन, जेलर	जेलर की हैसियत से नियंत्रण एवं देखरेख में लापरवाही करना।
२—श्री बृज किशोर पाठक, सहायक जेलर।	लाकप के समय बैरक की तलाशी एवं रात्रि गश्त नियमानुसार न करना।
३—श्री राम लड़ैते, हेड वार्डर	कर्त्तव्यों के पालन में असावधानी बरतना जिसके फलस्वरूप बन्दी इनके जार्च से भाग सके।
४—श्री जमुना प्रसाद, हेड वार्डर	दिन के हेड वार्डर होने के नाते अपनी ड्यूटी के समय कैदी को जेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाकर भी न तो उसे रोकना, और न उच्च अधिकारियों को सूचित करना।
५—श्री सूबेदार शर्मा हेड वार्डर ६—श्री मान सिंह, वार्डर	अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में लापरवाह रहना जिसके फलस्वरूप बन्दियों को पेड़ की डाल मिल सकी तथा जंगला काटने का अवसर मिला।
७—श्री मोहम्मद अली, वार्डर	मेनवाल की ड्यूटी में ढिलाई एवं नियमानुसार न निभाना जिसके फलस्वरूप मेनवाल ड्यूटी के नम्बरदार अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में सतर्क न रहे।
८—श्री राम सरन, वार्डर	मेनवाल की ड्यूटी में ढिलाई एवं नियमानुसार डण्डे का गश्त न करना एवं टिकियां चेक न करना।
९—श्री शिवनाथ दूब, वार्डर	रात्रि गश्त नियमानुसार न करना।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने के लिए और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

अध्याय २

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ ई० की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १ की उपधारा (२) में उसके वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई क्षेत्र जो ७ जुलाई, १९४९ को किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत था, उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८ के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो

(१) ऐसी दशा में जब वह २९ जून, १९७१ के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में २९ जून, १९७१ से होगा ; और

(२) किसी अन्य दशा में, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस दिनांक से होगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय।"

३—मूल अधिनियम की धारा १२२-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जाएं, अर्थात्—

नई धारा १२२—ग और १२३ का बढाया जाना।

"१२२—ग—(१) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर, स्वतः अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प पर निम्नलिखित वर्गों की भूमि में से किसी वर्ग की भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों और खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के निमित्त आबादी के स्थलों की व्यवस्था करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है :—

अनुसूचित जातियों के, सदस्यों, खेतिहर मजदूरों आदि के लिए आबादी के स्थलों के निमित्त भूमि का प्रदेशन।

(क) धारा ११७ की उपधारा (१) के खण्ड (१) में अभिदिष्ट और उक्त धारा के अधीन गांव सभा में निहित भूमि,

(ख) धारा १९४ के अधीन अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आने वाली भूमि;

(ग) कोई अन्य भूमि जो धारा १३, धारा १४, धारा १६३, धारा १८६ या धारा २११ के अधीन खाली समझी जाये अथवा खाली हो जाय;

(घ) यदि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थल के रूप में आरक्षित भूमि उसके द्वारा अपर्याप्त समझी जाय, और उक्त अधिनियम के अधीन अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट भूमि उपलब्ध हो, तो इस प्रकार उपलब्ध भूमि का कोई भाग।

(२) इस अधिनियम की धारा १२२-क, १९५, १९६, १९७ और १९८, या यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ४, १५, १६, २८-बी और ३४ में किसी बात के होते हुए भी, भूमि प्रबन्धक समिति परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (३) में अभिदिष्ट व्यक्तियों के निमित्त गृहों के निर्माणार्थ—

(क) उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भूमि ;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के उपबन्धों के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थलों के रूप में आरक्षित कोई भूमि ;

(ग) धारा ११७ की उपधारा (१) के खण्ड (६) में अभिदिष्ट और गांव सभा में निहित कोई आबादी का स्थल ;

(घ) उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अन्तर्गत अर्जित कोई भूमि ;

प्रदिष्ट कर सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन प्रदेशन किए जाने में निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुपालन किया जायगा—

(१) कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो ;

(२) कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो ;

(३) कोई अन्य व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो ।

स्पष्टीकरण---(१) पद "खेतिहर मजदूर" का वही अर्थ होगा जो धारा १९८ में है ।

(२) पद "ग्रामीण शिल्पकार" में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी या मोची शामिल हैं ।

(३) उस व्यक्ति को अधिमान्यता दी जायेगी जिसके पास या तो कोई गृह न हो अथवा उसके परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए आवास-व्यवस्था अपर्याप्त हो ।

(४) यदि परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि भूमि प्रबन्धक समिति ने उपधारा (२) के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन या अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं किया है, अथवा ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या इष्टकर है, तो वह स्वयं ऐसी भूमि को उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार प्रदिष्ट कर सकता है ।

(५) इस धारा के अधीन प्रदिष्ट कोई भूमि प्रदेशनगृहीता द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत की जायेगी ।

(६) कलेक्टर स्वतः इस धारा के किसी प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच कर सकता है और प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर नियत रीति से जांच करेगा, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है, तो वह प्रदेशन को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात् प्रदिष्ट की गई भूमि में प्रदेशन गृहीता और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(७) उपधारा (४) के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, उपधारा (६) उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उपधारा (६)के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और धारा ३३३ के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(८) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः या उसे तदर्थ कोई प्रार्थनापत्र दिए जाने पर उपधारा (२), उपधारा (४) या उपधारा (६) के अधीन भूमि के किसी प्रदेशन अथवा दिये गये अन्य आदेश को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाए रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् उस भूमि का कब्जा प्रदेशन गृहीता या गांव सभा को देने का निदेश दे सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है, जो आवश्यक हो ।

कतिपय गृह के स्थलों का बन्दोबस्त उसके विद्यमान स्वामियों के साथ किया जायगा।

१२३—धारा ९ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि धारा १२२-ग की उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने उक्त धारा की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि न हो कोई गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह २४ मई, १९७१ को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत किया जायगा।"

धारा १२८ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १२८ में उपधारा (२) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जाए, अर्थात्—

'(ङ) धारा १२२-ग के अधीन भूमि प्रदिष्ट करने की प्रक्रिया :

(ङङ) वे प्रतिबन्ध तथा शर्तें जिन पर धारा १२२-ग के अधीन प्रदिष्ट भूमि या धारा १२३ में अभिदिष्ट भूमि धृत की जायेगी ;"

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७ की धारा १ का संशोधन

५—उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १ की उपधारा (२) में उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड अन्त में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई क्षेत्र ७ जुलाई, १९४९ के पश्चात् यथास्थिति किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाऊन एरिया के अन्तर्गत न रह जाय और धारा ८ के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में—

(१) उस दशा में जब वह २९ जून, १९७१ के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में २९ जून, १९७१ से समाप्त हो जायगा ; और

(२) किसी अन्य दशा में इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस दिनांक से समाप्त हो जायगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय।"

अध्याय ४

निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १९७१ तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ११, १९७१ का निरसन

६—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ और उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

उद्देश्य तथा कारण

पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तेजी से जनसंख्या में वद्धि हुई है उसी अनुपात में गृह निर्माण की व्यवस्था में वृद्धि नहीं हुई है। विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आवास अधिकांश गांवों में अत्यन्त ही हेय अवस्था में बने हुए हैं। इस दिशा में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों, ग्रामीण शिल्पकारों व अन्य भूमिहीन मजदूरों के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था करने के लिए नया कानून बनाना आवश्यक समझा गया और चूंकि राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में नहीं थे, अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ राज्यपाल द्वारा जारी किया गया।

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १(२) के अनुसार यह अधिनियम उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता जो ७ जुलाई, १९४९ को किसी म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, कन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत थे। ऐसे क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ लाग होता है। राज्य सरकार की नोटिस में यह बात आयी कि बलिया जिले के कतिपय गांव १९३८ में बलिया नगरपालिका में सम्मिलित किये गये थे। बाद में १९५८ में इन्हें नगरपालिका से बाहर कर दिया गया था परन्तु इस २० वर्ष की अवधि के दौरान भी जब ये गांव बलिया नगरपालिका में सम्मिलित रहे, इन गांवों की स्थिति सदैव ही ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों की सी ही रही। क्योंकि ये गांव ७ जुलाई, १९४९ की तकनीकी दृष्टि से नागर क्षेत्र के भाग थे, उन पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० लागू नहीं किया जा सका। जिस प्रकार की स्थिति बलिया जिले के कुछ गांवों में उपस्थित हुई वह अन्य जिलों के गांवों में भी उत्पन्न हो सकती है। जो क्षेत्र सदा से ग्रामीण क्षेत्र के अंग रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रवर्तन अधिक प्रभावी नहीं होगा क्योंकि वह अधिनियम कृषि क्षेत्र के सीमांकन की अपेक्षा करता है।

अतएव इस प्रकार के क्षेत्रों में जमींदारी अविलम्ब समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ के माध्यम से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में आवश्यक संशोधन किया गया।

३—उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने हेतु विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० १२४ एल०ए०—१९७१—८४५।